मंगलवार,
१८ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, १८ नवम्बर १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अफ़गानिस्तान में भारतीय अध्यापक

*३८८. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अफ़गानिस्तान सरकार ने भारत सरकार से कुछ भारतीय अध्यापक उस देश में पढ़ाने के लिये भेजने की प्रार्थना की थी; तथा

(ख) क्या कुछ अध्यापक अफगानिस्तान भेजे गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा): (क) तथा (ख) जी हां।

सरदार हुक्म सिंह : क्या उस प्रार्थना में कहा गया था कि किन विशेष विषयों के लिये ये अध्यापक चाहियें ?

श्री अनिल के० चन्दा : ये अध्यापक अंग्रेजी पढ़ाने के लिये थे जिन्हें फारसी आती थी।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अफगानिस्तान सरकार ने भी यहां कुछ अध्यापक भेजे हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान्, मुझे तो मालूम नहीं ।

गृह व्यवस्था के विदेशी विशेषज्ञ

*३८९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह व्यवस्था सम्बन्धी विशेषज्ञों को विदेशों से भारत बुलाया गया है ; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या उन्होंने पद संभाल लिये हैं और काम शुरू कर दिया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) टैक्निकल सहयोग प्रशासन से सामुदायिक योजना प्रशासन में प्रयुक्त, गृह निर्माण सामग्री तथा गृह निर्माण तरीकों के विशेषज्ञों को दिलवाने की प्रार्थना की गई थी ।

(ख) गृह निर्माण सामग्री के एक विशेषज्ञ काम पर लग गये हैं और कार्य आरम्भ कर दिया है । वह निर्माण, गृह व्यवस्था तथा रसद मंत्रालय और सामुदायिक योजना प्रशासन को भी परामर्श देंगे ।

सरदार हुक्म सिंह : कितने और आ रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : दो, श्रीमान् ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या हमारे इंजीनियरों ने इन योजनाओं को चलाने में अपनी असमर्थता प्रकट की थी अथवा ऐसा उनसे बिना परामर्श किया गया था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसमें उनकी असमर्थता प्रकट करने का प्रश्न नहीं है । यदि

किसी देश की पूर्ण उपलब्ध सामग्री को काम में लगाया जा सकता है तो ऐसा करना ठीक है और उसी आधार पर हम इन विशेषज्ञों को बुलवा रहे हैं।

सरदार हुक्म सिंह : जो विशेषज्ञ आये हैं उन के तथा हमारे इंजीनियरों के बीच क्या कोई सम्मेलन हुआ था तथा मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या वे हमें कोई नई बात भी बता सकते हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में बैठकें तो प्रायः रोज़ ही होती हैं, तथा विचारों तथा सूचना आदि बातों का विनिमय और चर्चा बहुत उपयोगी होती हैं।

श्री वीरस्वामी : मैं जान सकता हूं कि भारत में ये विशेषज्ञ किन देशों से बुलवाये गये हैं और उन में से प्रत्येक को कितना वेतन दिया जाता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यह मैंने पहिले ही बता दिया कि एक तो काम पर लग गया है। वह अमेरिका निवासी है। जहां तक वेतन का सम्बन्ध है, अमेरिका की सरकार वेतन देगी, किन्तु कार्यालय के लिये स्थान, कार्यालय का सामान तथा अन्य छोटी चीज़ें हम देंगे।

श्री वी० पी० नायर : इस विशेषज्ञ का भारत की गृह व्यवस्था के विषय में क्या अनुभव है, विशेषकर सामग्री तथा श्रम के विषय में ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान्, वह कुछ समय तक यहां रहे हैं और उन्हें गृह व्यवस्था, गृह निर्माण सामग्री तथा गृह निर्माण तरीकों का विशेषज्ञ समझा जाता है, इसका उन्हें पर्याप्त अनुभव है विशेषकर आत्म सहायता के मामले में देशी सामग्री के विकास का अनभव है।

श्री केलप्पन : मैं जान सकता हूं कि किसी बाहर के देश ने इस देश के गृह-व्यवस्था विशेषज्ञ की मांग की थी ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जी हां, श्रीमान्, हमारे इंजीनियरों के लिये।

एलमिनियम का उत्पादन

*३९०. **सरदार हुक्म सिंह** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५२-५३ में एलमिनियम के उत्पादन को बढ़ाने के सम्बन्ध में क्या कोई प्रस्ताव हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो ये कौन से प्रस्ताव हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). इंडियन एलमिनियम कम्पनी तथा एलमिनियम कोर्पोरेशन आफ इंडिया अपने एलमिनियम के वार्षिक उत्पादन को २,५०० तथा १,५०० टन से क्रमशः ५,००० तथा २,००० टन तक बढ़ाना चाहते हैं।

श्री मेघनाद साहा उठे——

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न कर्ता को पहिले प्रश्न कर लेने दीजिये। मैं इसी प्रथा का अनुसरण करता रहा हूं।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इसमें केवल विस्तार करके उत्पादन में वृद्धि करने का विचार है अथवा कोई नई फैक्टरियां बनाई जा रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक इन दो फैक्टरियों का सम्बन्ध है, केवल उत्पादन में ही वृद्धि करने का विचार है।

सरदार हुक्म सिंह : इन फैक्टरियों की वर्त्तमान स्थापित क्षमता कितनी है जो कि आजकल उत्पादन कर रही हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जैसा कि मैंने कहा, इंडियन एलमिनियम कम्पनी के उत्पादन में २,५०० से ५,००० टन वृद्धि होगी तथा एलमिनियम कारपोरेशन आफ़ इंडिया के उत्पादन में १,५०० से २,००० टन तक वृद्धि होगी ।

सरदार हुक्म सिंह : वर्त्तमान उत्पादन कितना है ? माननीय मंत्री ने जो स्थापित क्षमता बतलाई क्या वह वर्त्तमान उत्पादन की है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह स्थापित क्षमता है, और उत्पादन इससे थोड़ा सा ही कम है ।

सरदार हुक्म सिंह : इन फैक्टरियों के उत्पादन में वृद्धि के लिये, क्या औद्योगिक वित्त निगम इन उद्योगों को सहायता दे रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि एलमिनियम कार्पोरेशन आफ़ इंडिया को औद्योगिक वित्त निगम से कुछ सहायता मिलती है ।

श्री मेघनाद साहा : इस देश में वायुयान बनाने की क्या सरकार की कोई योजना है और यदि ऐसा है, तो इस प्रयोजन के लिये कितने एलमिनियम की आवश्यकता होगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं प्रश्न को समझ नहीं पाया ।

अध्यक्ष महोदय : क्या भारत सरकार की इस देश में वायुयान बनाने के कार्य को बढ़ाने की कोई योजना है, और यदि ऐसा है, तो इस प्रयोजन के लिये एलमिनियम की कितनी मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वायुयान सम्बन्धी प्रश्न तो रक्षा मंत्रालय के कार्य क्षेत्र में आता है और मुझे खेद है कि मैं इस विषय पर कोई सूचना नहीं दे सकता ।

अध्यक्ष महोदय: जहां तक एलमिनियम का सम्बन्ध है, क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को यह नहीं मालूम होना चाहिये कि इसकी कितनी आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हमारा विचार एलमिनियम के उत्पादन में वृद्धि करने का है, जिससे कि हम अपनी पूर्ण आवश्यकताओं के मामले में, जिसका अनुमान १५,००० टन के लगभग लगाया जाता है, आत्म निर्भर रह सकें । एक ऐसे एलमिनियम संयंत्र को, जिसकी स्थापित क्षमता १०,००० टन हो, चलाने के सम्बन्ध में सरकार को कुछ सुझाव दिये गये हैं । प्रस्ताव की जांच हो रही है ।

श्री सारंगधर दास : क्या हीराकुड़ परियोजना के साथ उड़ीसा के सम्बलपुर ज़िले में एलमिनियम संयंत्र लगाने का कोई प्रस्ताव है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि हमारे प्रस्तावों के अनुसार कार्य होता रहेगा तो मैं समझता हूं कि यही स्थान चुना जायेगा ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग को कितनी राज्य सहायता दी जाती है तथा कितना नियंत्रण रखा जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस उद्योग को संरक्षण दे कर राज्य सहायता दी गई है । और जो नियंत्रण किया जाता है वह वही है जो कि सरकार इस देश के उत्पादन करने वाले सभी उद्योगों पर रखती है ।

श्री के० के० बसु : औद्योगिक वित्त निगम जो आर्थिक सहायता दता है क्या उसके अतिरिक्त सरकार को कुछ और भी सहायता देनी है ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: मेरे पास इस समय सूचना नहीं है, किन्तु और कोई सहायता नहीं देनी है । मैं इस विषय में और निश्चित रूप से बता सकता हूं यदि माननीय सदस्य एक प्रश्न पूछें और मैं उसका उत्तर दे सकता हूं ।

मास्को में भारतीय दूतावास भवन

*३९१. **डा० राम सुभग सिंह:** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मास्को में भारतीय दूतावास को सोवियट सरकार की एजन्सी द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि इसके वर्तमान भवन का पट्टा खत्म कर दिया जायेगा ; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो किस समय तक यह पट्टा खत्म कर दिया जायेगा ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां ।

(ख) ३१ दिसम्बर, १९५२ ।

डा० राम सुभग सिंह: म जान सकता हूं कि क्या मास्को में हमारे दूतावास के लिये उपयुक्त स्थान की व्यवस्था की जायेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, श्रीमान्, इस मकान के स्थान पर हमें दो और मकान (अपेक्षाकृत छोटे तथा पार्श्ववर्त्ती मकान) दिये गये हैं और हमने उन्हें स्वीकार कर लिया है ।

डा० राम सुभग सिंह: जब से हमारा दूतावास मास्को में स्थापित हुआ है तब से उसने कितने मकान बदले हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: जैसा कि मुझे याद है, यह दूसरी बार बदली जा रहा है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार का विचार वहां अपना भवन बनाने का है जैसा कि यह अन्य राजधानियों में बनाने का प्रयत्न करती रही है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: ऐसा कोई विचार नहीं है । मुझे पता नहीं है, किन्तु जितना मैं जानता हूं कि वहां पर उस काम के लिये कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या हमारी सरकार रुस को यहां अपना दूतावास के लिये मकान बनाने के लिये सुविधायें देने के लिये तैयार है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम प्रत्येक विदेशी दूतावास को दिल्ली की बनाई गई विशेष बस्ती में सुविधा दे रहे हैं ।

श्री के० सुब्रह्मण्यम्: क्या सरकार का विचार वहां अपने दूतावास के लिये मकान खरीदने का है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे ठीक पता नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि इस समय वहां विदेशी दूतावासों को मकान खरीदने की अनुमति नहीं है, केवल उनको छोड़ कर जिन्होंने कि नियम पारित किये जाने से पूर्व खरीद लिये थे ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि पुराने निवास स्थान को क्यों बदला गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : आप का अभिप्राय है कि इसे क्यों बदला जा रहा है ? जब हमने डेढ़ वर्ष पूर्व इस नये मकान को लिया तब इसका पट्टा डेढ़ वर्ष के लिये ही था और यह दिसम्बर को खत्म हो रहा है । निसंदेह, वहां पट्टा एक वर्ष या लगभग इतने समय के लिये ही होता है और वे प्रतिवर्ष बदले जाते हैं । हमें यह आशा थी कि इसे बदल कर बढ़ा दिया जायेगा, किन्तु उन्होंने हमें यह सूचित किया उन्हें जमीन के

नीचे चलने वाली रेलवे को बढ़ाने के सम्बन्ध में उस भवन की आवश्यकता है और उन्होंने हमें दो और मकान दिये जो कि कुछ छोटे हैं।

पाकिस्तान की ओर से यू० एन० ओ० को भुगतान

*३९३. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी:** (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार यू० एन० ओ० तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पाकिस्तान की ओर से अब भी भुगतान कर रही हैं ?

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं को पाकिस्तान की ओर से भारत द्वारा अब तक कुल कितना धन दिया गया है ?

(ग) जो धन पाकिस्तान से लिया जाना है क्या उसको वसूल करने के कोई प्रयत्न किये गये हैं ?

वैदेशिक कार्य उप मंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी नहीं।

(ख) २,७८,७१,४८६ रुपये।

(ग) हां, ४,५०,८१८ रुपये वसूल किये गये हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि किस करार के आधार पर पाकिस्तान को इस धन का भुगतान किया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह भुगतान १९४७-४८ में किया गया था। तब से पाकिस्तान की ओर से किसी और धन का भुगतान नहीं किया गया है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं यह जो धन दिया गया है क्या पाकिस्तान को दिये गये ऋण के रूप में समझा जायेगा और यदि ऐसा है, तो उस पर कितना ब्याज लिया गया है ?

श्री अनिल के० चन्दा : पाकिस्तान की ओर से हमने जो धन दिया था वह उसे हमें वापिस दे देगा। जहां तक मुझे मालूम है उस पर कोई ब्याज नहीं लिया गया है। हमको भी उन्हें कुछ धन देना है।

दक्षिणी अफ्रीका में गिरफ्तार किये गये भारतीय

*३९४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद की नीति के विरुद्ध आन्दोलन करने के संबन्ध में अब तक गिरफ्तार किये गये तथा दंड प्राप्त भारतीय उद्भव के लोगों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार को उनके साथ अमानुषिक व्यवहार किये जाने की रिपोर्ट मिली है ; तथा

(ग) कितने मामलों में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों को कोड़े लगाये जाने की सज़ा दी गई है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) दक्षिणी अफ्रीका में शान्ति पूर्ण आन्दोलन में गिरफ्तार किये गये भारतीय उद्भव के लोगों की संख्या के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अब जो गैर-यूरोपियन व्यक्ति पकड़े गये बताये जाते हैं उनकी संख्या ७,००० से अधिक है।

(ख) शान्तिपूर्ण आन्दोलन करने वालों को दी गई कड़ी सज़ाओं तथा उन के साथ किये गये कठोर व्यवहार, पुलिस की ज्यादतियों तथा उन्हें डराने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है।

(ग) जिन व्यक्तियों को कोड़े लगाये जाने की सज़ा दी गई है उनकी संख्या के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

श्री एस० एन० दास: मैं जान सकता हूं कि इन सत्याग्रहियों को किस कानून के अन्तर्गत दंड दिया जा रहा हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: सामान्य रूप से जो कारण लागू हैं वे दक्षिणी अफ्रीका सरकार की रंग भेद नीति कहलाते है।

श्री एस० एन० दास: उन भारतीय उद्भव के लोगों की संख्या कितनी है जो शूट किये जाने वाले आदेश के शिकार हुए हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: हमारी सूचना के अनुसार कोई नहीं है।

श्री एस० एन० दास: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि उन पीड़ितों को अब तक भारत से कोई आर्थिक सहायता भेजी गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा: सरकारी रूप से हमने कोई आर्थिक सहायता नहीं भेजी है।

श्री श्यामनन्दन सहाय: मैं जान सकता हूं कि दक्षिणी अफ्रीका में जो झगड़े हो रहे हैं उनमें भारतीयों को किस प्रकार से हानि उठानी पड़ी है, क्या इसको जानने के लिये सरकार ने कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा: बहुत अधिक ारतीय गिरफ्तार किये गये हैं और उन्हें दंड दिया गया है। जहां तक शूट किये जाने का सम्बन्ध है हमारे पास भारतीयों को शूट किये जाने की कोई सूचना नहीं है।

श्री वैलायुधन: मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को दक्षिणी अफ्रीका का प्रसिद्ध भारतीयों का एक गैर-सरकारी अथवा सरकारी शिष्ट मंडल भेजने का सुझाव मिल है।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू): सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री वैलायुधन: मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कोई सुझाव मिला है ?

अध्यक्ष महोदय: इस मामले पर और अधिक प्रश्न नहीं किये जा सकते। यह मामला विदेशी स्वतंत्र सरकार के नियंत्रण के अधीन है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर: क्या सरकार को मालूम है कि स्वयं दक्षिणी अफ्रीका में भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस रंग भेद नीति के विरुद्ध हैं तथा क्या वे इस आन्दोलन में भाग ले रहे हैं, और यदि ऐसा है तो कितने ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: श्रीमान्, सरकार इस बात को जानती है, किन्तु ऐसे विभिन्न सम्प्रदायों के विषय में पृथक आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

सूती कपड़ा उद्योग (कार्यकारिणी समिति की रिपोर्ट)

*३९५. **श्री एस० एन० दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा उद्योग की कार्यकारिणी समिति ने अपना कार्य समाप्त कर दिया है तथा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) इस समिति द्वारा की गई महत्व पूर्ण सिफारिशें कौन सी हैं ; तथा

(ग) क्या उत्पादन के खर्च में कमी करने में समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी हां।

(ख) तथा (ग). वह रिपोर्ट बड़ी विस्तृत है और अब छप रही है। उस रिपोर्ट को प्रकाशित करने का विचार है। कार्यकारिणी समिति द्वारा की गई सिफारिशों की सरकार जांच कर रही है, और जब सरकार किसी निर्णय पर पहुंच जायेगी तो इस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि सरकार ने वह रिपोर्ट कब प्राप्त की थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं लगभग चार महीने पहिले।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, इस तथ्य को दृष्टि में रखते हुए कि समिति जून, १९५० में नियुक्त की गई थी, तो इस रिपोर्ट को देरी से छपवाने के क्या कारण हैं तथा रिपोर्ट देरी से क्यों प्रस्तुत की गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : देरी का कारण यह है कि रिपोर्ट छप नहीं सकी। मैं समझता हूं कि इन रिपोर्टों को छापने में छापेखाने को कुछ समय लगेगा।

ओटावा में राजनयिक मिशन

*३९६. **श्री नम्बियार** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ओटावा में हमारे राजनयिक मिशन के व्यय के लेखों की लेखा परीक्षा की जाती है ?

(ख) यदि ऐसा है तो, क्या सरकार का विचार प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय से सम्बन्धित नवीनतम लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति सदन पटल पर रखने का है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां।

(ख) ओटावा के प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय के लेखा परीक्षा की कोई पृथक रिपोर्ट नहीं है। कनाडा स्थित भारत के प्रधान प्रदेष्टा अपने व्यय के मासिक लेखों को चालू लेखा परीक्षा के लिये, केन्द्रीय राजस्व के महालेखापाल को भेजते हैं। इसके अतिरिक्त, समय समय पर स्थानीय लेखा परीक्षा की जाती है।

महालेखापाल की वार्षिक रिपोर्ट भारत सरकार के विनियोग लेखों के साथ छापी जाती है और संसद में प्रस्तुत की जाती है।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि वहां दूतावास के कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सहायता पर कितना धन खर्च किया गया ?

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास यह सूचना नहीं है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि वहां प्रधान प्रदेष्टा ने अपनी बहिन को ओटावा के टी० बी० अस्पताल में दाखिल करवा रखा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

श्री नम्बियार : उनकी बहिन की चिकित्सा एक घरेलू नौकर के नाम में हो रही है।

अध्यक्ष महोदय : इस सूचना का आधार क्या है ?

श्री नम्बियार : मैं वही जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। इस प्रकार के प्रश्न करना तथा इस प्रकार की भावना पैदा कर देना कि वहां अधिकारी कुछ कर रहे हैं बड़ी गलत बात है। आपको इसके बारे में सचाई मालूम करनी चाहिये। क्या आपने मंत्री महोदय से पूछ ताछ की ?

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मेरे पास सूचना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या

भारत सरकार द्वारा मासिक बिलों की लेखा परीक्षा करने का कोई स्थानीय प्रबन्ध है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जी हां, पहिले लन्दन के प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय का एक लेखा परीक्षा अधिकारी ओटावा में प्रधान प्रदेष्टा के कार्यालय के मासिक लेखा की लेखा-परीक्षा किया करता था । इस समय वाशिंगटन स्थित दूतावास के लेखा कार्यालय के एक लेखा परीक्षा अधिकारी को रख लिया जाता है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या जब लेखा परीक्षा की जा रही थी तब कोई कमी मालूम पड़ी थी ? कोई चिकित्सा...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

कोयला (निर्यात)

*४००. **श्री वी० पी० नायर** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सदन पटल पर एक विवरण रखने का है जिसमें १९५१ में तथा पहिली जनवरी, १९५२ से १५ अक्टूबर, १९५२ तक भारत से विभिन्न देशों को निर्यात किये गये कोयलों की मात्रा दी हुई है ; तथा

(ख) क्या सरकार भारत से कोयले के निर्यात पर कोई नियंत्रण रखती है और यदि ऐसा है तो यह किस प्रकार का नियंत्रण है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४३**]

(ख) जी हां, कोयले का निर्यात सरकारी तौर पर किया जाता है जिससे कि विदेश में कोयले के मूल्य तथा भारत में कोयले के नियंत्रित मूल्य का अन्तर सरकार को प्राप्त हो सके। निर्यात करने वाली पुरानी फर्में भारत सरकार के एजेन्टों के रूप में काम करती हैं । इन्हें कोयले के लिये आर्डर प्राप्त करने और उसकी किस्म तथा मात्रा निश्चित करने के लिये बातचीत करने से पहिले कोयला कमिश्नर से अनुमति लेनी पड़ती है । कोयला कमिश्नर को यह अधिकार है कि वह देश की यातायात सम्बन्धी स्थिति को देखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कोयला बाहर भेजने से देश में कोयले की स्थिति पर बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा चाहे तो कोयले के निर्यात की अनुमति दे दे चाहे न दे । मूल्य की अनुमति देना भी कोयला कमिश्नर के हाथ में है । वह पहिले इस बात की जांच कर लेता है कि नियंत्रित मूल्य सम्बद्ध खान को दे दिया जायेगा और बाकी अधिभार के रूप में सरकार को दे दिया जायगा या नहीं । जब उसे इस बात का संतोष हो जाय कि आवश्यक उपचार पूरे कर दिये गये हैं और प्रत्यय स्थापित कर लिया गया है तब परमिट जारी कर दिया जाता है ।

श्री वी० पी० नायर : सदन पटल पर रखे गये विवरण में यह दिया हुआ है कि दक्षिणी कोरिया को ४५,५४९ टन कोयला भेजा गया था । मैं यह जान सकता हूं कि क्या दक्षिणी कोरिया को पहिले कोयले का निर्यात किया गया था ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह पहिली बार ही दक्षिणी कोरिया को कोयला निर्यात किया गया था ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार कोयले को युद्ध सामग्री समझती है जिसकी युद्ध अथवा युद्ध का सामान तैयार करने वाले उद्योगों में आवश्यकता होती है ?

श्री के० सी० रेड्डी : सरकार कोयले को युद्ध सामग्री नहीं समझती ।

श्री वी० पी० नायर : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री के कार्यालय से यह बताया गया है कि कोयले का निर्यात करना व्यापारियों का काम है और सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है ?

श्री के० सी० रेड्डी : व्यापारी तो एजेन्सी के रूप में है, इनके द्वारा तो निर्यात करवाया जाता है ।

पार-पत्र प्रणाली

*४०१. **श्री एस० एन० दास** : (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पार-पत्र प्रणाली को जारी करने के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा पाकिस्तान सरकार को क्या निश्चित सुझाव दिये गये थे, जिससे कि पाकिस्तान तथा भारत को आने तथा जाने वाले व्यक्तियों को कठिनाई न हो और जो सुझाव पाकिस्तान सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिये गये थे ?

(ख) क्या यह सत्य है कि भारत सरकार पश्चिमी तथा पूर्वी बंगाल के बीच चौकियों (चेक पोस्ट्स) की संख्या बढ़ाना चाहती थी और क्या पाकिस्तान सरकार ने यह बात स्वीकार नहीं की ?

(ग) वे महत्वपूर्ण बातें कौन सी हैं जिनके सम्बन्ध में भारत द्वारा बनाये गये विनियम पाकिस्तान द्वारा बनाये गये विनियमों से भिन्न हैं ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) माननीय सदस्य का ध्यान १३-११-१९५२ को श्री एन० एल० मिश्र द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २६३ के दिये गये उत्तर की ओर दिलाया जाता है ।

(ख) जी हां, केवल पूर्वी बंगाल तथा पश्चिमी बंगाल के बीच ही नहीं, अपितु एक ओर तो पूर्वी बंगाल तथा दूसरी ओर आसाम तथा त्रिपुरा के बीच भी ।

(ग) दोनों योजनाओं के बीच मुख्य भेद ये हैं :—

(१) पाकिस्तान योजना में पाकिस्तान नागरिकता नियम, १९५२ के नियम १२ अथवा २० के अन्तर्गत दिये गये नागरिकता प्रमाण-पत्र द्वारा पाकिस्तान में स्थाई रूप से बस जाने का उपबन्ध है । चूंकि भारत में अभी तक नागरिकता कानून पारित नहीं किया गया है, इसलिये भारत सरकार ने पाकिस्तान स्थित भारतीय दूतावास द्वारा जारी किये गये प्रव्रजन प्रमाण पत्र के आधार पर भारत में प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों के आने का उपबन्ध किया है ।

(२) पाकिस्तान सरकार नाविकों के लिये कुछ विशेष सुविधायें चाहती थी जिन्हें कि भारत सरकार सीमित रूप में ही दे सकेगी ।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि जब से पार-पत्र प्रणाली चलायी गयी है, क्या सरकार इस विषय में पाकिस्तान की जनता में जो प्रतिक्रिया हुई है उसका पता लगा सकी है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मुझे खेद है कि सरकार के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे वह इस विषय में पाकिस्तान की जनता का जनमत जान सके ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : क्या इस पार-पत्र प्रणाली को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है ?

अध्यक्ष महोदय : इस वाद-विवाद के समय माननीय सदस्य उपस्थित नहीं थे ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ; किन्तु कुछ दिन पूर्व मैंने वाद-विवाद के दौरान में यह कहा था कि इसको समाप्त कर देने से हमें प्रसन्नता ही होगी । हम इस बात से सहमत नहीं थे

कि इसे कुछ दिन के लिये स्थगित किया जाय ; किन्तु यदि इसे पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाय तो हम इस बात का स्वागत करेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

पंडित एल० के० मैत्रा : श्रीमान्, क्या में एक प्रश्न पूछ सकता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : इनमें से अधिकांश प्रश्न तो पूछे जा चुके हैं ।

पंडित एल० के० मैत्रा : माननीय मंत्री ने पाकिस्तान में एक भारतीय मिशन के बारे में कहा । मैं यह जानना चाहता था कि यह कैसे प्रकार का मिशन है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : भारतीय मिशन से अभिप्राय ढाका स्थित उप प्रधान प्रदेष्टा से है । यह हमारे विदेश कार्यालय का पारिभाषिक नाम है ।

दिल्ली की गृह निर्माण समितियों के लिये भूमि

*४०२. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : (क) **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि दिल्ली शहर में मकानों की कमी को दूर करने के निमित्त क्या सरकार ने सरकारी गृह निर्माण समितियों को दिल्ली में रियायती दरों पर भूमि देने का कोई प्रयत्न किया है ?

(ख) क्या बृहत्तर दिल्ली के सुयोजित विकास के लिये इन बातों के आधार पर कोई योजना बनाई गई है ?

(ग) कुछ समृद्धशाली व्यक्तियों के पास बहुत अधिक भूमि तथा मकान न रह सकें इस बात के लिये तथा निर्धन और मध्य श्रेणी के लोगों को राजधानी की सीमा में मकान बनाने के हेतु पर्याप्त सुविधायें देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने सैद्धान्तिक रूप से यह निश्चय किया है कि वह भूमि सम्बन्धी जो कुछ भी सीमित व्यवस्था कर सकेगी उस के अनुसार वह सहकारी गृह-निर्माण समितियों और विशेषकर मध्यवर्ग के लोगों को उचित शर्तों तथा भूमि विकास के खर्च को ध्यान में रखते हुए भूमि दी जाये ।

(ख) बृहत्तर दिल्ली की विकास योजना में सहकारी गृह-निर्माण समितियों को दिये जाने के लिये किसी भूमि-क्षेत्रों को निर्धारित करने का कोई विशेष उपबन्ध नहीं है; किन्तु सहकारी समितियों द्वारा भूमि दिये जाने के सम्बन्ध में जब मांगें की जाती हैं तो उन के गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ग) सहकारी समितियों द्वारा भूमि अर्जन को प्रोत्साहन देने के अतिरिक्त, जब प्लाट नीलाम किये जाते हैं तो सरकार प्लाटों के क्षेत्रफल को सीमित करती है और इस बात को भी देखने का प्रयत्न करती है कि एक व्यक्ति एक से अधिक प्लाट न ले सके ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार ने ऐसी समितियों को ऋण देने का प्रबन्ध भी किया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि इस के लिये कोई आवेदन पत्र आयेगा, तो सरकार उस के गुणावगुणों के आधार पर उस पर विचार करेगी ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : कितना ऋण दिया जा सकता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है, अभी तक ऐसा कोई आवेदन पत्र नहीं आया है ।

में नहीं बता सकता कि कितना ऋण दिया जा सकता है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । जब तक कि माननीय सदस्य का नाम लिया जाय, आप प्रश्न नहीं कर सकते हैं । आप अध्यक्ष का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने का प्रयत्न करें और तब आप का नाम पुकारा जायेगा ।

श्री विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि सुधार प्रन्यास द्वारा उन के घरेलू सामान को अधिग्रहण कर लिये जाने के परिणाम स्वरूप उपनगरीय क्षेत्रों के बहुत अधिक व्यक्ति बेघरबार के हो गये हैं और उन के पुनर्वास के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किये गये हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : दिल्ली प्रन्यास सुधार का प्रशासन दिल्ली राज्य सरकार का कार्य है । किन्तु यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । यदि माननीय सदस्य को यह सूचना चाहिये तो मैं दिल्ली प्रशासन से इस सूचना को प्राप्त कर सकता हूं ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार ने इन समितियों को ऋण देने के सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : हमारे पास कुछ धन है जिसे हम सहकारी गृह निर्माण समितियों को प्रोत्साहित करने के लिये खर्च कर सकते हैं । किन्तु, दुर्भाग्यवश, कोई सहकारी गृह-निर्माण समिति नहीं बनी है । यह ठीक है कि कुछ लोग मिल कर एक संस्था सी बना लेते हैं । किन्तु जब तक कि यह वास्तविक रूप से सहकारी न हो तब तक सरकार के लिये इसे भूमि देने तथा ऋण के रूप में आर्थिक सहायता देने सम्बन्धित दावे पर, विचार करना कठिन है ।

श्री गिडवानी : क्या सरकार को यह विदित है कि दिल्ली में बहुत सी गृह-निर्माण समितियां बन गई थीं, बाद में उन्हें ऋण नहीं दिया गया और इस कारण वे बन्द कर दी गईं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मुझे खेद है कि जिन समितियों का माननीय सदस्य उल्लेख कर रहे हैं वास्तव में वे सहकारी समितियां नहीं हैं । बहुत सी संस्थायें बनाई गईं थीं; किन्तु एक संस्था तथा सहकारी समिति में अन्तर है ।

श्री गिडवानी : क्या सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत पंजीबद्ध थीं या नहीं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : जब तक आप किसी संस्था का उल्लेख न करें, मैं उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : दिल्ली में मज़दूरों के लिये सहकारी आधार पर गृह-व्यवस्था करने के लिये सरकार क्या कार्यवाहियां कर रही है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : यदि मजदूरों से माननीय सदस्य का अभिप्राय औद्योगिक मजदूरों से है तो औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना में औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समितियां भी निश्चित रूप से सम्मिलित हैं तथा औद्योगिक मजदूरों की सहकारी समितियां औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना के अन्तर्गत आ जाती हैं जिस के सम्बन्ध में मैंने उस दिन एक लम्बे प्रश्न का उत्तर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न; श्री, सहगल, संख्या ४०४ ।

सरदार ए० एस० सहगल : श्रीमान् जी ४०३ ।

अध्यक्ष महोदय : संख्या ४०३ को छोड़ दिया गया है । संख्या ४०४ ।

हीराकुड बांध परियोजना के सम्बन्ध में जांच

*४०४. **सरदार ए० एस० सहगल:** (क) **सिंचाई तथा विद्युत** उपमंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार के कुछ अधिकारियों ने हीराकुड परियोजना के कार्य के सम्बन्ध में जांच की ?

(ख) सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय के सचिव ने, जिन्हों ने उस स्थान पर जा कर जांच की थी, क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

(ग) क्या नदी घाटी परियोजना में तथाकथित वित्तीय तथा इंजीनियरिंग अनियमितताओं, जिन के विषय में आलोचना की गई है, को हटा दिया गया है या नहीं ?

(घ) क्या यह सत्य है कि इस से पहले श्री जी० एम० मैकेलविक की अध्यक्षता में समिति नियुक्त की गई थी, और यदि ऐसा है तो उन्होंने क्या रिपोर्ट प्रस्तुत की है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग) तक सम्भवत: माननीय सदस्य उस जांच का निर्देश कर रहे हैं जिसे कि मंत्रालय के संयुक्त सचिव परियोजना में तथा कथित कुछ वित्तीय अनियमितताओं के सम्बन्ध में कर रहे हैं । यह जांच अभी पूरी नहीं हुई है । उन्हों ने लेखा प्रक्रिया पर एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिस की सरकार जांच कर रही है ।

(घ) हीराकुड बांध परियोजना पर विभागीय समिति की अन्तिम रिपोर्ट जिस के श्री मैकेलविक सदस्य थे, अभी तक सरकार को प्राप्त नहीं हुई है । समिति ने लेखा प्रक्रिया पर एक अन्तरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है और यह आशा की जाती है कि हीराकुड में चलाये जाने वाली लेखा प्रणाली के संशोधित रूप के विषय में शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

श्री जांगड़े: क्या मैं जान सकता हूं कि हीराकुड प्रोजैक्ट की एक्टिविटी के देखने के लिये हीराकुड कंट्रोल बोर्ड और हीराकुड डैवलपमेंटएड वाइजर्री बोर्ड जो निर्मित हुई है, उसके क्या क्या कार्य अभी तक हुए हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह तो एक विस्तृत अनिश्चित तथा बड़ा साधारण सा प्रश्न है । क्या आप को किसी विशेष बात पर कोई प्रश्न पूछना है ?

श्री जांगड़े : पिछले सत्र में पूछे गये मेरे प्रश्न के उत्तर में यह बताया गया था कि एक हीराकुड नियंत्रण बोर्ड तथा एक हीराकुड विकास परामर्शदाता बोर्ड बनाये गये हैं । अत: मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु यह प्रश्न तो बहुत अनिश्चित सा है ।

श्री वी० पी० नायर : किन विशेष बातों पर अब ये जांच हो रही हैं ?

श्री हाथी : मैकेलविक समिति ने लेखा प्रक्रिया के विषय में जांच की थी । इसी विशेष बात की समिति ने जांच की थी ।

श्री मेघनाद साहा : आंक समिति द्वारा हीराकुड परियोजना तथा भाकरा-नंगल परियोजना के सम्बन्ध में लगाये गये गम्भीर आरोपों तथा सदन में दिये गये भाषणों को ध्यान में रखते हुए, क्या सरकार का विचार यह नहीं है कि संसद् के गैर सरकारी सदस्य भी इन जांच कार्यों में सम्मिलित हों ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या मजूमदार समिति की रिपोर्ट उपलब्ध है तथा क्या वह सदन पटल पर रख दी जायेगी ?

श्री हाथी : वह सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

श्री टी० एन० सिंह : मैं जान सकता हूं कि संविधान के अनुच्छेद १५१ के अन्तर्गत

क्या सरकार के लिये लेखा कार्य में परिवर्तन करने से पूर्व महालेखा परीक्षक से परामर्श करना तथा उस की स्वीकृति लेना आवश्यक है, और क्या इस मैकेविलक समिति की रिपोर्ट के पश्चात् सरकार ने इस पर विचार किया है कि महालेखा परीक्षक की स्वीकृति मिल जाने के पश्चात् .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति; माननीय सदस्य एक विधि सम्बन्धी मामले पर राय पूछ रहे हैं । अगला प्रश्न ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मुझे एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना है ।

अध्यक्ष महोदय : होगा, किन्तु अब मैं अगले प्रश्न को लेता हूं ।

एकस्व जांच समिति रिपोर्ट

*४०६. **श्री बंसल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एकस्व जांच समिति द्वारा प्रस्तुत की गई अन्तिम रिपोर्ट में की गई सिपारिशों की जांच की है; तथा

(ख) क्या उन सिपारिशों पर कोई कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) समिति की अन्तरिम रिपोर्ट में की गई सिपारिशों पर कार्यवाही की गई है और १९५० का भारतीय एकस्व तथा प्ररचना (डिज़ाइन्स) (संशोधन) अधिनियम अप्रैल १९५० में पारित किया गया था ।

श्री वी० पी० नायर : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि समिति की अन्तिम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जब कि १०,००० विदेशी एकस्व हैं, भारतीय एकस्व कुल ७०० हैं, तो क्या सरकार का विचार इस विदेशी एकाधिपत्य को हटाने का है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि विधेयक की चर्चा के दौरान में आप ने यह प्रश्न उठाया था ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वास्तव में बात यह मालूम पड़ती है कि हम भारतीय एकस्व बनायें और उन्हें व्यवहार में लायें, जिस से कि विदेशी तथा भारतीय एकस्वों के बीच समता हो सके ।

श्री वी० पी० नायर : मेरा अभिप्राय यह नहीं है । मैं तो यह जानना चाहता था कि क्या सरकार यहां विदेशी एकस्वों के एकाधिपत्य को हटाने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है, क्योंकि यह माना जाता है कि यह स्थानीय उद्योगों के लिये हानिकारक है ।

श्री करमरकर : हमारा विधेयक, जो कुछ दिन पूर्व कानून बन गया, उन कार्यों में से है जिससे कि विदेशी एकस्व समाप्त हो जायेंगे तथा मुझे याद है कि माननीय सदस्य ने उस का विरोध किया था ।

श्री के० के० बसु : क्या एकस्व जांच समिति द्वारा किसी प्रशासनीय परिवर्तन करने की सिपारिश की गई है ?

श्री करमरकर : इस पर विचार हो रहा है, और हम ने इस प्रशासनीय परिवर्तन को समिति की सिपारिश के अनुसार संशोधन के पुरःस्थापित करने के पश्चात् तक स्थगित कर दिया है ।

हिन्दुस्तान टेलीफोन केबुल फैक्टरी

*४०७. **श्री तुषार चटर्जी** : (क) क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे, कि हिन्दुस्तान टेलीफोन केबुल फैक्टरी में विनियोजित कुल अधिकृत पूंजी तथा भुगतान की गई कुल पूंजी कितनी है ?

(ख) इसमें से विदेशियों की कितनी है ?

(ग) इसमें यदि कोई है, तो भारत सरकार के स्वत्व कितने हैं ?

(घ) संयंत्र की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है तथा प्रतिवर्ष वास्तविक उत्पादन कितना है ?

(ङ) क्या इस फैक्टरी में कुछ विदेशी टैक्निशियन काम करते हैं और यदि ऐसा है, किन पदों पर ?

(च) इस फैक्टरी में बनाये गये तार को किस प्रकार प्रयुक्त किया जा रहा है।

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) हिन्दुस्तान केबुल्स लिमिटेड की अधिकृत पूंजी ३ करोड़ रुपये है। अब तक जितना धन विनियोजित किया गया है वह मालूम नहीं है। सितम्बर १९५२ के अन्त तक जितना व्यय किया जाना है वह २,४९,०३२ रुपये है।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) फैक्टरी की सारी पूंजी सरकार की होगी।

(घ) फैक्टरी की उत्पादन क्षमता लम्बाई में ४६९ मील प्रतिवर्ष होगी। आशा की जाती है कि उत्पादन १९५३ की तीसरी तिमाही में हो जायेगा।

(ङ) जी नहीं। टैक्नीकल परामर्शदाता इंग्लैंड के मैसर्स स्टैंडर्ड टेलीफोन केबुल्स, के टैक्नीशियन इस समय इमारतों तथा यंत्रों के बनाने और लगाने के कार्य का अधीक्षण कर रहे हैं।

(च) जैसा कि मैं ने भाग (घ) के उत्तर में कहा यह आशा की जाती है कि उत्पादन कार्य १९५३ की केवल तीसरी तिमाही में आरम्भ होगा। यह आशा की जाती है कि डाक तथा तार विभाग इस पूरे उत्पादन की अपने कार्यों में खपत कर लेगा।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि इस फैक्टरी के प्रबन्धक संचालक तथा महाप्रबन्धक कौन हैं और उन की योग्यतायें, विशेषकर टेलीफोन के तार बनाने के सम्बन्ध में, क्या हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस कम्पनी का प्रबन्धक संचालक कोई नहीं है। इस के महाप्रबन्धक श्री मित्तर हैं, और हमारी सूचना के अनुसार इस कार्य का पर्याप्त अनुभव है।

श्री के० के० बसु : इस फैक्टरी में लगाये जाने के लिये क्या किसी भारतीय को प्रशिक्षण के लिये विदेश भेजा गया है।

श्री के० सी० रेड्डी : स्टेंडर्ड टेलीफोन एण्ड केबुल फैक्टरी में प्रशिक्षण के लिये विदेशों में छै नवयुवक भेजे गये हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति: फैक्टरी में इस समय कितने विदेशी टैक्निशियन काम कर रहे हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस का उत्तर तो पहले ही दे दिया गया है ?

श्री सारंगधर दास : क्या इस से मैं समझूं कि महा प्रबन्धक को टेलीफोन के तारों को बनाने का विशेष अनुभव है।

श्री के० सी० रेड्डी : जी हां, श्रीमान्।

स्याही बनाने के कारखाने

*४०९. **श्री नम्बियार** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि पार्कर इनकार्पोरेटेड लिमिटेड को भारत में स्याही बनाने का कारखाना चलाने की अनुमति दे दी गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो किस स्थान पर यह बनेगा, यह उत्पादन कार्य कब आरम्भ करेगा तथा इस की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

(ग) इस की अधिकृत पूंजी तथा भुगतान की गई पूंजी कितनी है ?

(घ) क्या इस फर्म में भारतीय स्वत्व भी है और यदि ऐसा है तो भारतीय विनियोजन की प्रतिशतता कितनी है ?

(ङ) संचालकों के बोर्ड में क्या कोई भारतीय हैं और यदि हैं तो कौन कौन हैं ?

(च) क्या सरकार का विचार एक विवरण को, जिस में देश में भारतीयों के स्याही बनाने के कारखानों की संख्या, प्रत्येक में विनियोजित पूंजी तथा उन में से प्रत्येक की उत्पादन क्षमता दी हो, सदन पटल पर रखने का है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मैसर्स टी० ए० टैलर एण्ड कम्पनी, (मद्रास) लिमिटेड को कुछ शर्तों के अन्तर्गत इस अभिप्राय के निमित्त बनाई गई एक निजी लिमिटेड कम्पनी के द्वारा मैसर्स पार्कर पैन कम्पनी लिमिटेड, लंदन के साथ क्विक स्याही बनाने की अनुमति दे दी गई है ।

(ख) प्रस्तावित कारखाना मद्रास में स्थापित किया जायेगा । क्विक स्याही को बनाने वाली मशीन को भारत में १९५३ के मध्य तक आने की आशा है और उस के ठीक बाद उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है । इस कार्य के प्रथम वर्ष में २ औंस वाली १०,००० ग्रॉस शीशियां तैयार करने का अनुमान है ।

(ग) तथा (घ) । कम्पनी की पूंजी २ लाख रुपये होगी जो कि भारतीय तथा इंग्लैंड के फर्मों द्वारा १:२ अनुपात में दी जायगी ।

(ङ) जहां तक इस मंत्रालय को मालूम है, कम्पनी के संचालक श्री आर० के० मूर्थि तथा श्री नार्मन ब्यूफोर्ड हैं ।

(च) भारत में फाउन्टेन पैन की स्याही बनाने वाले लगभग ७० फर्म हैं । केवल २३ फर्मों की उत्पादन क्षमता के विषय में सूचना उपलब्ध है । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४४**] इन में जो पूंजी विनियोजित की गई है वह २५० रुपये से २ लाख रुपये तक है और इन में से अधिकांश कारखानों की पूंजी २०,००० रुपये से कम है ।

श्री नम्बियार : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि विवरण में यह दिया हुआ है कि भारतीय फर्मों द्वारा १५,८६,००० स्याही की शीशियां तैयार की जाती हैं, तो एक विदेशी फर्म को १०,००० शीशियां तैयार करने की अनुमति देने की क्या आवश्यकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : विवरण से माननीय सदस्य ने जो निष्कर्ष निकाला है वह ठीक नहीं है । उस में उत्पादन क्षमता दी हुई है और दुर्भाग्यवश देश में उत्पादन क्षमता से सदा तैयार किये गये माल से अभिप्राय नहीं होता ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या इस विदेशी फर्म को स्याही बनाने की अनुमति देने से पूर्व सरकार ने किसी भारतीय फर्म के साथ इस विषय में कोई बात चीत की ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सरकार कोई बातचीत नहीं चलाती ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि स्याही उद्योग द्वारा बनाई गई स्याही को ठीक स्याही समझे जाने से पहले १०, १५ वर्ष तक इस की जांच की जायेगी, जो कि काग़ज़ पर लिखे जाने पर बनी रहेगी ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह तो सम्मति का विषय है, और मैं कोई विशेषज्ञ नहीं हूं । मैं तो केवल यही जानता हूं कि जब कभी मैं इस देश में बनी स्याही खरीदता हूं तो वह मेरे पैन में लगी रह जाती है और मैं इस से लिख नहीं सकता ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को मालूम है कि देशी स्याही बनाने वालों की दशा बहुत बुरी है और इस से दशा और बुरी हो जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इस के उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

श्री नम्बियार : सरकार ने इस उपभोक्ता सामान उद्योग के लिये विदेशी विनियोजकों को क्यों बुलाया जब कि देश में पर्याप्त स्याही बनती है ?

अध्यक्ष महोदय : आप पूरे प्रश्न पर फिर से तर्क कर रहे हैं । यह प्रश्न को पूछने का एक दूसरा तरीका है ।

श्री केलप्पन : मैं जान सकता हूं कि इस उद्योग में कितने विदेशी फर्म हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं ने यहां सूची रख दी है जिसे माननीय सदस्य देख सकते हैं । मैं नहीं जानता कि इन में कितने विदेशी हैं और कितने भारतीय हैं ।

मिठाई (कान्फैक्शनरी) बनाने के कारखाने

*४१०. **श्री नम्बियार** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मैसर्स कैडबरी लिमिटेड को भारत में एक फैक्टरी चलाने की अनुमति दे दी गई है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो यह कहां स्थापित होगी, इस में उत्पादन कब आरम्भ होगा और इस की उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

(ग) इस की अधिकृत पूंजी तथा भुगतान की गई पूंजी कितनी है ?

(घ) क्या इस फर्म में कोई भारतीय स्वत्व भी है और इस में भारतीय विनियोजन की प्रतिशतता कितनी है ?

(ङ) इस बोर्ड में कोई भारतीय संचालक हैं, यदि हैं तो कौन कौन हैं ?

(च) गत वर्षों में भारत में मिठाइयों का कुल उपभोग कितना हुआ, इस में कितनी भारत में बनाई गई थीं और कितनी आयात की गई थीं और आयात का मूल्य कितना था ?

(छ) भारत में मिठाई बनाने वाली बड़ी फैक्टरियां कौन सी हैं, उन में से प्रत्येक में कितनी पूंजी विनियोजित की गई है और उन की कुल उत्पादन क्षमता कितनी है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, दिसम्बर १९४८ में ।

(ख) फैक्टरी तो बम्बई में पहिले ही स्थापित कर दी गई हैं और इस समय चाकलेट, कोको पाउडर तथा बॉर्नविटा बना रही है । कोका फलियों से चाकलेट बनाने की उस की प्रस्तावित क्षमता लगभग ४५० टन प्रति वर्ष होगी और कोका पाउडर की लगभग २५० टन होगी ।

(ग) कम्पनी की अधिकृत पूंजी २० लाख रुपय है जो ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्ण रूप से भुगतान कर दी गई है ।

(घ) हम समझते हैं कि उस में भारतीय विनियोजन की प्रतिशतता ३५·०६ है ।

(ङ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(च) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(छ) उसी प्रकार का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ङ) से (छ). [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४५**]

श्री नम्बियार : विवरण से यह मालूम देता है कि १९४९ का कुल अनुमानित उपभोग ७३८ टन था, जब कि १९५०/५१ में यह

१०,८९५ टन है। क्या मैं इतने बड़े अन्तर का कारण जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य किस विवरण का निर्देश कर रहे हैं ?

श्री नम्बियार : भाग(च) के उत्तर से सम्बन्धित विवरण का ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि यह गलती है। मैं समझता हूं कि यह लगभग ९,७३८ टन है। मुझे इस गलती के लिये खेद है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इस फर्म के साथ करार किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय सदस्य प्रक्रिया से परिचित नहीं हैं। सरकार कोई करार नहीं करती है। वे इन के बनाने के लिये सरकार से अनुमति मांगते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। उद्योग (विनियम तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत कुछ अनुसूचित उद्योगों को अनुज्ञप्ति दात्री (लाइसेंसिंग) समिति से लाइसेंस लेने पड़ेंगे। अन्यथा इस प्रकार के आवेदन पत्र सरकार के पास आते हैं और वे सचिव समिति नामक समिति के पास भेज दिये जाते हैं। वह प्रत्येक आवेदन पत्र की जांच करती है और इस विशेष फर्म के सम्बन्ध में अथवा किसी अन्य फर्म के सम्बन्ध में वह कुछ शर्तें लगा देती है, अथवा बिना शर्तों के अनुमति दे देती है। अतः इस में सरकार द्वारा किसी को यहां बुलाने तथा फैक्टरी आदि चलाने के लिये कहने का प्रश्न ही नहीं है ।

श्री नम्बियार : जब कि यह एक विदेशी फर्म को लाइसेंस देने का प्रश्न है, और जब इन चीज़ों को बनाने वाले बहुत से भारतीय फर्म हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि इस विदेशी फर्म के लाइसेंस के क्या निबन्धन और शर्तें ह ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : लाइसेंस की कोई शर्तें नहीं हैं। फर्म लाइसेंस मांगते हैं। यदि यह उद्योग (विनियम तथा विकास) अधिनियम के अन्तर्गत होता है तो शर्तें उस में दी होती हैं। अन्यथा उन्हें केवल अनुमति दी जाती है। यह प्रश्न तो माननीय सदस्य की कुछ धारणाओं पर आधारित है, जो मैं समझता हूं ठीक नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सामान्य प्रथा या प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य इस विशेष मामले में दिये गये लाइसेंस की शर्तें जानना चाहते हैं ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : १९४९ से यह फर्म लाइसेंस के लिये कई बार सरकार के पास आया, और मैं समझता हूं कि सब से बाद में सचिव समिति ने पुनः विचार किया और उस ने इस बात का आग्रह किया कि वह अपना उत्पादन इस देश में करे, और इस के लिये व्यादेश १९५२ से पहले दे देने चाहियें, तथा उत्पादन लगभग ७५० टन तक बढ़ा दिया जायेगा। इन शर्तों के साथ उसे अपना कार्य करने की अनुमति दे दी गई है ।

श्री नम्बियार : सदन पटल पर रखे गये विवरण से यह मालूम होता है कि नौ फैक्टरियां इन मिठाइयों को बना रही हैं, जिन में से अधिकांश विदेशियों की हैं। किसी विदेशी को क्यों अनुमति .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । माननीय सदस्य उस बात पर फिर तर्क कर रहे हैं ।

श्री **कलप्पन** : क्या यह विशेष उद्योग अनुसूचित उद्योग है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं श्रीमान्, यह नहीं है ।

श्री एम० ए० अय्यंगार : किसी विदेशी कम्पनी को लाइसेंस दिये जाने से पहले अथवा

इसे यहां फैक्टरी स्थापित करने से पूर्व क्या उसी प्रकार के सभी उद्योगों या फर्मों से, जो उसी प्रकार की चीज़ें बनाते हैं, इस बात का परामर्श किया जाता है कि वे और अधिक उत्पादन कर सकते हैं या नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अगर यह कोई बहुत बड़ी चीज़ होती तो हम अन्य उद्योगों से अवश्य परामर्श करते हैं, और यदि ऐसी बात नहीं होती है तो उद्योगपति इतने सतर्क रहते हैं कि वे इस बात का पता लगा ही लेते हैं कि किसी ने लाइसेंस के लिये आवेदन पत्र दिया है और वे सरकार को लिखते हैं तथा लाइसेंस दिये जाने पर आपत्ति करते हैं ।

यदि यह अनुसूचित उद्योग होता है, तो जब अनुज्ञप्ति दात्री समिति इस की जांच करती है, विभिन्न राज्य सरकारों से अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये कहा जाता है और यदि उनके पास किसी निजी उद्योग के सम्बन्ध में कोई सूचना होती है, तब उस सूचना पर विचार किया जाता है ।

श्री नम्बियार : क्या इस मामले में उद्योग-पतियों ने कोई आपत्ति उठाई थी ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि इस प्रकार किसी प्रश्न की छानबीन करने से कोई लाभ नहीं ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : इस चीज़ को बनाने वाली बहुत सी भारतीय फैक्टरियां हैं, क्या सरकार ने इस विदेशी फर्म के भारतीय फैक्टरियों पर होने वाले सम्भावित प्रभाव पर विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यह सम्मति का ही विषय है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं तो केवल यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने उस प्रभाव पर विचार किया है या नहीं .....

अध्यक्ष महोदय : यह तो तर्क ही है अथवा कार्य के लिये सुझाव है ।

श्री श्यामनन्दन सहाय : मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि इस बात पर विचार किया गया है .....

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री सारगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या यह मिठाई बनाने वाली कम्पनी, अर्थात् कैंडबरी कम्पनी पैरी अथवा मार्टन की तरह की मिठाइयां बनाती है अथवा केवल चाकलेट और कोको बनाती है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता हूं कि पूछे गये प्रश्न से यह पता चलता है कि कुछ थोड़ी सी मिथ्या भ्रान्ति है । शब्द कोष के अनुसार मिठाई में चाकलेट भी सम्मिलित हैं, देश में ऐसे मिठाई बनाने की फैक्टरीयां हैं जो कि सब से बढ़िया किस्म की मिठाई बनाते है; और अन्य फैक्टरियां चाकलेट बनाती हैं । जब माननीय सदस्य यह कहते हैं कि चाकलेट मिठाइयों से भिन्न होती हैं, तो उन की बात ठीक है । यह विशेष फर्म चाकलेट, कोको तथा 'बार्नविटा' नामक एक अन्य पेय बनाता है ।

पंडित एल० के० मैत्रा : क्या राज्य सरकार की सम्मति ली गई थी ?

श्री के० के० बसु उठ--

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । हम ने इस प्रश्न पर पहिले ही पांच मिनट लगा दिये हैं । अब मैं अगला प्रश्न लेता हूं ।

डीज़ल इंजनों का निर्माण

*४११. **श्री नाना दास**: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलान की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि एक भारतीय कम्पनी भारत में डीज़ल इंजनों के निर्माण कार्य को आरम्भ कर रही है ?

(ख) यदि ऐसा है तो वह कौन सी कम्पनी है, यह अपना उत्पादन कब आरम्भ कर देगी और इस की कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी ?

(ग) क्या इस में सब भारतीय पूंजी होगी, और यदि नहीं तो इस में कितने प्रतिशत विदेशी पूंजी विनियोजित है ?

(घ) इस भारतीय कम्पनी को और कौन सी विदेशी सहायता मिल रही है और किन समझौतों के अन्तर्गत ?

(ङ) गत तीन वर्षों में भारत में आयात किये गये डीज़ल इंजनों का कितना मूल्य था ?

(च) भारतीय कम्पनी कितनी विदेशी मुद्रा बचा लेगी ?

(छ) इस संयंत्र को चलाने में भारत सरकार यदि कोई सहायता दे रही है तो क्या सहायता दे रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) १५ भारतीय फर्म हैं जो डीज़ल इंजनों का निर्माण कर रहे हैं और ८ योजनाओं को सरकार ने स्वीकार कर लिया है। फर्म का विशेष ब्यौरा सदन पटल पर रखे गये विवरण में दिया हुआ है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४६**]

(ग), (घ) तथा (छ). इस विशेष कम्पनी का, जिस का माननीय सदस्य ने निर्देश किया, नाम न होने के कारण मांगी गई सूचना देना सम्भव नहीं। निस्सन्देह बहुत से भारतीय फर्मों ने विदेशी फर्मों के साथ टैक्नीकल बातें जानने के लिये एक विशेष अवधि के लिये अधिकार शुल्क निबन्धनों के अन्तगत टैक्नीकल समझौता किया है।

(ङ) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में क्रमशः ८६४ लाख रुपये, ६८३ लाख रुपये तथा १४७३ लाख रुपये।

(च) १९५२ में स्थानीय उत्पादन के आधार पर ५० लाख रुपये।

श्री नानादास : क्या यह सत्य है कि कलकत्ता की हिन्दुस्तान मोटर फ़ैक्टरी अपने संयंत्र को बढ़ाना चाहती है जिस से कि वह प्रति मास ३००० डीज़ल इंजन बना सके ? यदि ऐसा होतो, भारत सरकार उस संयत्र को चलाने में, यदि कोई सहायता दे रही है तो, क्या सहायता दे रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां श्रीमान्। हिन्दुस्तान मोटर कार्पोरेशन उन आठ फर्मों में से जिन की डीज़ल इंजन बनाने की योजनायें हैं और संयत्र की क्षमता भी, जिन्हें वे लगाना चाहते हैं, ३००० डीज़ल इंजन प्रति मास है, जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया। जहां तक सहायता देने का सम्बन्ध है, सरकार तो यही करती है कि प्राथमिक सहायता के रूप में उन को निर्माण करने की अनुमति देती है और दूसरे उन्हें कच्चा माल देती है जो उन्हें स्थानीय उत्पादित कच्चे माल में से मिलता है तथा विदेशों से कच्चे माल को आयात करने के लिये लाइसेंस भी दिया जाता है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में बनाये गये डीज़ल इंजनों के दूसरे देशों को निर्यात किये जाने की कोई सम्भावना है ? यदि ऐसा है, तो वह कौन से देश हैं जो हमारे देश के इंजनों को खरीद सकते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मझे खेद है कि सरकार ने इस बात की सम्भावना को जानने के सम्बन्ध में प्रयत्न नहीं किया है।

श्री नानादास : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में बनाये गये इंजन आयात किये गये इंजनों के प्रमाप स्तर के समकक्ष हो गये हैं तथा क्या १० एच० पी० डीजल-इंजन को सामान्य व्यक्ति खरीद सकता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे टैक्निकल परामर्शदाता ने, जो औद्योगिक परामर्शदाता (इंजीनियरिंग) कहलाता है, मुझे बताया

कि भारत में निर्मित इंजनों की और इंजनों के साथ तुलना की जा सकती है। जहां तक मूल्यों का सम्बन्ध है, भारत में बने इंजनों का मूल्य असुविधाजनक है। किन्तु मैं आपको यथार्थ आंकड़े नहीं बता सकता।

श्री के० के० बसु : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों में इन इंजनों की बहुत अधिक मांग है, क्या विशेष प्रकार के डीजल-इंजनों के निर्माण किये जाने की सम्भावना है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि माननीय सदस्य मुझे यह बता सकें कि वह विशेष प्रकार का इंजन कौन सा है तो मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूंगा।

श्री के० के० बसु : छोटा तथा सहज में ले जाने योग्य।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : छोटे इंजनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने का विचार है।

पंडित एल० के० मैत्रा : इस देश में डीजल इंजनों की सामान्य आवश्यकता कितनी है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि इस बात का ठीक अनुमान लगाना कठिन है। यह तो खरीदने वालों की इच्छा तथा मौसम और अन्य बातों पर निर्भर है जिनके विषय में मैं इस समय कुछ नहीं कह सकता।

निर्यात

*४१२. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन एशियायी तथा यूरोपियन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने वर्ष १९५०-५१ की तुलना में वर्ष १९५१-५२ में भारत से होने वाले अपने आयात को कम कर दिया है ?

(ख) उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

(ग) इन दो वर्षों में किन देशों ने भारत से सब से अधिक आयात किया ?

(घ) इन दो वर्षों में दूसरे देशों को कुल कितना निर्यात किया गया तथा उसका मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री करमरकर) : (क) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। **(देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४७)**

(ख) हमारे निर्यात में कमी के मुख्य कारण ये हैं :

(१) सूती कपड़े, तेल तथा तिलहनों जैसी कुछ मुख्य वस्तुओं के निर्यात पर १९५१ में कड़ा नियंत्रण।

(२) १९५१ के अन्त में व्यापार में सामान्य अवरोध।

(ग) इंग्लैण्ड तथा अमेरिका।

(घ) इंग्लैण्ड तथा अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों को किये गये हमारे कुल निर्यात का मूल्य इस प्रकार था :

१९५१-५२	४११.० करोड़ रुपये
१९५०-५१	३११.६ करोड़ रुपये

जहां तक मात्राओं का सम्बन्ध है, आंकड़ों के विवरण में भिन्न भिन्न मुद्राओं में मूल्य दिये होने के कारण अपेक्षित सूचना देना सम्भव नहीं है।

श्री एस० सी० सामन्त: मैं जान सकता हूं कि विवरण में उल्लिखित कितने देशों के साथ हमारा व्यापार करार है ?

श्री करमरकर : निर्यात के प्रश्न से अब यह व्यापार करार हो गया। श्रीमान् जी, मुझे खेद है कि मुझे इसकी पूर्वसूचना चाहिये।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या इन देशों द्वारा आयात में कमी

हमारे सामान के बुरे किस्म के होने के कारण हुई है ?

श्री करमरकर : जी नहीं श्रीमान् ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् जी, क्या मैं १९५०–५१ तथा १९५१–५२ के सम्पूर्ण व्यापार के सन्तुलना को जान सकता हूं ?

श्री करमरकर : यह सन्तोषजनक ही है ।

कोसी की बाढ़ के पानी का निकलना

*४१३. **श्री एल० एन० मिश्र** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५२ में कोसी नदी की बाढ़ का पानी गत चार वर्षों में उसी नदी की बाढ़ के पानी की तुलना में कितना निकला ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : वर्ष १९४८ से १९५२ तक छत्र घाटी (बारहक्षेत्र) में कोसी नदी का सर्वाधिक पानी इस प्रकार निकला:—

१३–७–१९४८	४,७८,४४४ कुसेक्स
१९–७–१९४९	३,७५,७१७ कुसेक्स
२०–८–१९५०	३,४०,६६१ कुसेक्स
२४–८–१९५१	२,५६,२८६ कुसेक्स
२४–९–१९५२	३,१०,००० कुसेक्स

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह सत्य है कि बिहार के दरभंगा तथा सहरसा जिलों में कुछ नये क्षेत्रों पर इस नदी का प्रभाव पड़ा है ?

श्री हाथी : श्रीमान् जी, १९५२ से बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का भू-परिमाप अभी तक पूरा नहीं हुआ है । किन्तु यह सत्य है कि कुछ क्षेत्रों पर इस का प्रभाव पड़ा ।

श्री एल० एन० मिश्र: मैं जान सकता हूं कि क्या नदी फिर पूर्व की ओर मुड़ गयी है ।

श्री हाथी: मुझे इस बात का पता नहीं है ।

पश्चिमी बंगाल में सामुदायिक योजनायें

*४१४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय पश्चिमी बंगाल की समुदाय विकास योजनायें किस अवस्था पर हैं;

(ख) क्या जिला विकास समितियां तथा योजना मंत्रणा समितियां बना ली गई हैं;

(ग) क्या मौके पर कार्य करने के लिये सामाजिक कार्य कर्ताओं की भरती की जा चुकी है तथा उन्हें प्रशिक्षण दिया जा चुका है; तथा

(घ) यदि हां, तो कितनों को ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) क्षेत्रों में प्रारम्भिक परिमाप के बाद, पश्चिमी बंगाल के लिये नियत किये गये आठ विकास खण्डों में काम शुरू हो गया है ।

(ख) तथा (ग) । अभी तक नहीं ।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि जिला विकास अधिकारी की स्थिति क्या होगी ?

श्री नन्दा : जिला विकास अधिकारी तो जिला विकास अधिकारी ही रहेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या पश्चिमी बंगाल में कोई उप-विकास आयुक्त नियुक्त किया गया है ? यदि किया गया है तो उसके कृत्य क्या होंगे तथा उसकी स्थिति क्या होगी ?

श्री नन्दा : श्रीमान्, मेरे पास इस सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है कि उप-विकास आयुक्त नियुक्त हुआ है कि नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं पश्चिमी बंगाल में हाथ में ली गई योजनाओं की संख्या जान सकता हूं ? उनसे कितने गांवों पर प्रभाव पड़ेगा ? क्या उत्तरी बंगाल में कोई केन्द्र खोला गया है ?

श्री नन्दा : वहां आठ विकास खंड है और उन आठों में काम शुरू कर दिया गया है ।

श्री के० के० बसु : क्या माननीय मंत्री को पता है कि उद्घाटन दिवस पर धूम धाम के अतिरिक्त लोगों में उत्साह उत्पन्न करने के लिये कोई विशेष बात नहीं की गई ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि क्या इन में से कुछ योजनाओं का कार्य असन्तोषजनक है क्योंकि वहां प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी है ?

श्री नन्दा : योजना सम्बन्धी कार्य करने के लिये कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और दिसम्बर के अन्त तक अपेक्षित योग्यता वाले कर्मचारी उपलब्ध हो सकेंगे ।

श्री टी० के० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल में इन योजनाओं के लिये मज़दूरों तथा अधिकारियों की भरती करने के लिये क्या व्यवस्था है ?

श्री नन्दा : सर्व प्रथम, भरती चुनाव (सलेक्शन) के आधार पर की गई है । उस प्रयोजनार्थ चुनाव (सलेक्शन) समितियां नियुक्त की गई थीं ।

श्री टी० के० चौधरी : क्या इसमें बंगाल सरकार का भी कोई हाथ है ? क्या भरती बंगाल सरकार द्वारा की जाती है ?

श्री नन्दा : जी हां, प्रारम्भ में भरती राज्य सरकार करती है किन्तु बाद में उसकी केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि की जानी होती है।

श्री नानादास : श्रीमान् जी, क्या मैं जान सकता हूं कि सामुदायिक योजनाओं में कौन कौन से विशेष टैक्नीक सम्मिलित हैं ?

श्री नन्दा : बहुत प्रकार हैं ।

पंडित एल० के० मैत्रा : क्या यह सत्य है कि राज्यों में इन योजनाओं में भरती करने के मामले में राज्य सरकारों का अधिक हाथ नहीं होता है और उन्हें उन लोगों को लेना पड़ता है जो केन्द्र द्वारा भेजे जाते हैं ?

श्री नन्दा : जो नहीं श्रीमान् ।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि जो व्यक्ति पहिले से ही नौकरी में लगे हुए हैं उनके स्थायी करने के मामले में क्या संघ लोक सेवा आयोग का हाथ होता है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति । मैं समझता हूं कि जहां तक सामुदायिक योजनाओं का सम्बन्ध है, यह तो सर्वविदित ही है कि ये योजनायें क्या हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मुझे पता लगा है कि संघलोक सेवा आयोग ने आवेदन पत्र मांगे हैं।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् जी, स्थानीय सरकार के अधिकारी भी इन योजनाओं से सम्बन्धित होंगे । मैं जान सकता हूं कि क्या जिलाधीश तथा विकास अधिकारी द्वारा दिये गये आदेशों के कारण कोई अनियमितता पैदा हो जायगी ?

श्री नन्दा : जी नहीं श्रीमान्, मुझे ऐसी किसी अनियमितता की आशंका नहीं ।

नमक की लाइसेंस प्रणाली

*४१५. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) उत्पादन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या नमक की लाइसेंस प्रणाली को समाप्त करने की आंक समिति की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया है ?

(ख) नमक संस्था की व्यवस्था तथा इस मामले में सरकारी फैक्टरियों के काम की जांच करने के हेतु नियुक्त की गई विभागीय समिति की सम्मति क्या है ?

(ग) किसी अन्तिम निर्णय पर पहुंचने में सरकार को कितना समय लगेगा ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी हां, किन्तु नमक विशेषज्ञ समिति

तथा नमक मंत्रणा समिति दोनों द्वारा दी गई विपरीत सम्मति के कारण अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है ।

(ख) लाइसेंस प्रणाली को चालू रखना अथवा उसे समाप्त करना विभागीय समिति की निर्देश्य शर्तों का भाग नहीं हैं ।

(ग) सरकार को आशा है कि वह शीघ्र ही अन्तिम निर्णय कर लेगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि विभागीय समिति ने अब तक कितने प्रदेशों का दौरा किया और उसने किन चीजों की जांच की है ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान् जी मैं कोई विस्तृत उत्तर नहीं दे सकता । किन्तु मैं समझता हूं कि समिति ने अपनी राय देने से पहिले सभी स्थानों का दौरा किया होगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने पहरा तथा प्रतिपालन (वाच एण्ड वार्ड) विभाग के कर्मचारियों को रखने के सम्बन्ध में आंक समिति की सिफारिशों पर विचार किया है ? सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह एक सर्वथा भिन्न प्रश्न है, किन्तु मुझे ऐसा याद है कि प्रश्न में निर्दिष्ट विभाग को समाप्त करने वाली सिफारिश को स्वीकार करने में सरकार असमर्थ रही ।

श्री नानादास : श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह एक सारभूत उद्योग है, क्या सरकार का विचार नमक उद्योग के राष्ट्रीयकरण करने का है ?

श्री के० सी० रेड्डी : नहीं श्रीमान् जी ।

ट्रंकुबार नमक फैक्टरी

*४१६. **श्री वैलायुधन** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ट्रंकुबार नमक फैक्टरी में तय्यार किये गये नमक के बेचे जाने पर मनाही है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो इस प्रकार के प्रतिबन्ध के क्या कारण हैं ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) उस पर कोई सामान्य प्रतिबन्ध नहीं है, किन्तु १९५० में तैयार किये गये ४४,००० मन को घटिया किस्म का होने के कारण बिक्री के लिये नहीं दिया गया था ।

(ख) भारत सरकार द्वारा १९५० में मानव उपभोग के लिये निर्धारित निम्नतम स्तर यह है कि नमक में ९३ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड होना चाहिये । १९५२ में ट्रंकुबार फैक्टरी में जो नमक तय्यार किया गया उसमें केवल ९१.३७ प्रतिशत सोडियम क्लोराइड पाया गया जो कि निर्धारित स्तर से कम है ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान् जी, क्या मैं जान सकता हूं कि नमक की इस विशेष मात्रा को प्रयोगशाला में भेजा गया था तथा उसकी वहां परीक्षा की गई थी तथा क्या उसके बाद इस निर्णय की घोषणा की गई थी ?

श्री के० सी० रेड्डी : श्रीमान् केवल उचित परीक्षा के बाद ही यह निर्णय किया गया था ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान् जी क्या मैं जान सकता हूं कि उसी प्रकार के नमक का प्रयोग लोग पहिले नहीं करते थे ?

श्री के० सी० रेड्डी : 'पहिले' से आपका क्या मतलब है ?

अध्यक्ष महोदय : किस तिथि से पूर्व ?

श्री वैलायुधन : पूर्व वर्षों में भी उसी किस्म का नमक भेजा जाता था ।

श्री के० सी० रेड्डी : पूर्व वर्षों में ? यदि माननीय सदस्य १९४९ अथवा १९५० का निर्देश कर रहे हैं, तो सम्भवत: ऐसा था । किन्तु अब हम धीरे-धीरे नमक की किस्म को

बढ़ा रहे हैं। १९५२ के लिये हमने आरम्भ में ९४ सोडियम क्लोराइड निर्धारित किया था, किन्तु बाद में नमक निर्माताओं के बहुत से अभ्यावेदनों के कारण हमने घटा कर इसे ९३ प्रतिशत कर दिया।

श्री वेलायुधन: श्रीमान् जी, मैं जान सकता हूं कि क्या नमक की कोई निर्धारित किस्म है जिस पर सरकार ने अब निर्णय कर लिया है ?

श्री के० सी० रेड्डी: जी हां, श्रीमान्। मैंने उसका पहिले ही उत्तर दे दिया है। वर्ष १९५२ के लिये सोडियम क्लोराइड ९३ प्रतिशत होना चाहिये।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

हट्टी के सोने की खान में हड़ताल

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी: क्या श्रम मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हैदराबाद राज्य में रायचूर जिले में हट्टी की सोने की खानों के मजदूरों तथा अधिकारियों के बीच झगड़े को तय करने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है;

(ख) क्या यह हड़ताल मजदूरों द्वारा अथवा किसी संगठित श्रम संघ द्वारा करवाई गई है, तथा

(ग) इस हड़ताल के क्या कारण हैं तथा और उन्हें कहां तक हल कर लिया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां; नागपुर तथा हैदराबाद में स्थित केन्द्रीय सरकार के समझौता करने वाले अधिकारियों ने समझौते द्वारा मामले को आपस में तय कराने का प्रयत्न किया।

(ख) ऐसा मालूम पड़ता है कि वहां हड़ताल नहीं की गई, किन्तु हैदराबाद सोने की खान के श्रम संघ ने खानों में धरना दिया और इस प्रकार मज़दूरों को खानों में जाने से रोका। ऐसा समझा जाता है कि मालिकों ने १५ अक्टूबर १९५२ से उसके बन्द कर देने की घोषणा कर दी, किन्तु नवीनतम प्राप्त सूचना के अनुसार खान के अन्दर जमीन के नीचे काम करने वाले मज़दूरों ने ११ नवम्बर, १९५२ को बिना शर्त के काम आरम्भ कर दिया और ऐसी आशा की जाती थी कि मिल तथा धरातल पर काम करने वाले मज़दूर १३ नवम्बर, १९५२ को अपना कार्य आरम्भ कर देंगे।

(ग) एक विवरण, जिसमें संघ द्वारा की गई मांगें दी हुई हैं, सदन पर रखा जाता है। समझौता कराने पर कुछ बातों के विषय में समझौता हो गया था, और श्रम संघ इस बात को मान गया कि वह इस समय अपनी कुछ मांगों के लिये आग्रह नहीं करेगा। विवरण में यह भी दिया हुआ है कि किन मांगों के बारे में आग्रह नहीं किया गया था अथवा किन के बारे में समझौता हो गया था। शेष मांगों के बारे में कोई समझौता नहीं हुआ। सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यदि कोई कार्यवाही करनी चाहिये तो कौन सी अग्रेतर कार्यवाही करनी चाहिये।

विवरण

हैदराबाद सोने की खानों में श्रम संघ द्वारा की गई मांगें तथा वे मांगें जिन पर या तो समझौता हो गया था अथवा जिन्हें श्रम संघ ने छोड़ दिया था

(१) अस्थायी मकान बनाने चाहियें जिससे कि उन सब मज़दूरों को जिनके पास मकान नहीं हैं, आवास स्थान मिल सके और इस प्रकार इस समय मज़दूरों की मकान समस्या दूर हो जायगी।

श्रम संघ कम्पनी के निर्णय की प्रतीक्षा करने की बात को मान गया।

(२) सभी कर्मचारियों को जीवन निर्वाह देशनांक के अनुसार महंगाई भत्ता मिलना चाहिये ।

(३) मज़दूर बस्तियों में बिजली के प्रकाश का (सड़कों तथा मकानों में बिजली) प्रबन्ध होना चाहिये; यदि ऐसा करना सम्भव नहीं है तो प्रत्येक कर्मचारी को दो बोतल मिट्टी का तेल प्रतिमास निःशुल्क मिलना चाहिये ।

(४) मज़दूरों को जलाने की लकड़ी तथा कोयला ५० प्रतिशत रियायती दामों पर मिलना चाहिये ।

(५) मज़दूरों से अब जो थोड़ा सा मकान का किराया लिया जाता है उसका लेना बन्द कर दिया जाय ।

(६) खान के अन्दर जमीन के नीचे के वाले विभाग में मिस्त्रियों, हेड मिस्त्रियों, बैंक्समैन (देखभाल करने वाले), मशीन मिस्त्रियों के सभी वर्गों और अन्य विभागों के ऐसे ही वर्गों के वेतन क्रम में १२ आने और बढ़ा देने चाहियें ।

(७) सभी मासिक वेतन प्राप्त कर्मचारियों को सामान, अर्थात् कम से कम एक कुर्सी, एक मेज तथा एक खाट मिलनी चाहिये ।

(८) वर्त्तमान योजना अथवा भविष्य निधि अनिवार्य नहीं है तथा मालिकों द्वारा भविष्य निधि में अंशदान का हिसाब लगाने के अभिप्राय से महंगाई भत्ते को आधारभूत मंजूरी अथवा वेतन में मिला हुआ समझा जाय ।

(९) मज़दूरों द्वारा भविष्य निधि में दिये जाने वाले वर्त्तमान अंशदान को १० प्रतिशत और बढ़ा देने चाहिये और इस में भेदभाव को हटा देना चाहिये ।

श्रम संघ इस बात को मान गया कि जब तक कि वह इस मामले को तथ्यों तथा आंकड़ों के साथ संतोषजनक रूप से प्रस्तुत करे, वह इस मांग के लिये आग्रह नहीं करेगा ।

सड़कों पर अधिक बिजली का प्रबन्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्रम संघ प्रायः सन्तुष्ट था ।

श्रम संघ ने यह बात मान ली कि वह अनिवार्य भविष्य निधि की मांग पर आग्रह नहीं करेगा ।

(१०) शारीरिक निर्योग्यता तथा छटनी के मामले में प्रत्येक कर्मचारी को अन्य सेवा विमुक्ति के समय मिलने वाले उचित वेतनों, क्षतिपूर्ति आदि के अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा कम्पनी में की गई प्रत्येक एक वर्ष की सेवा के लिये एक महीने का आधारभूत वेतन अथवा मजूरी मिलनी चाहिये ।

श्रम संघ शारीरिक निर्योग्यता सम्बन्धी सहायता की मांग को अस्थायी रूप से वापिस लेने की बात को मान गया ।

(११) कैम्प में बढ़ती हुई जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए अच्छी प्रसूति सेवा तथा प्रसूति कल्याण के लिये प्रसूतिका गृह तथा एक लेडी डाक्टर (चिकित्सका) को रखने का प्रबन्ध होना चाहिये ।

प्रसूतिका गृह की मांग स्वीकार कर ली गई । श्रम संघ इस बात को मान गया कि लेडी डाक्टर को नियुक्त करने की तात्कालिक आवश्यकता नहीं है ।

(१२) (१) खान के अन्दर जमीन के नीचे काम करने वाले तथा उन अन्य विभागों के सभी कर्मचारियों को कपड़ा भत्ता मिलना चाहिये जहां उनके कपड़े गन्दे हो जाते हैं ।

(२) पहरा तथा प्रतिपालन (वाच एण्ड वार्ड) विभाग के कर्मचारियों को वर्दियां मिलनी चाहियें ।

(१३) इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि वहां पर गम्भीर दुर्घटनायें होती हैं, ऐसे व्यक्तियों को रायचूर अथवा हैदराबाद ले जाने के लिये एम्बुलेंस कार आवश्यक है ।

इस मांग पर आग्रह नहीं किया गया ।

(१४) वार्षिक वृद्धि तथा विशेष छुट्टी के मामले में चिकित्सा सम्बन्धी सहायता के कारण कोई रुकावट नहीं पड़नी चाहिये ।

(१५) यदि दुर्घटना (७ दिन) को हुए ८वां दिन हो गया हो और यदि वह कर्मचारी ठीक नहीं हुआ हो और इलाज के लिये अस्पताल गया हो तो अस्पताल में उसके दाखिल होने के दिन से उसे ३/४ वेतन दिया जाना चाहिये ।

वापिस ले लेने के समान ही है ।

(१६) एक ही व्यवसाय तथा वर्ग के मजदूरों के बीच मजूरी, मकान मिलने तथा अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होना चाहिये ।

प्रशासन ने इस बात को मान लिया है कि यदि इस प्रकार के मामलों की ओर उसका ध्यान दिलाया जायगा तो वह उन पर विचार करेगा ।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि कितने मज़दूरों को राज्य पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनमें से कितनों को अवैध हड़ताल करने या किसी अन्य विधि-विरुद्ध कार्य करने के कारण कारावास का दण्ड दिया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : मेरे पास ठीक ठीक आंकड़े नहीं हैं, किन्तु हमें यह मालूम है कि कुछ मजदूरों को दण्ड दिया गया है।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : क्या उनकी संख्या १०० से अधिक है या कम है ?

श्री वी० वी० गिरि : मैं यह नहीं बता सकता कि उनकी संख्या कितनी है। यह १०० हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : मैं यह जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय ने इस विषय की पूरी पूरी जांच करने के लिये कोई पदाधिकारी भेजा है या नियुक्त किया है; यदि नहीं तो क्या मंत्रालय का निकट भविष्य में ऐसा करने का विचार है ?

श्री वी० वी० गिरि : जिस समय यह विवाद उत्पन्न हुआ था उसी समय समझौता अधिकारी ने हस्तक्षेप करना चाहा था, किन्तु श्रम संघ का प्रधान हस्तक्षेप करवाना नहीं चाहता था। बाद में समझौता अधिकारी ने हस्तक्षेप किया था और उसके फलस्वरूप कतिपय मांगें स्वीकार कर ली गई थीं और कुछ मांगों के बारे में आग्रह नहीं किया गया था कुछ अब भी शेष हैं।

श्री शिवमूर्त्ति स्वामी : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि मंत्रालय को अभ्यावेदन करने पर भी खान एजेंसियों ने गृह-व्यवस्था तथा अन्य सुविधाओं की तो बात ही क्या मज़दूरों के एक भी कष्ट पर यहां तक कि उन्हें पानी पहुंचाने के प्रश्न पर भी विचार नहीं किया था ?

श्री वी० वी० गिरि : श्रीमान्, इस मंत्रालय में नहीं।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : श्रीमान्, मैं यह जान सकता हूं कि क्या तालाबन्दी के कारण स्थिति और अधिक खराब हो गई थी ?

श्री वी० वी० गिरि : हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, परन्तु सम्भवतः तालाबन्दी मज़दूरों के ही कारण हुई थी।

त्रिपुरा में पाकिस्तानियों द्वारा अनधिकृत प्रवेश

श्री गिडवानी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह विदित है कि पाकिस्तानी अनधिकृत रूप से त्रिपुरा के भारतीय प्रदेश में घुस आये;

(ख) क्या पाकिस्तानियों ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित खम्भों को उनके पहिले स्थानों से हटा कर त्रिपुरा के अन्दर कर दिया है और इस प्रकार त्रिपुरा का बहुत सा क्षेत्र घेर लिया है; तथा

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) तथा (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो भारत सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) सरकार को त्रिपुरा के मुख्य आयुक्त से यह समाचार मिला कि १० नवम्बर अथवा उसके लगभग पाकिस्तान पासपोर्ट पुलिस चेक स्टाफ (पारपत्र की जांच करने वाली पुलिस) हमारे कैलाशहर की सीमा में कैलाशहर के डिवीजनल कार्यालय द्वारा आपत्ति किये जाने पर भी १०० गज तक अनधिकृत रूप से घुस आये। शीघ्र ही पूर्वी बंगाल सरकार से इस बात की शिकायत की गई और उससे अपनी चौकी (चैक पोस्ट) को वहां से हटा लेने के लिये कहा गया।

(ख) तथा (ग). वहां पर सीमा के ठीक प्रकार से निश्चित न होने के कारण

अनधिकृत रूप से कुछ खम्भे लगा दिये गय थे। मई १९४९ में त्रिपुरा तथा पूर्वी बंगाल सरकारों ने यह बात मान ली कि ऐसे खम्भों को हटा दिया जाय। इस वर्ष नवम्बर के आरम्भ में शिलोंग में मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ, उसमें सन्तोषजनक बात हुई कि पूर्वी बंगाल तथा त्रिपुरा सरकारों के भूमि अभिलेखों (लैण्ड रिकॉर्ड्स) के संचालक आपस में मिले और वे ८ दिसम्बर १९५२ को त्रिपुरा तथा पूर्वी बंगाल के बीच सीमा निश्चित करने के काम को आरम्भ करने की बात को मान गये। उसमें यह बात तय हुई कि अनधिकृत खम्भों को दोनों संचालकों की संयुक्त देखरेख में हटा देना चाहिये।

इस समय अन्य कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

जम्मू तथा काश्मीर राज्य का प्रधान पद

श्री एन० सी० चटर्जी (डा० एस० पी० मुकर्जी की ओर से): (क) **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज प्रमुख के स्थान पर सदरे-रियासत, जो कि राज्य विधान-मण्डल द्वारा राज्य का प्रधान चुना जायगा, रखने के लिये जम्मू तथा काश्मीर राज्य की संविधान-सभा के निर्णय को दृष्टि में रखते हुए सरकार भारत के संविधान में संशोधन करने के हेतु क्या कार्यवाही करना चाहती है?

(ख) क्या जम्मू तथा काश्मीर की सरकार ने उन बातों को कार्य रूप में परिणित करना अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया है जिनका उल्लेख प्रधान मंत्री के काश्मीर सम्बन्धी उस वक्तव्य में किया गया था जो उन्होंने २४ जुलाई, १९५२ को भारतीय संविधान के निम्न विषयों से सम्बन्ध रखने वाले उपबन्धों के, उन में रूप भेद कर के या बिना किये, लागू किये जाने के सम्बन्ध में संसद् के समक्ष दिया था—(१) नागरिकता, (२) मूल अधिकार, (३) उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार, (४) वित्तीय एकीकरण, (५) भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३५२ (राष्ट्रपति के आपातिक प्रधिकार) को कार्यान्वित करना?

(ग) जम्मू तथा काश्मीर राज्य द्वारा ऐसे समझौते को कैसे तथा कब कार्यान्वित किया जायगा?

प्रधान मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) निम्नलिखित कार्यवाही की गई है:

(१) अनुच्छेद ३७० के खण्ड (१) की व्याख्या में "राज्य की सरकार" पद की परिभाषा में संशोधन करने वाली एक सार्वजनिक अधिसूचना जारी की गई।

(२) राष्ट्रपति ने भी एक आदेश निकाला है जिसमें यह कहा गया है कि उस राज्य पर लागू होने वाले संविधान के उपबन्धों में 'राजप्रमुख' शब्द का अर्थ सदरे-रियासत है; और उसमें कुछ और आनुषंगिक परिवर्त्तन किये गये हैं।

(३) राज्य की विधान सभा की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने युवराज करन सिंह को सदरे-रियासत मान लिया है; और युवराज करन सिंह ने अपना पद कार्य संभाल लिया है।

(ख) तथा (ग): भारत सरकार द्वारा जम्मू तथा काश्मीर सरकार के साथ किये गये समझौते के अनुसार ये कार्य किये गये हैं। मैंने गत सत्र में जबकि इस नियम पर संसद् में वाद-विवाद हो रहा था एक वक्तव्य के सम्बन्ध में यह समझौता सदन के समक्ष रखा है। जम्मू तथा काश्मीर राज्य की संविधान सभा ने एक संकल्प द्वारा इस समझौते की शर्तों को स्वीकार किया है। इस समझौते के एक भाग को जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार ने अपने पुराने संविधान में संशोधन करके लागू किया है। शेष भाग को अभी नये संविधान में, जिसे कि वहां की संविधान सभा बना रही है, सम्मिलित नहीं किया गया

है । यह निस्सन्देह नये संविधान में, जबकि इसे अन्तिम रूप दिया जायगा, सम्मिलित कर लिया जायगा । जम्मू तथा काश्मीर राज्य की सरकार के साथ कुछेक मामलों पर सविस्तार अग्रेतर विचार किया गया ।

श्री एन० सी० चटर्जी : श्रीमान् जी, हम जान सकते हैं कि क्या भारत के संविधान के अनुच्छेद ३२ के प्रवर्त्तन के सम्बन्ध में जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने अपनी स्थिति अन्तिम रूप से स्पष्ट कर दी है ? क्या उस सरकार ने भारत के उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों को लागू करने के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायाधिकरण के रूप में मान लिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : श्रीमान्, मैंने अभी कहा कि जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, जम्मू तथा काश्मीर राज्य की संविधान सभा द्वारा संविधान तय्यार नहीं किया गया है, किन्तु उस राज्य की संविधान सभा ने उस समझौते को मान लिया है जिसमें सदन के समक्ष प्रस्तुत इन उपबन्धों में से कुछ उपबन्ध सम्मिलित हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : जम्मू तथा काश्मीर राज्य के सदरे-रियासत के चुनाव अथवा नियुक्ति के कारण भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार तथा स्थिति किसी प्रकार से कम हो जायेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: नहीं श्रीमान्, वे बातें बिल्कुल वैसी ही रहेंगी जैसे कि वे पहिले थीं ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने भारत सरकार को यह बताया है कि वह किसी भी प्रकार अपनी स्थिति से हट जायगी अथवा पहिले ही की गई अपनी वाक्वद्धता से हट जायगी अथवा वह उन पर दृढ़ रहेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी नहीं । यदि उसने कुछ बताया है तो यह कहा है कि वह अपनी स्थिति पर दृढ़ रहेगी, और वह उन्हीं बातों पर चलेगी जिनको उसने पहिले सूत्रित किया और जिनके बारे में समझौता हो गया था ।

श्री एन० सी० चटर्जी : क्या प्रधान मंत्री का ध्यान समाचार पत्रों में प्रकाशित इन रिपोर्टों की ओर दिलाया गया है कि उस राज्य सरकारी इमारतों तथा किलों पर जम्मू तथा काश्मीर राज्य का नया झण्डा लगाया गया था ? हम जान सकते हैं कि क्या भारत संघ का झण्डा भी राज्य के झण्डे के साथ लगाया था अथवा भारत संघ के झण्डे को अमान्यता देकर राज्य का झण्डा लगाया गया था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: गत सत्र में एक वाद-विवाद के दौरान में यह बात बता दी गई थी । भारत संघ के झण्डे को अमान्यता देने का इसमें प्रश्न ही नहीं है । यह वहां लगाया जाता है । मैं यह नहीं कह सकता कि यह वहां कल लगाया गया था अथवा उससे पहिले दिन लगाया गया था । किन्तु इस में अमान्यता देने का तो प्रश्न ही नहीं है । सरकार ने इसे बिल्कुल स्पष्ट रूप से बता दिया है, और मैं समझता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य की संविधान सभा ने भी बता दिया है ।

श्री एन० सी० चटर्जी : हम जान सकते हैं कि क्या यह सत्य है कि क्या काश्मीर के महाराजा ने अपनी गद्दी छोड़ने तथा अपना शासन समाप्त कर देने के लिये कहा था यदि हैदराबाद के निज़ाम तथा भाग 'ख' राज्यों के अन्य राजप्रमुखों के साथ भी वैसा ही किया जाय ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे याद नहीं कि काश्मीर के महाराजा ने यह कहा था । उन्होंने यह पत्र व्यवहार में, मौखिक या अन्य प्रकार से कहा—मैं इसे नहीं जानता । काश्मीर के महाराजा ने हम से पत्र व्यवहार किया था, तथा वह अन्य मामलों की अपेक्षा

मिलने वाली निजी-थैली में अधिक रुचि रखते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी: क्या उस राज्य के सदरे-रियासत के चुनाव के कारण जम्मू तथा काश्मीर राज्य के साथ पृथक् रूप से विशेष व्यवहार किया जायगा, अथवा इस राज्य के प्रधान के साथ जो व्यवहार किया गया है वही अन्य राज्यों के राज्य प्रमुखों के साथ किया जायगा ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इस मामले में जम्मू तथा काश्मीर के साथ पृथक् रूप से व्यवहार किया गया है, क्योंकि यह एक बहुत विशेष तथा पृथक् मामला है । इन सब वर्षों में इसके साथ एक विशेष प्रकार से व्यवहार करना पड़ा जैसाकि संविधान के अनुच्छेद ३७० से मालूम होता है । राज प्रमुखों तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में अन्य राज्यों में क्या होगा उस पर बाद में विचार करना इस सदन का काम होगा ।

श्री वी० जी० देशपांडे : क्या सरकार का ध्यान उस शपथ की ओर दिलाया गया है जो कहा जाता है कि युवराज करन सिंह सदरे-रियासत ने ली, और क्या यह सत्य है कि उस शपथ में भारतीय संविधान का निर्देश नहीं था तथा उसके स्थान पर जम्मू तथा काश्मीर राज्य के संविधान का उल्लेख था ? यदि ऐसा है तो, मैं जान सकता हूं कि संविधान के अनुच्छेद १५९ के अन्तर्गत निर्धारित राज्यों के अन्य प्रधानों द्वारा ग्रहण की जाने वाली शपथ का पालन न करने का क्या कारण है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : वह शपथ संविधान सभा द्वारा तय्यार की गई थी । मैं समझता हूं कि यह संविधान सभा के प्रारूप का भाग था, और उस शपथ में उस राज्य के संविधान का उल्लेख है और इसका कुछ भाग निश्चय ही हमारे संघ के संविधान का है । इसमें कोई गलत बात नहीं है और न कोई विपरीत बात ही है, किन्तु यह बिल्कुल वैसी ही नहीं जैसी शपथ राज्यपालों अथवा राज प्रमुखों द्वारा ग्रहण की जाती है— यह ऐसे ही है जैसा कि अन्य मामलों में अन्तर है, अर्थात् राजप्रमुख के स्थान पर नाम सदरे-रियासत है ।

श्री सारंगधर दास : जहां तक मुझे याद है भारतीय राष्ट्रीय झण्डे को जम्मू तथा काश्मीर के झण्डे के साथ लगाया जाना था । यह या तो मौखिक रूप से तय हो गया था अथवा यहां दिये गये भाषणों से हो गया था । इसको दृष्टि में रखते हुए क्या सरकार के पास ऐसी सूचना है कि भारतीय राष्ट्रीय झण्डा जम्मू तथा काश्मीर के झण्डे के साथ लगाया गया था; और यदि ऐसा नहीं था तो क्या सरकार इस मामले पर जम्मू तथा काश्मीर सरकार के साथ बातचीत करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे वास्तव में मालूम नहीं कि कल श्रीनगर अथवा जम्मू में कौन से तथा कहां झण्डे लगाये गये थे । यह मैं नहीं बता सकता । किन्तु भारतीय राष्ट्रीय झण्डा महत्वपूर्ण अवसरों पर महत्वपूर्ण स्थानों पर लगाया जाता है ।

श्री एस० एस० मोरे : जम्मू तथा 'काश्मीर' के साथ जो विशेष व्यवहार किया जाता है क्या वह विभेदात्मक नहीं है जोकि हमारे संविधान के सिद्धान्तों के विपरीत है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । आप तो सम्मत्ति मांग रहे हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या माननीय प्रधान मंत्री सदन को यह आश्वासन दे सकेंगे कि राज्यप्रमुखों के स्थान पर सदरे-रियासत रखने की नीति से अन्य राज्यों में भी राज-प्रमुखों के समापन की दिशा में एक नया कार्य होगा ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । इसके उत्तर देने की आवश्यकता नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या भारत सरकार ने काश्मीर के महाराज को गद्दी से हटाने के विषय में कोई दबाव डाला था अथवा वह स्वेच्छापूर्वक हट गये थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मैं जानता हूं इसमें स्वेच्छापूर्वक या अन्य प्रकार से गद्दी छोड़ने का प्रश्न ही नहीं है । यह तो संविधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा किसी भी राज्य के प्रधान को, जिसे वह चाहें, मान्यता देने के सम्बन्ध में अपने अधिकार के प्रयोग करने का प्रश्न था ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या यह आवश्यक नहीं कि. . . (**अन्तर्बाधा**)

अध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि अब हम चर्चा कर रहे हैं और अनुपूरक प्रश्नों को इस उद्देश्य से बढ़ा रहे हैं कि अल्प सूचना प्रश्नों के समय में काश्मीर के विषय की चर्चा हो सके ।

अब हम अगले कार्यक्रम को लेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

*३९८. **श्री बीरेन दत्त** : (क) क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पार-पत्र प्रणाली आरम्भ किये जाने के बाद जो विस्थापित व्यक्ति त्रिपुरा में आये उनकी संख्या कितनी है ?

(ख) इन नये विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये कितना धन स्वीकार किया गया है ?

(ग) क्या नई बस्तियां बसाई गई हैं ?

(घ) यदि ऐसा है, तो कितनी बस्तियां और उनमें कितने व्यक्तियों को रहने की जगह दी गई है ?

(ङ) अभी कितने और व्यक्तियों को बसाया जाना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ङ) तक । सूचना ऐकत्रित की जा रही है तथा यथा समय में सदन पटल पर रख दी जायगी ।

कुवैत में भारतीय

*३९९ **श्री पी० टी० चाको** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुवैत में भारतीय रहते हैं;

(ख) यदि ऐसा है, तो उनकी संख्या कितनी है; तथा

(ग) क्या सरकार ने उनकी दशा के सम्बन्ध में कोई जांच की है, और यदि ऐसा है तो उसका क्या परिणाम है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) तथा (ख) । जी हां, इस समय कुवैत में लगभग १९६० भारतीय हैं ।

(ग) दिसम्बर १९४८ में एक भारतीय सद्भावना मण्डल कुवैत को भेजा गया था जिसे अन्य बातों के साथ वहां के भारतीयों की दशा की जांच करने का अनुदेश दिया गया था । उस मण्डल ने कुवैत आयल कम्पनी के भारतीय कर्मचारियों की कुछ शिकायतों के विषय में रिपोर्ट दी और उनके प्रतिकार के लिये कुछ सिफारिशें कीं । इस मामले में भारत सरकार ने उचित कार्यवाही की । वहां भारतीयों की दशा की जांच करने के हेतु अक्टूबर, १९५० से बग़दाद स्थित भारतीय राज दूतावास का एक उच्च अधिकारी समय-समय पर कुवैत जाता रहा है ।

पंचवर्षीय योजना

*४०५. **प्रो० अग्रवाल** : (क) **योजना मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या इस सत्र में संसद् के सदस्यों को पंचवर्षीय योजना की छपी हुई प्रतियां मिल सकेंगी ?

(ख) पंच वर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिये जनता का सहयोग प्राप्त करने में भारत सेवक समाज ने क्या प्रगति की है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) पंच वर्षीय योजना की साइक्लोस्टाइल की गई प्रतियां संसद् के सदस्यों को इसी सत्र में दे दी जायेंगी ।

(ख) भारत सेवक समाज ने कई राज्यों में कार्य करना आरम्भ कर दिया है ।

तम्बाकू साफ़ करने के लिये सिंगरानी का कोयला

*४०८. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : (क) **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत सरकार को आंध्र की विभिन्न तम्बाकू उगाने वाली संस्थाओं के ऐसे बहुत से आवेदन पत्र मिले हैं जिनमें सिंगरानी के कोयले की मांग की गई है ?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि उपरोक्त किस्म का कोयला तम्बाकू साफ करने के लिये सर्वोपियोगी है ?

(ग) तम्बाकू उगाने वालों की मांगों को पूरा करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) कोयला आयुक्त को ओंगोल की गुन्टूर डिस्ट्रिक्ट टुबेको ग्रोवर्स एण्ड क्योरर्स कोआपरेटिव सोसाइटी, लिमिटेड से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने कोयले के कोटे के अधिकांश भाग को सिंगरानी कोयले की खानों से दिये जाने के लिये कहा ।

(ख) तम्बाकू साफ करने के लिये अन्य कोयलों की उपयुक्तता की जांच किये बिना ऐसा कहना कठिन होगा ।

(ग) वर्तमान कार्यक्रम में ८४ प्रति शत कोटे के कोयले को सिंगरानी कोयले की खानों से दिये जाने का उपबन्ध है और शेष पश्चिमी बंगाल, बिहार तथा तालचर कोयले की खानों से दिया जायगा ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये मकान

*४१७. **श्री वैलायुधन** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिये नये मकान बनाने की कोई योजना है; तथा

(ख) यदि ऐसा है, तो कितने मकानों को बनाने की योजना है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) छोटे मकान, मकान तथा दुकानों को बनाने की एक योजना को वित्तीय वर्ष के आरम्भ में राज्य सरकार के परामर्श से अन्तिम रूप से तय्यार किया गया था ।

(ख)	छोटे मकान	८,०००
	मकान । फ्लैट्स	१,११०
	दुकानें	८९०
	कुल योग	१०,००० यूनिटें

लोहे के उत्पादन के लिये विश्व बैंक से सहायता

*४१८. **श्री वैलायुधन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार के लोहे के उत्पादन की वृद्धि के कार्यक्रम के लिये विश्व बैंक से कोई सहायता मिलने की सम्भावना है; तथा

(ख) भारत में लोहे का कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में जापान तथा जर्मनी के प्रस्ताव का क्या हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह प्रश्न तो कल्पनात्मक है । मैं इसका उत्तर नहीं दे सकता ।

(ख) एक जापानी उद्योगपति द्वारा एक ऐसा प्रस्ताव किया गया है। उस प्रस्ताव की जांच हो रही है।

भारतीय स्वामित्व वाली समाचार एजेंसियां

*४१९. **श्री एन० पी० सिन्हा :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री भारत में भारतीय स्वामित्व वाली समाचार एजेन्सियों की संख्या बतलाने की कृपा करेंगे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : जिन समाचारपत्रों को समाचार-पत्र तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम के अन्तर्गत घोषणा करनी पड़ती है उनसे भिन्न समाचार एजेन्सियों के मामले में इस अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन करना आवश्यक नहीं है और इसलिये ऐसी समाचार एजेन्सियों के सम्बन्ध में सरकार के पास कोई यथार्थ सूचना नहीं है।

सीमेंट के दाम

*४२०. **श्री बेली राम दास:** (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कलकत्ता, दिल्ली, बम्बई तथा गौहाटी में सीमेंट के क्या दाम हैं ?

(ख) क्या यह ठीक है कि सीमेंट के प्रत्येक बोरे में ११२ पौण्ड सीमेंट ही हो ?

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो आसाम में सीमेंट के बोरे में ९० पौण्ड सीमेंट क्यों होती है ?

(घ) इस असमानता का कारण क्या है ?

(ङ) आसाम को समान दर पर सीमेंट देने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कलकत्ता, दिल्ली तथा बम्बई में सीमेंट के उत्पादक रेल भाड़ा सहित इसे प्रति टन ७१ रुपये पर बेच सकते हैं और इसके अतिरिक्त उस पर पैकिंग व्यय भी लगता है। गौहाटी में, उस दूरस्थ स्टेशन को माल भेजने का जो वास्तविक भाड़ा होता है, वह इस मूल्य के अतिरिक्त होता है, वह भी लिया जाता है। माल को धरने उठाने तथा उस सम्बन्ध में होने वाले अन्य व्ययों, जिन्हें कि उत्पादक लेते हैं, के आधार पर सम्बद्ध सरकार फुटकर दाम निर्धारित करती है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) तथा (घ)। यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ङ) इस राज्य के किसी सीमेंट फैक्टरी से दूर होने तथा राज्य में यातायात की दशाओं के कारण पूरे राज्य में सीमेंट को समान दर पर देना असम्भव है।

कूटीर उद्योगों का विकास

*४२१. **श्री दाभी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री कुटीर उद्योगों को दी जाने वाली प्राथमिकता के सम्बन्ध में ८ जुलाई, १९५२ को मेरे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५६४ के उत्तर का निर्देश करने तथा उन ठीक तरीकों को बतलाने की कृपा करेंगे जिनके द्वारा सरकार ने निम्नलिखित कुटीर उद्योगों की उच्च प्राथमिकता दी है अथवा देने का विचार कर रही है :

(१) खादी; (२) घानी का तेल; (३) धान निकालना; तथा (४) अनाज को हाथ की चक्की से पीसना ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (१) खादी—एक "खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड" स्थापित करने का निश्चय किया गया है। यह बोर्ड खादी तथा ग्राम उद्योगों के विकास की देखभाल करेगा।

(२) घानी का तेल :

(क) भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति गांव के तेलियों की सहकारी समितियों के

संगठन के लिये विभिन्न राज्यों की योजनाओं को आर्थिक सहायता देती रही है ।

(ख) इसने वार्धा की बनी घानियों को, जो देशी घानियों से बढ़िया हैं, सर्वप्रिय बनाने के लिये कार्यवाही की है ।

(ग) तेलियों की सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता देने के लिये कुछ राज्य सरकारों को, जिनमें से प्रत्येक को २ लाख रुपये तक दिये जायेंगे, बिना ब्याज के ऋण देने की योजनाओं को स्वीकार कर लिया गया है ।

(घ) थोक माल बेचने वाली सहकारी समितियों को यह समिति आर्थिक सहायता देती है जिससे कि तिलहन के दामों में उतार-चढ़ाव का सामना किया जा सके ।

(ङ) गांव में तेल के कोल्हू में संगठन-कर्ताओं तथा बढ़इयों को प्रशिक्षण देने के लिये अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ, ग्राम उद्योग विभाग, मगनवादी, वार्धा के साथ विशेष प्रबन्ध किया गया है ।

(च) इस ग्राम उद्योग के हित में तिलहन समिति के कहने पर, भारत सरकार ने राज्य सरकारों से तेल की मिलों को विभेदात्मक रूप से स्थापित किये जाने को रोकने के लिये कहा ।

(छ) तेलियों को तेल मिलों की प्रतियोगिता से बचाने के लिये समिति ने सिफारिश की है कि राज्य सरकारें ऐसे तेलियों को बिक्री कर से मुक्त कर दें जिनके पास दो घानियां हैं ।

(ज) वर्त्तमान घानियों की उत्पादन क्षमता में सुधार करने के विचार से समिति ने ५,००० रुपये तक के इनाम की उस व्यक्ति के लिये घोषणा की है जो गांवों में प्रयुक्त घानी का सर्वोत्तम नमूना तय्यार करे ।

(झ) तथा (ञ) । धान निकालना तथा अनाज को हाथ की चक्की से पीसना । ग्राम-उद्योग बोर्ड, जिसकी ओर मैं पहिले निर्देश कर चुका हूं, धान निकालने, अनाज को हाथ की चक्की से पीसने के प्रश्न की, सहायता देने के विचार से जांच करेगा ।

दिल्ली में विस्थापित व्यक्तियों के लिए मकान

*४२२. **श्री बाल्मीकि** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली तथा नई दिल्ली में अक्टूबर १९५२ तक विस्थापित व्यक्तियों के लिये बनाये गये छोटे मकानों की संख्या कितनी है;

(ख) दिल्ली के आस पास कितने नये उपनगर बसाये गये हैं; तथा

(ग) कितने विस्थापित व्यक्तियों को नये मकानों के बनाये जाने से निवास स्थान मिल सकेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) दिल्ली में अक्टूबर १९५२ तक विस्थापित व्यक्तियों के लिये २३,५६६ छोटे मकान, ४,५२६ मकान, २,०९० प्लॉट तथा ६५५ दुकान सहित मकान बनाये गये हैं । इसके अतिरिक्त १,२०० सस्ते तथा छोटे मकान, २,३०० प्लॉट ऐसे विस्थापित व्यक्तियों को सहायता रूप से दिये गये हैं जिनको ये नहीं दिये जाने चाहियें ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४८** ।]

(ग) १.७८ लाख ।

कोयल का संग्रह

*४२३. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **उत्पादन मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ३१ अगस्त १९५२ को बंगाल तथा बिहार के

कोयले की खानों में कुल कितना कोयला जमा था ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): ३,१०७,६५० टन ।

कपड़े के मूल्यों में परिवर्त्तन

*४२४. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कपड़े की मोटे तथा बीच वाली किस्मों के मूल्यों में अन्तिम त्रैमासिक परिवर्तन कब किये गये थे ?

(ख) क्या मूल्य बढ़ाया गया था या घटाया गया था ?

(ग) मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी की गई थी ?

(घ) ये परिवर्त्तित मूल्य कितने समय तक लागू रहे थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जुलाई में, जुलाई से सितम्बर १९५२ तक के तीन महीनों के लिय ।

(ख) तथा (ग) । जून १९५२ के मूल्यों में, मोटे किस्म के कपड़े के सम्बन्ध में ५.५५ प्रति शत से ६.७५ प्रति शत तक की वृद्धि की गई और बीच की किस्म के कपड़े के मूल्यों म ०.६३ प्रति शत से १.५८ प्रति शत तक कमी की गई ।

(घ) कपड़े की कुछ किस्मों को छोड़कर बाकी सब किस्मों के सम्बन्ध में ये मूल्य अभी तक लागू हैं ।

पावर आलकोहल

*४२५. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणज्यि तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पैट्रोल में पावर आलकोहल के अनिवार्य रूप से मिलाये जाने के फलस्वरूप पट्रोल की कुल कितनी मात्रा में बचत की गई;

(ख) क्या अपेक्षित पावर आलकोहल की सारी मात्रा का उत्पादन स्वयं देश में ही किया जाता है अथवा कुछ मात्रा का विदेशों से भी आयात किया जाता है;

(ग) उपरोक्त मिश्रण से पैट्रोल के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है; तथा

(घ) सरकार देश में पावर आलकोहल के उद्योग के विकास के निमित्त क्या कार्यवाही कर रही है तथा उससे अभी तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क)

१९५०	३६ लाख गैलन
१९५१	५३ लाख २० हज़ार गैलन
१९५२ (सितम्बर तक)	५४ लाख गैलन

(ख) पूरी मात्रा देश में ही पैदा की गई थी ।

(ग) यह मिश्रण उन्हीं दामों पर बिकता है जिस पर कि शुद्ध पैट्रोल बिकता है ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [देखिए **परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४९** ।]

उड़ीसा में कोयले की तह

*४२६. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि उड़ीसा में तालचर कोयले की खान, जिसे भारत सरकार चलाती है, के पास सरकार को साठ फीट कोयले की ऐसी तह मिली है जिसमें से कोयला आसानी से निकाला जा सकता है;

(ख) क्या यह सत्य है कि यदि इस कोयले की तह से कोयला निकाला गया तो इसके कारण दक्षिण में रेलों तथा उद्योग की कोयले की कमी काफ़ी कम हो जायगी

(ग) क्या इस तह में से भारत सरकार को कोयला निकालने में कोई कठिनाई है; तथा

(घ) क्या इससे सम्बन्धित सब कार्य रुका पड़ा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ३५ फीट से ५० फीट तक चौड़ी कोयले की एक तह तालचर कोयले की खान के पास की भूमि में है।

(ख) जी हां, किन्तु जब वाल्टेयर से दक्षिण को कोयला ले जाने में यातायात की कमी दूर हो जायगी केवल तभी यह हो सकता है।

(ग) भारत सरकार ने उस क्षेत्र के लिये परिमाप लाइसेंस तथा खान खोदने के लाइसेंस के लिये उड़ीसा सरकार को लिखा है और वह आवेदन पत्र उस राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(घ) परिमाप लाइसेंस आदि उड़ीसा सरकार के विचाराधीन होने के कारण और कोई अग्रेतर कार्य नहीं किया जा सकता है ?

पश्चिमी बंगाल में अनधिकृत बस्तियां

*४२७. **श्री तुषार चटर्जी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में उन विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें सरकार ने अधिकृत बस्तियां नहीं माना है तथा इन बस्तियों की जनसंख्या कितनी है;

(ख) ऐसी बस्तियों में उन परिवारों की संख्या कितनी है जिन्हें भारत सरकार से पुनर्वास ऋण मिला है; तथा

(ग) क्या सरकार की इन अनधिकृत बस्तियों को अधिकृत बस्तियों में परिणित करने की कोई योजना है और यदि ऐसा हो तो वह कौनसी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० मोंसल) (क) १३३ बस्तियां जिनमें १,२८,५९८ व्यक्ति हैं।

(ख) कुछ नहीं।

(ग) जी हां। इन बस्तियों को नियमित करने के उद्देश्य से सरकार का विचार कुछ बस्तियों में भूमि प्राप्त करने का है और यह अर्जन व्यय बस्ती निवासियों को दिये गये ऋण के रूप में समझा जाएगा।

दामोदर घाटी निगम के मुख्य इंजीनियर के अधीन कार्याभ्यासी अधिकारी (अंडरस्टडी)

*४२८. **श्री एल० एन० मिश्र** : (क) **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या दामोदर घाटी निगम के मुख्य इंजीनियर के अधीन कार्याभ्यासी अधिकारी (अंडरस्टडी) के रूप में एक योग्य इंजीनियर को नियुक्त करने के सम्बन्ध में आंक समिति की सिपारिश पर विचार किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो इस पर क्या निर्णय किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दामोदर घाटी निगम यथा समय में अपने अधिकारियों की पदाली में से वर्त्तमान मुख्य इंजीनियर का उत्तराधिकारी चुन सकेगा।

हैदराबाद राज्य के महाराष्ट्र क्षेत्र का विकास

*४२९. **श्री एम० आर० कृष्ण** : **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि योजना आयोग ने सिंचाई तथा जल विद्युत् परियोजनाओं के विकास के लिये हैदराबाद राज्य के महाराष्ट्र क्षेत्र को पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने की बात मान ली है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : हैदराबाद सरकार से सूचना प्राप्त की जा रही है और सदन पटल पर रख दी जायगी ।

इस्पात विशेषज्ञों का जापान का दौरा

*४३०. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जापान के सुविकसित लोहे तथा इस्पात उद्योगों के उपकरण तथा टैक्नीकों का अध्ययन करने के लिये भारत से कितने विशेषज्ञ जापान भेजे गये हैं ?

(ख) इनमें से कितने अधिकारी गैर-सरकारी उद्योगों के हैं और कितने भारत सरकार के अधिकारी हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । दो—एक अधिकारी तथा दूसरा उद्योग का नाम निर्देशित व्यक्ति है ।

कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाना

*४३१. **श्री एम० आर० कृष्ण** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारत के कुटीर उद्योगों की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये विदेशों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा क्या विशेष कार्य किये गये हैं ?

(ख) विदेशों में हमारे कितने राजदूतावासों ने कुटीर उद्योग वाणिज्यालय (इम्पोरिया) खोले हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारतीय कुटीर उद्योग की वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिये विदेशों में भारत सरकार के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित कार्य किये हैं:

(१) अन्तर्राष्ट्रीय मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना ।

(२) ऐसे मेलों में प्रेस सम्मेलन करना ।

(३) भारतीय वाणिज्यक वस्तुओं से सम्बन्धित प्रलेखीय चलचित्रों को दिखाना ।

(४) शोरूम तथा शो केसों को स्थापित करना जिसमें कुटीर उद्योगों की वस्तुओं, तथा चीजों के नमूनों को मिला कर भारतीय वस्तुएं दिखायी जाती हैं ।

(५) भारतीय वस्तुओं के प्रचार के लिये प्रचार साहित्य तथा प्रेस विज्ञप्तियां निकालना ।

(६) भारतीय वस्तुओं के प्रचारार्थ व्यापार प्रतिनिधियों द्वारा व्याख्यान देना ।

(७) व्यापार मण्डलों तथा संस्थाओं आदि के साथ निजी सम्पर्क स्थापित करना ।

(८) भारतीय कुटीर उद्योगों का प्रचार करने वाले पर्चे बंटवाना ।

(ख) विदेशों में भारतीय दूतावासों द्वारा कोई नियमित वाणिज्यालय नहीं खोले हैं, किन्तु भारतीय वस्तुओं के प्रदर्शन के लिये जिससे कि उनका अपेक्षित प्रचार हो सके हमारे दूतावासों में शो रूम तथा शो केस खोले गये हैं ।

हड्डी तथा हड्डी का चूरा (निर्यात)

*४३२. **श्री जसानी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) ३१ मार्च १९५२ को समाप्त होने वाले वर्ष में हड्डी के चूरे तथा हड्डी का कितनी मात्रा में निर्यात किया गया; तथा

(ख) उस अवधि में देशवार कितना निर्यात किया गया तथा इसका मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । ३१ मार्च १९५२ को समाप्त

होने वाले वर्ष में हड्डी के चूरे तथा हड्डियों के निर्यात पर प्रतिबन्ध था।

सम्पत्ति के दावे (सत्यापन)

*४३३. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अगस्त, १९५२ तक शहरों तथा गांवों के सम्पत्ति दावे के कितने विवरण पत्रों का सत्यापन किया गया था;

(ख) शहरों तथा गांवों दोनों के सम्पत्ति दावे के कितने विवरण पत्रों का अभी सत्यापन किया जाना है, जिनमें वे मामले सम्मिलित हैं जो कि दावेदार के उपस्थित न होने के कारण रद्द कर दिये गये थे तथा वे मामले जिनमें दावेदारों का ३१ अगस्त, १९५२ के बाद पता नहीं लगा था ?

(ग) ३१ अगस्त, १९५२ से पूर्व सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रान्त, तथा बलूचिस्तान के कृषि सम्बन्धी सम्पत्ति दावे के कितने विवरण पत्रों का सत्यापन किया गया था और ३१ अगस्त १९५२ बाद अभी तक कितने मामलों का सत्यापन नहीं हुआ है; तथा

(घ) सभी वर्षों के दावे के विवरण पत्रों का सत्यापन कब पूरा हो जायगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) १०,०१,०३३।

(ख) कृषि भूमि सम्बन्धी दावों को छोड़ कर सम्पत्ति के दावे लगभग ३७ हज़ार हैं, इनमें २८ हज़ार वे दावे भी सम्मिलित हैं जिनके दावेदारों का पता नहीं है अथवा जिन्हें इस कारण रद्द कर दिया गया है कि उनके दावेदार उपस्थित नहीं हो सके तथा १,१५,८३६ कृषि भूमि के दावे हैं।

(ग) (१) ३१-८-५२ से पूर्व सत्यापित २९,०५९

(२) १-९-५२ तक जिनका सत्यापन नहीं हुआ १,१५,८३६

(घ) ऐसी आशा की जाती है कि दिसम्बर, १९५२ तक शहर के दावे समाप्त हो जायेंगे तथा कृषि सम्बन्धी दावे मार्च १९५३ तक।

दावा अधिकारी और आयुक्त

*४३४. **श्री गिडवानी :** क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दावा विभाग में नियुक्त किये गये दावा आयुक्तों तथा दावा अधिकारियों की कुल संख्या कितनी थी;

(ख) ३१ अगस्त १९५२ के बाद सेवा-युक्त रखे गये दावा अधिकारियों की संख्या कितनी थी;

(ग) इन सेवायुक्त रखे गये अधिकारियों में से कितने विस्थापित व्यक्ति हैं तथा कितने अ-विस्थापित व्यक्ति हैं।

(घ) उनमें से कितने निवृत्ति-वेतन प्राप्त ह;

(ङ) उनमें से कितने आयुवार्धक्य प्राप्त हैं;

(च) उनमें से कितने सरकार के अन्य विभागों की ओर से प्रतियुक्त हैं ;

(छ) क्या कुछ अधिकारियों के लिये कुछ विशेष पद बनाये गये हैं जिनकी विशेष वेतन श्रेणी है;

(ज) यदि ऐसा है, तो ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है और जो वेतन उनको मिलता है उसकी राशि कितनी है; तथा

(झ) कितने दावा अधिकारियों को क्षतिपूर्ति योजना के बन्दोबस्त विभाग में रख लिया गया है ?

पुनर्वास उपमन्त्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क)

दावा आयुक्त १७
दावा अधिकारी २६७

(ख) १७३

(ग) विस्थापित व्यक्ति १६५
अ-विस्थापित व्यक्ति ८

(घ) ३२

(ङ) ७२

(च) १२

(छ) जी नहीं।

(ज) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(झ) २

कोयला खान मालिकों के प्रतिनिधि

*४३५. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **उत्पादन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी तथा अथवा अर्द्ध सरकारी संस्थाओं अथवा समितियों के नाम क्या हैं जिनमें कोयला खान मालिकों के प्रतिनिधि लिये जाते हैं।

(ख) ये कैसे लिये जाते हैं, क्या ये चुनाव अथवा नाम निर्देशन द्वारा लिये जाते हैं; तथा

(ग) क्या ये कोयला खान मालिकों के विभिन्न संगठनों के आधार पर लिये जाते हैं अथवा कोयला खान मालिकों की सामान्य सूची के आधार पर लिये जाते हैं?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) से (ग) तक। एक विवरण, जिसमें केन्द्रीय सरकार की संस्थाओं अथवा अर्द्ध-सरकारी संस्थाओं आदि से सम्बन्धित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५०]**

कृषिसार

*४३६. **श्री चिनारिया** : क्या **उत्पादन** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) अक्टूबर १९५१ से अगस्त १९५२ तक सिन्दरी फैक्टरी ने कितनी मात्रा में कृषिसार तय्यार किया था;

(ख) उस अवधि में विदेशों से कितना आयात किया गया था; तथा

(ग) सिन्दरी फैक्टरी में तय्यार किये गये तथा विदेशों से आयात किये गये कितने कृषिसार की खपत हुई है और उस अवधि (३१ अगस्त, १९५२) की समाप्ति पर इस की कितनी मात्रा बची थी?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) ९१,५६६ टन आमोनियम सल्फेट।

(ख) १,८४,००० टन अमोनियम सल्फेट।

(ग) उल्लिखित अवधि में देश में आमोनियम सल्फेट की वास्तव में कितनी मात्रा की खपत हुई यह मालूम नहीं है। सिन्दरी फैक्टरी द्वारा तय्यार की गई ९१,५६६ टन में से तथा विदेशों से आयात किये गये १,८४,००० टन में से विभिन्न राज्य सरकारों तथा अन्य राज्य भोक्ताओं को क्रमशः ६५,३५३ टन तथा १,५३,२८७ टन दिया गया था। शेष कृषिसार सिन्दरी फैक्टरी अथवा बन्दरगाहों में जमा था।

कच्चे लोहे की कमी

*४३७. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब तक अमरीकी-जापानी सहयोग से प्रस्तावित फैक्टरी स्थापित न हो जाय तब तक कच्चे लोहे की कमी को पूरा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई अथवा करने का विचार है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सरकार का विचार

कच्चे लोहे के मुख्य उत्पादक, अर्थात् आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को कच्चे लोहे के अपने उत्पादन में वृद्धि करने के लिये उचित सहायता देने का है।

हथ करघे के कपड़े का निर्यात

*४३९. **श्री बालकृष्णन्** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या विदेशों को हाथ करघे के कपड़े का निर्यात किया जाता है ?

(ख) ऐसे कौन से देश हैं जो भारतीय हथ करघे के कपड़े का आयात करते हैं ?

(ग) किस प्रकार के हथ करघे के कपड़ों का निर्यात किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) वे मुख्य देश जो भारतीय हथ करघे के कपड़ों का आयात करते हैं ये हैं : बरमा, मलाया, लंका, श्याम, जंजीबार, सूडान, मौरिशस, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा, फिजी द्वीप तथा ब्रिटिश पश्चिमी अफ्रीका।

(ग) सामान्य रूप से निर्यात किये जाने वाली हथ करघे के कपड़ों की किस्मों की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। [देखिये परिशिष्ट २, **अनुबन्ध संख्या ५१**]

लिग्नाइट अयस्क (खान से निकालना)

*४४०. **श्री बालकृष्णन्** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास राज्य के अर्काट जिले के दक्षिण में लिगनाइट अयस्क को खान से निकालने की योजना कार्यान्वित हो गई है;

(ख) क्या खान से निकालने की यह योजना प्रयोगात्मक अवस्था म है; तथा

(ग) क्या इस योजना के लिये मद्रास सरकार को केन्द्रीय सरकार ने कोई आर्थिक सहायता दी है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) तथा (ख)। राज्य सरकार ने इस बात की जांच करने के लिये कि इस पदार्थ को निकाला जा सकता है या नहीं एक मूल योजना को चलाने का निश्चय किया है।

(ग) हां, इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन के ऋण के रूप में।

पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्ति

*४४१. **श्री मेघनाद साहा** : (क) क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो कि १९५२ के अगस्त, सितम्बर तथा अक्टूबर के महीनों में पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान में आये तथा सरकार ने उनके भरणपोषण और पुनर्वास के लिये सरकार ने क्या प्रबन्ध किये हैं ?

(ख) उन्हें किन कैम्पों में भेजा जा रहा है ?

(ग) क्या भिन्न-भिन्न व्यावसायिक वर्गों के विस्थापित व्यक्तियों की संख्या गिनने और उसी के अनुसार उन्हें काम देने के लिये कोई प्रबन्ध किये गये हैं ?

(घ) क्या इस महीने में आने वाले किसी भी विस्थापित व्यक्ति को भोपाल से बाहर भेजा गया है, और यदि ऐसा है तो वे कौन से राज्य तथा स्थान हैं जहां वे भेज दिये गये हैं ?

पुनर्वास उपमन्त्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) (१) १,८६,२२६ व्यक्ति।

(२) पहिले निराश्रित व्यक्तियों को कैम्प में ले जाया जाता है जहां उन्हें भरण पोषण के लिये दया स्वरूप कुछ अंशदान

दिया जाता है। बाद में उन्हें पुनर्वास स्थानों अथवा काम करने के स्थानों, जैसी भी स्थिति हो, को भेजा जाता है और वहां उन्हें काम दिया जाता है तथा उस दयास्वरूप अंश-दान के स्थान पर मजूरी दी जाती है। जो विस्थापित व्यक्ति कैम्प के बाहर रहते हैं उन्हें भी विभिन्न योजनाओं के अनुसार पुनर्वास सुविधायें दी जाती हैं।

(ख) एक विवरण, जिसमें कैम्पों की स्थिति दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है। [देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५२]

(ग) जी हां, जहां तक कैम्प के विस्थापित व्यक्तियों का सम्बन्ध है।

(घ) जी हां, उड़ीसा में चार बटिया तथा बिहार में गाजीदाह।

नारियल का तेल

*४४२. **श्री के० सी० सोंधिया**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में भारत में नारियल के तेल की कितनी मात्रा आयात की गई थी ?

(ख) नारियल पर आयात शुल्क सबसे बाद में कब कम किया गया था ?

(ग) इस कमी का क्या दर था ?

(घ) इस कमी के कारण राजकोष को कुल कितनी हानि हुई ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) उसका जितनी मात्राओं में निर्यात हुआ था वे ये थीं:—

१९५०–५१	४३,७५,२७१ गैलन
१९५१–५२	६९,९३,७६६ ,,

(ख) २४ नवम्बर, १९५१।

(ग) शुल्क के नियत दर को मूल्य के अनुसार ३५ प्रतिशत से मूल्य के अनुसार ३१ १/४ प्रतिशत कम कर दया गया था तथा अधिमान दर को मूल्य के अनुसार २५ प्रतिशत से मूल्य के अनुसार २१ प्रतिशत कम कर दिया गया था। और वित्त अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत अतिरिक्त आयात शुल्क पर सामान्य आयात शुल्क को २५ प्रतिशत के दर से कम कर दिया गया था।

(घ) राजस्व में अभी तक कोई कमी नहीं हुई। इसके विपरीत, आयात के बढ़ जाने के कारण राजस्व बढ़ गया है।

खादी तथा हाथ का काता हुआ सूत

*४४३. **श्री बासप्पा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि हाल ही में मद्रास राज्य में कई लाख रूपये का खादी का सामान तथा २० लाख रुपये का हाथ का काता हुआ कपड़ा बिना बिका हुआ पड़ा है;

(ख) क्या यह सत्य है कि मद्रास सरकार की छत्रछाया में खादी उत्पादन कार्य में लगे हुए ६०,००० कातने वाले अब बेरोज़गार ह, तथा

(ग) यदि ऐसा है, तो इन मामलों में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :(क) तथा (ख)। सरकार को यह मालूम है कि देश में खादी काफी मात्रा में इकट्ठी हो गई है और इसके परिणामस्वरूप इससे उद्योग में कुछ मन्दी आ गई है। मद्रास के सम्बन्ध में विशेष सूचना मंगाई गई है और जब यह उपलब्ध हो जायेगी तो सदन पटल रख दी जायगी।

(ग) सरकार ने खादी तथा ग्राम उद्योग बोर्ड की स्थापना के लिये एक प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया है, जो बोर्ड बन जाने पर वर्त्तमान दशा के विषय में कार्य करेगा

तथा इसमें सुधार के लिये उपायों और तरीकों का सुझाव देगा, विशेषकर खादी के बाज़ार में बेचने और इसकी बिक्री के सम्बन्ध में।

पांडीचेरी के संविलयन-विरोधी लोग

*४४५. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांडीचेरी के संविलय-विरोधी लोग भारतीय सीमा में घुस आये और गुंडापने के काम किये ;

(ख) कितने व्यक्ति मारे गये थे अथवा घायल हुए थे तथा सम्पत्ति को कितनी हानि हुई ;

(ग) पांडीचेरी में जो अराजकता फ़ैली हुई है उसके सम्बन्ध में क्या फ्रांसीसी अधिकारियों से कोई अभ्यावेदन किया गया है ; तथा

(घ) क्या भारतीय सीमा उल्लंघन के सम्बन्ध में कोई विरोध किया गया है ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) पहिली जुलाई १९५२ से ३१ अक्टूबर १९५२ तक होने वाली सीमान्त घटनाओं की एक सूची सदन पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५३**]

इन घटनाओं में कोई भी व्यक्ति नहीं मारा गया था। जितने व्यक्ति घायल हुए थे तथा जितनी सम्पत्ति को हानि हुई थी उसके सम्बन्ध में यथार्थ सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) तथा (घ)। पांडीचेरी स्थित भारतीय महावाणिज्य दूत ने गुण्डागिरी तथा हिंसात्मक कार्यों के प्रत्येक मामले में स्थानीय अधिकारियों से विरोध प्रदर्शित किया। पिछले दो महीनों में, भारत सरकार ने फ़्रांसीसी सरकार को नोट भेजे हैं जिनमें उसने फ़्रांसीसी बस्तियों में फ़ैली हुई अराजकता तथा फ़्रांसीसी अधिकारियों तथा गुण्डों द्वारा भारतीय सीमा के उल्लंघन करने के मामलों पर विरोध किया। इन फ़्रांसीसी बस्तियों में फ़ैली हुई अराजकता को, ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फ़्रांसीसी सरकार को सूचित किया कि वहां निष्पक्ष जनमत लिये जाने की सम्भावना नहीं है और इसलिये इन फ़्रांसीसी बस्तियों के भारत संघ में संविलयन के आधार पर भारत सरकार तथा फ़्रांसीसी सरकार के बीच विचार विनिमय होना चाहिये। इस पत्र व्यवहार पर फ़्रांसीसी सरकार का अभी तक कोई उत्तर नहीं मिला है।

मोटा तथा बीच का कपड़ा

*४४६. **श्री पाटसकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशों को निर्यात के लिये बढ़िया तथा बहुत बढ़िया कपड़े की अपेक्षा मोटे तथा बीच के कपड़े के लिये ज़्यादा गुंजाइश है ;

(ख) क्या ऐसे कपड़े की देश में खपत के लिये ज़्यादा गुंजाइश है;

(ग) क्या बढ़िया तथा बहुत बढ़िया किस्म के कपड़े बनाने के लिये विदेशी रूई का बहुत बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है ;

(घ) क्या मोटे तथा बीच के कपड़े बनाने के लिये उपयोगी छोटे रेशे वाली रूई जापान को मिला कर विदेशों को निर्यात की जाती है; तथा

(ङ) क्या इस बात को देखने के लिये कि भारतीय मिलें बीच के तथा मोटे कपड़े

का अधिक उत्पादन भारतीय रूई से ही करें, सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) विदेशी रूई की केवल उतनी मात्रा का ही आयात किया जाता है जितनी मात्रा की सूती कपड़े की मिलों को उपलब्ध स्वदेशी रूई के अतिरिक्त आवश्यकता होती है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) मिलों को बीच के तथा मोटे कपड़े के बनाने के लिये ऐसी भारतीय रूई नहीं दी जाती है जिसका प्रयोग किया जा सकता हो।

भारतीय फिल्मों पर पाकिस्तान का प्रतिबंध

*४४७. **पंडित अलगूराय शास्त्री** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री वे कारण बतलाने की कृपा करेंगे जिनसे पाकिस्तान सरकार ने भारतीय फ़िल्मों पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ?

(ख) भारत तथा पाकिस्तान को इस प्रकार के व्यापार से कितनी आय होती थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) पाकिस्तान सरकार ने भारतीय फ़िल्मों के आयात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

(ख) २६ फ़रवरी १९५१ से ७ अगस्त १९५२ तक के काल में भारत से पाकिस्तान से भेजी गई फ़िल्मों का कुल मूल्य ४५,५१ ८३१ रुपये है तथा पाकिस्तान से इस देश में मंगाई गई फ़िल्मों का मूल्य ३७,१३३ रुपये है।

पुनर्वास के स्थान

*४४८. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास के लिये चुने गये स्थानों में भेजने से पूर्व उनकी इच्छाओं को जाना जाता है; तथा

(ख) कितने मामलों में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा बताये गये पुनर्वास के स्थानों के सम्बन्ध में बात मान ली गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां, यथा सम्भव पुनर्वास योजनाओं की सीमाओं के अन्दर ऐसा किया जाता है।

(ख) इस सूचना को एकत्रित करने में जितना श्रम तथा व्यय होगा वह इसके प्राप्त परिणामों से अधिक होगा।

मशीनों के कल पुर्जों के कारखाने

*४४९. **श्री बी० एस० मूर्त्ति** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मशीनों के कल पुर्जों के कारखानों में अब तक कुल कितना धन विनियोजित किया गया है; तथा

(ख) भारतीय तथा विदेशियों द्वारा पृथक् पृथक् कितना विनियोजन किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग एक करोड़ रुपये (राज्य स्वामित्व वाली मशीनों के कल पुर्जों की परियोजनाओं में विनियोजित धन को छोड़ कर)।

(ख) मशीनों के कल पुर्जों के कारखानों में कोई विदेशी पूंजी विनियोजित नहीं है।

बैटरी सैपरेटर्स

*४५०. **श्री बी० एस० मूर्ति**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) बैटरी सैपरेटर्स बनाने वाली फ़ैक्टरियों में कुल कितना धन विनियोजित है; तथा

(ख) उनमें कितनी विदेशी पूंजी विनियोजित है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) २.२ लाख रुपये।

(ख) कुछ नहीं।

गोंडीकोय परियोजना

*४५१. **श्री ईश्वर रेड्डी**: (क) **योजना** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या मद्रास सरकार ने गोंडीकोटा परियोजना को पंचवर्षीय योजना के पुनरीक्षित प्रारुप में सम्मिलित करने की सिफ़ारिश की है?

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या योजना आयोग ने इसे सम्मिलित कर लिया है?

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) अभी तक नहीं।

(ग) कृष्णा तथा गोदावरी नदियों के पानी के उपयोग के विषय में टैक्निकल समिति की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद ही इस मामले में निर्णय किया जा सकता है।

पुनर्वास योजना

*४५२. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: (क) **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये ३८ पुनर्वास योजनाओं, जिनके विषय में यह बताया जाता है कि वे केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई हैं, का सामान्य स्वरूप क्या है?

(ख) इन योजनाओं के लिये कितना धन निर्धारित किया गया है?

(ग) इनमें से कितनी योजनाओं का सम्बन्ध किसानों से है?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) प्रश्न में निर्दिष्ट योजनाओं को सरकार ने प्रस्तावित नहीं किया है।

(ख) तथा (ग)। ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

*४५३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: (क) **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो सितम्बर १९५२ से १५ अक्टूबर १९५२ तक सप्ताहवार पूर्वी बंगाल से भारत में आये हैं?

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि बहुत से वास्तविक विस्थापित व्यक्तियों के पास सीमा प्रवेश पत्र (बोर्डर स्लिप) नहीं है और यदि ऐसा है, तो उनकी संख्या कितनी है?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख)। यह सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अमरीकी कपास

*४५४. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती**: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में अमेरिका से कुल कितनी कपास का आयात किया गया था?

(ख) ये मूल्य पाकिस्तान की कपास के मूल्यों की तुलना में कैसे हैं ?

(ग) इस अवधि में अमरीकी कपास का आयात करने के लिये कुल कितने भाड़ा व्यय का भुगतान किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख) । एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है।

(ग) लगभग ५.३ करोड़ रुपये ।

विवरण

वर्ष	अमेरिका से कपास का आयात (प्रत्येक ४०० पौण्ड की गांठों में)	अमरीका की ४०० पौण्ड की कपास की प्रति गांठ का औसतन मूल्य	पाकिस्तान की ४०० पौन्ड की कपास की प्रति गांठ का औसतन मूल्य
		रुपये	रुपये
१९४९–५०	२२,१९८	६८९	५१०
१९५०–५१	५६४,५०५	७१९	५९७
१९५१–५२	६८७,५१८	९१०	१०८०

विदेशी कम्पनियों को प्रश्नावली

*४५५. **श्री के० सुब्रह्मण्यम्** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि भारतीय कर्मचारियों की संख्या तथा उनके साथ किये जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में सरकार की प्रश्नावली का कितनी विदेशी कम्पनियों ने उत्तर दिया है ?

(ख) क्या किसी विदेशी फ़र्म ने यह सूचना नहीं दी है ?

(ग) यदि ऐसा है, तो ऐसे फ़र्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३१ जुलाई १९५२ को भारत सरकार द्वारा निकाली गई अधिसूचना के अनुसार भारतीयों तथा गैर-भारतीयों की नौकरी के सम्बन्ध में ९५५ विदेशी कम्पनियों ने अपेक्षित सूचना भेजी है ।

(ख) मैं समझता हूं कि कुछ फ़र्मों ने अभी तक वह सूचना नहीं भेजी है।

(ग) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

चुनार में विस्थापित व्यक्तियों का केम्प

*४५७. **श्री रूपनारायण** : क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में चुनार के कैम्प में कितने विस्थापित व्यक्ति रखे गये हैं;

(ख) क्या उनको कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है जिससे कि वे भविष्य में अपनी जीविका चला सकें; तथा

(ग) इस उल्लिखित कैम्प पर कुल वार्षिक व्यय कितना होता है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) इस समय वहां ७२२ स्त्रियां तथा बच्चे हैं। किन्तु हाल ही में यह निश्चय किया गया है कि इस 'गृह' की संख्या को १,२०० तक बढ़ा दिया जाय (६०० स्त्रियां तथा ६०० बच्चे) ।

(ख) जी हां, जो प्रशिक्षण दिये जाने के योग्य होते हैं उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष का अनुमानित व्यय ६,०२,९०५ रुपये है ।

बनारस में निष्क्रान्त सम्पत्ति

*४५८. **श्री रूप नारायण :** क्या **पुनर्वास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) ज़िला बनारस में ज़िला अभिरक्षक द्वारा निष्क्रान्त सम्पत्ति के कितने मामले निबटाये गये; तथा

(ख) इन मामलों में से कितने झूठे सिद्ध हुए हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख)। मुझे खेद है कि मैं नहीं समझ पाया कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं। यदि उनका अभिप्राय उन मामलों की संख्या जानने का है जिनमें निष्क्रान्त सम्पत्ति विधि के अन्तर्गत कार्यवाही आरम्भ की गई तथा उन मामलों की भी संख्या जानने का है जिनमें बनारस ज़िले में बाद में कार्यवाही छोड़ दी गई है, तो यह सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। जब यह प्राप्त हो जायेगी तो सदन पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर प्रदेश में ज़िला योजना समिति

*४५९. **श्री रूप नारायण :** क्या **योजना** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में ज़िला योजना समितियां नियुक्त की हैं;

(ख) ज़िला योजना समितियों के पदेन सदस्य कौन कौन हैं; तथा

(ग) क्या संसद् के सदस्य अपने अपने ज़िलों में उल्लिखित समितियों के पदेन सदस्य हैं ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (ग) तक। आवश्यक सूचना उत्तर प्रदेश सरकार से प्राप्त की जा रही है।

गृह-निर्माण योजना

*४६०. **डा० सत्यवादी :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मकानों की कमी को पूरा करने के लिये जो नौ करोड़ रुपये की राशि अलग रखी गई है उसे किस प्रकार खर्च किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को कोई विशेष योजना भेजी गई है, और यदि हां, तो वह योजना क्या है;

(ग) विभिन्न राज्यों को अलग अलग कितना रुपया दिया जाने का विचार है; तथा

(घ) क्या हरिजनों को मकान बनाने में सहायता देने के लिये भी इस राशि का कोई भाग सुरक्षित रखा गया है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) भारत सरकार की आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह-व्यवस्था योजना के अन्तर्गत इस समय राज्य सरकारों, मालिकों तथा औद्योगिक मज़दूरों की सहकारी समितियों को ७१६ लाख रुपये निम्न प्रकार से ऋण तथा आर्थिक सहायता के रूप में देने का विचार है :

आर्थिक सहायता.....	३२४ लाख रुपये
ऋण.....	३९२ लाख रुपये
कुल योग.....	७१६ लाख रुपये

आर्थिक सहायता तथा ऋण औद्योगिक मजदूरों के लिये मकान बनाने के लिये हैं।

गैर औद्योगिक मजदूरों तथा कम वेतन श्रेणी के व्यक्तियों के लिये, गन्दी बस्तियों को साफ़ करने तथा गृह व्यवस्था करने के लिये सहायता देने के हेतु, सरकार सहकारी समितियों द्वारा, यदि उसे उपयुक्त योजनायें

बतायी जायें, शेष धन को खर्च करने को तैय्यार होगी।

(ख) जी हां। आर्थिक सहायता प्राप्त औद्योगिक गृह व्यवस्था योजना की एक प्रति, जो कि १३ नवम्बर, १९५२ को प्रश्न संख्या २५० के उत्तर में पहिले ही सदन पटल पर रख दी गई है, सभी राज्य सरकारों को भेज दी गई है।

(ग) जिस रूप में योजनायें राज्य सरकारों से प्राप्त होती हैं, उन पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार किया जाता है और विभिन्न राज्यों में औद्योगिक मज़दूरों की संख्या तथा कुल प्राप्त राशि को ध्यान में रखते हुए न्यायसंगत रूप से बटवारा किया जाता है।

(घ) औद्योगिक मज़दूरों में हरिजनों की संख्या बहुत अधिक होती है, और ऐसी आशा की जाती है कि इस योजना से हरिजनों को सहायता मिलेगी और इस कारण इस प्रयोजन के लिये कुछ धनराशि को विशेष रूप से अलग रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

उत्तर प्रदेश के लिये सेंधा नमक

*४६१. **श्री एम० एल० अग्रवाल**: (क) **उत्पादन** मंत्री नमक के उत्पादन तथा आवंटन के सम्बन्ध में २९ जुलाई, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २२१२ के दिये गये उत्तर का निर्देश करने तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में सेंधा नमक की मांग है?

(ख) उत्तर प्रदेश को सेंधा नमक क्यों नहीं दिया गया?

(ग) क्या सरकार का विचार चालू तथा भविष्य के वर्षों में उत्तर प्रदेश को भी कुछ सेंधा नमक देने का है?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) उपभोक्ताओं की ओर से ऐसा लगता है कि समुद्र, झील तथा गड्ढों के नमकीन पानी से बने हुए नमक का उपयोग करने के आदि हो गये हैं; इस समय व्यवहारिक रूप से ऐसी कोई मांग नहीं है।

(ख) क्योंकि हिमाचल प्रदेश में निकाला जाने वाला नमक, जो भारत में नमक प्राप्त करने का एक ही स्थान है, बिना साफ किये हुए मानव उपभोग के लिये उपयुक्त नहीं है। वहां थोड़ी मात्रा में नमक निकाला जाता है और उसका हिमाचल प्रदेश में ही पूर्ण रूप से उपभोग हो जाता है।

(ग) कम से कम कुछ वर्षों के लिये अर्थात् जब तक कि मण्डी नमक खानों के विकास की योजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित न किया जाय, उत्तर प्रदेश अथवा अन्य किसी राज्य को सेंधा नमक के आवंटन करने की कोई सम्भावना नहीं है। फिर भी, अन्तिम रूप से निकाले जाने वाले नमक में साफ किया हुआ अथवा टेबुल साल्ट सम्मिलित होगा और नमक के ढेले अथवा सेंधा नमक नहीं होगा।

निष्क्रांत सम्पत्ति को लौटाना

*४६२. **श्री एम० एल० अग्रवाल**: (क) **पुर्नवास** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि उत्तर प्रदेश में १९५० के निष्क्रान्त सम्पत्ति प्रशासन अधिनियम ३१ की धारा १६ के अन्तर्गत निष्क्रान्त सम्पत्ति को लौटाने से सम्बन्धित बहुत से प्रार्थनापत्रों को अभिरक्षक ने इस आधार पर रद्द कर दिया था कि आवेदकों ने भारत सरकार के स्थायी संस्थापन प्रमाण पत्र को प्रस्तुत नहीं किया था?

(ख) क्या उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले हुए हैं जिनमें, धारा १६ के अन्तर्गत उल्लिखित प्रमाण पत्र के प्रस्तुत किये बिना ही सम्पत्ति को लौटाने की अनुमति दे दी गई है?

पुर्नवास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख)। सूचना एकत्रित की जा

रही है और यथासमय सदन पटल पर रख दी जायगी।

विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्त्ति

*४८. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्त्ति दिये जाने के सम्बन्ध में टेकचन्द समिति द्वारा की गई सिफारिश पर विचार किया है;

(ख) यदि ऐसा है, तो उसके सम्बन्ध में सरकार का क्या निर्णय है; तथा

(ग) क्षतिपूर्त्ति की योजना कब कार्यान्वित की जायगी ?

पुर्नवास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख)। टेकचन्द समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें अभी तक सरकारी रूप से नहीं भेजी हैं। फिर भी, इसकी सिफारिशों का एक प्रारूप उपलब्ध है और विचाराधीन है।

(ग) पुनर्वास मन्त्रालय में तय्यार किये गये क्षतिपूर्त्ति योजना के सम्बन्ध में प्रयोगात्मक प्रस्तावों को गत सितम्बर में राज्य पुनर्वास विभागों के सचिवों तथा निष्क्रान्त सम्पत्ति के अभिरक्षकों के सम्मेलन में रखा गया था। उसके ठीक बाद होने वाले राज्य पुर्नवास मन्त्रियों के एक सम्मेलन में उनकी सम्मतियों पर विचार किया गया था। उन्हीं प्रस्तावों पर टेकचन्द समिति से भी परामर्श किया गया था। भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण के व्यक्तियों द्वारा प्रकट किये गये विचारों के प्रकाश म अब एक योजना तय्यार की जा रही है और उस पर आदेश दिये जाने के लिये सरकार के समक्ष रख दी जायगी। इस समय कोई निश्चित तिथि नहीं बताई जा सकती कि इस योजना को कब कार्यान्वित किया जायगा।

राजस्थान नहर परियोजना

१३६. **श्री कर्णीसिंह जी** : **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में, जिसके कि प्रारम्भिक अनुसंधान पहिले ही कर दिये गये हैं, क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : राजस्थान नहर परियोजना के सम्बन्ध में प्रारम्भिक अनुसंधान अभी हो रहे हैं। क्षेत्र कार्य पूरा हो गया है और परियोजना रिपोर्ट तय्यार की जा रही है।

मक्का की माड़ी (उत्पादन)

१३७. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५२ में (जून तक) देश में मक्का की माड़ी का कितना उत्पादन हुआ था; तथा

(ख) इसी अवधि में देश में कितनी माड़ी की खपत हुई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग ६,०६० टन।

(ख) सभी प्रकार की लगभग ९,८०० टन माड़ी।

कच्चे लोहे, इस्पात तथा कोयले का नियंत्रण

१३८. **डा० अमीन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कच्चे लोहे और इस्पात तथा कोयले का विनियंत्रण करने का है; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो कब ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बड़ौदा प्रसारण केन्द्र

१३९. डा० अमीन : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बड़ौदा प्रसारण केन्द्र को चलाने में भारत सरकार प्रतिवर्ष कितना धन व्यय कर रही है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : ऑल इण्डिया रेडियो के बड़ौदा केन्द्र पर भारत सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों में जो व्यय किया गया था वह यह है :—

वर्ष	व्यय लाख रुपयों में
१९४९–५०	३.१८
१९५०–५१	३.२९
१९५१–५२	३.१३

वर्ष १९५२–५३ में जो व्यय हुआ है उसका अनुमान ३.४० लाख रुपये है।

कच्चा लोहा

१४०. श्री सी० आर० चौधरी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४८ से भारत में कच्चे लोहे का उत्पादन कितना है ;

(ख) १९४८ से कच्चे लोहे का वार्षिक कुल निर्यात कितना है तथा वे कौन से देश हैं जिन्हें निर्यात किया गया है;

(ग) १९४८ से भारत में कितने कच्चे लोहे की खपत हुई है तथा भारतीय उद्योग की कुल वार्षिक मांग कितनी है;

(घ) क्या हाल ही में कच्चे लोहे के निर्यात में कमी हो गई है और यदि ऐसा है, तो क्यों; तथा

(ङ) १९४८ से भारत में कच्चे लोहे का औसतन मूल्य क्या था तथा निर्यात मुल्य क्या था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) तक तथा (ङ)। चार विवरण सदन पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५४।]**

(घ) जी हां, श्रीमान्। कुछ समय पूर्व तक भारतीय लोहे के कारखानों में ग्रेडेड (वर्गीकृत) कच्चे लोहे की खपत होती थी और ऑफ़ ग्रेड (अवर्गीकृत) कच्चा लोहा उपयोग के लिये अच्छा न होने के कारण इसका अधिकतर निर्यात ही किया जाता था। कच्चे लोहे की लगातार कमी तथा टैक्नीक में उन्नति होने के कारण उनकी कच्चे लोहे की खपत बढ़ गई और उसके परिणामस्वरूप निर्यात में कमी हो गई।

रबड़ टायर (आयात)

१४१. सरदार हुक्मसिंह: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले बारह महीनों में विदेशों से रबड़ के टायरों के आयात के लिये किसी व्यापारी को कोई लाइसेंस दिये गये थे ?

(ख) यदि ऐसा है, तो आयात का मुल्य क्या था और आयात किये गये टायर किस प्रकार के थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) १९,७१,०२१ रुपये (जुलाई १९५२ को समाप्त होने वाले १२ महीनों तक के लिये)। इसमें ट्रैक्टरों और सड़क से भिन्न स्थानों पर प्रयुक्त किये जाने वाले

टायरों के मूल्य सम्मिलित नहीं हैं। इन मदों के वास्तविक आयात के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

जिस प्रकार के टायर आयात किये गये थे वे यह हैं: हवा से भरे जाने वाले मोटर के टायर, हवा से भरे जाने वाले मोटर साइकिल के टायर, हवा से भरे जाने वाले साइकिल के टायर, मोटर गाड़ियों तथा ट्रैक्टरों के ठोस रबड़ के टायर तथा सड़कों से भिन्न स्थानों में प्रयुक्त होने वाले टायर। केवल वे ही टायर और उन्हीं आकारों के टायर, जो भारत में नहीं बनाये जाते हैं, आयात किये गये थे।

आस्ट्रिया के साथ व्यापार

१४२. डा० राम सुभग सिंह: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष आस्ट्रिया से आयात किये माल का कुल मूल्य कितना था; तथा

(ख) तत्संवादी अवधि में उस देश को निर्यात किये गये माल का कुल मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): जून १९५२ तक १९,७७,८०३ रुपये।

(ख) ११,८७,२७६ रुपये।

पाकिस्तान के साथ फलों का व्यापार

१४३. पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय: (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि भारत के पाकिस्तान के साथ होने वाले फलों के थोक व्यापार पर पाकिस्तान ने कड़े निर्बन्धन लगाये हैं ?

(ख) इस निर्बन्धन के पूर्व भारत से विशेष कर दिल्ली से फलों का वार्षिक निर्यात कितना था ?

(ग) हमने पाकिस्तान से जो फल, ताज़े तथा सूखी मेवा, निर्यात किये थे, उस निर्यात की वार्षिक मात्रा तथा मूल्य कितना था, और उस सम्बन्ध में अब क्या स्थिति है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) भारत से फलों का आयात खुले सामान्य लाइसेंस के आधार पर होता था जो कि समाप्त हो गया है और जो निःशुल्क भी था। जब तक कि पाकिस्तान सरकार लाइसेंस न दे दे अब कोई आयात नहीं किया जा सकता इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दरों के हिसाब से सीमा शुल्क देना पड़ता है:—

सभी प्रकार के फल, ताजे, सूखे, वे फल जिनमें नमक लगाया गया हो अथवा सुरक्षित रखे गये हों, जिन का अन्य प्रकार से उल्लेख न हो।	३६ % मूल्यानुसार
सूखे अंजीर	३२ % ,,
सुलताने	३० % ,,
फिल्बर्ट	३२ % ,,
सेब, नाशपाती, बेर तथा ताजे अंगूर	३० % ,,
सूखे अंगूर	१ रु० प्रति हंड्रेडवेट

(ख) १९५१–५२ में फलों का निर्यात लगभग ३ करोड़ रुपये था जिसमें से आधा दिल्ली क्षेत्र से किया गया था।

(ग) ५ नवम्बर, १९५२ को तारांकित प्रश्न संख्या ४७ के भाग (घ) के उत्तर की ओर ध्यान दिलाया जाता है

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय
(कर्मचारी-वर्ग)

१४४. श्री ए० एन० विद्या कार: क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय में गजटेड और नान-गजटेड अधिकारियों,

क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की क्रमशः संख्या निम्नलिखित तिथियों में कितनी थी :—

(१) १५ अगस्त, १९४७;
(२) ३१ मार्च, १९५०;
(३) ३१ मार्च, १९५१; तथा
(४) ३१ मार्च, १९५२;

(ख) उस मन्त्रालय में उन विभिन्न श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों की संख्या (पृथक् पृथक्) कितनी है, जिन्हें पहिले अस्थायी रूप से नियुक्त किया था और बाद में विभाजन के उपरान्त प्रत्येक वर्ष में (१) स्थायी कर दिया गया था; (२) जो सेवा-निवृत्त हो गये; तथा (३) जो सेवा-नियुक्त कर दिये गये थे अथवा जो छंटनी में आ गये थे; तथा

(ग) जो व्यक्ति छटनी में आ गये थे अथवा जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया था क्या उनको कोई क्षतिपूर्ति दी गई थी और यदि ऐसा है, तो कितनी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) एक विवरण जिसमें आवश्यक सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिए परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५५ ।**]

(ख) तथा (ग) । सूचना एकत्रित की जा रही है ।

धोतियां तथा साड़ियां

१४५. श्री बंसल : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९४८, १९४९, १९५० तथा १९५१ और १९५२ के प्रथमार्द्ध में भारत की मिलों द्वारा धोतियों तथा साड़ियों का गजों में कितना उत्पादन किया गया था;

(ख) उपरोक्त वर्षों में बिजली के करघों द्वारा धोतियों और साड़ियों का कितना उत्पादन किया गया था; तथा

(ग) उपरोक्त वर्षों में हथ करघों द्वारा धोतियां तथा साड़ियों का कितना उत्पादन किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है ।

(ख) तथा (ग) । चूँकि बिजली के करघों तथा हाथ करघों से बने कपड़े के उत्पादन तथा वितरण पर सरकार कोई नियंत्रण नहीं रखती इसलिये यह सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विवरण

(आंकड़ें दस लाख गजों में)

वर्ष	धोतयां	साड़ियां
१९४८	उपलब्ध नहीं	
१९४९	६४४	४४१
१९५०	२९९	३३७
१९५१	७५१	३५८
१९५२ (जनवरी से जून तक)	३९१	२९०

गिरी तथा नारियल का तेल

१४६. श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५०–५१, १९५१–५२ तथा १९५२–५३ में गिरी तथा नारियल के तेल पर आयात शुल्क कितना था; तथा

(ख) वर्ष १९५०–५१, १९५१–५२ में भारत में गिरी तथा नारियल के तेल की कितनी मात्रा आयात की गई थी तथा इनका कुल मूल्य कितना था ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख) । दो विवरण सदन पटल पर रखे

जाते हैं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५६ ।**]

लाइसेंस-प्रणाली के अन्तर्गत निर्यात तथा आयात

१४७. **श्री झुनझुनवाला**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत (१) आयात की गई तथा (२) निर्यात की गई वस्तुओं का कुल मूल्य कितना है;

(ख) उपरोक्त (१) आयात तथा (२) निर्यात में कितना पुराने व्यापारियों द्वारा तथा कितना नये व्यापारियों द्वारा किया गया था (निर्यात तथा आयात आंकड़े पृथक् पृथक् दिये जायें) ;

(ग) पुराने व्यापारियों को अधिमान क्यों दिया जाता है; तथा

(घ) यह किस सिद्धान्त के आधार पर किया जाता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। सरकार द्वारा समुद्र से होने वाले व्यापार आदि के सम्बन्ध में प्रकाशित किये जाने वाले प्रकाशनों में आयात तथा निर्यात के आंकड़े दिये जाते हैं।

जो सूचना मांगी गई है उसको एकत्रित करने में अत्यधिक श्रम तथा समय लगगा जो इसके प्राप्त परिणामों को देखते हुए बहुत अधिक होगा।

(ग) तथा (घ) । पुरान व्यापारियों तथा आयात कर्त्ताओं को लाइसेंस अधिकांश रूप में इसलिये दिये जाते हैं क्योंकि ऐसे व्यापारी इस काम को बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और प्रतियोगिता की दशाओं में व्यापार को चलाये रखने के मामले में उन पर निर्भर किया जा सकता है; तथा वे विदेशी बाजारों में अपना विश्वास बनाये रख सकते हैं।

धोतियां तथा साड़ियां

१४८. **पंडित डी० एन० तिवारी**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) १९५१-५२ में सूती मिलों तथा हथ करघों द्वारा साड़ियों तथा धोतियों (जोड़ों में) का कुल कितना उत्पादन किया गया था ?

(ख) उसी अवधि में सूती मिलों तथा हाथ करघों द्वारा कपड़े की अन्य किस्मों का कुल कितना उत्पादन किया गया था?

(ग) १९५१-५२ में भारत में चलने वाली सूती मिलों तथा हथ करघों की संख्या कितनी थी ?

(घ) १९५१-५२ में कपड़े का कुल निर्यात तथा आयात कितना हुआ था ?

(ङ) १९५१-५२ में देश में कुल खपत कितनी हुई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ड) तक। एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५७।**]

टाइपराइटरों का निर्माण

१४९. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : (क) **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या टाइपराइटरों के निर्माण कार्य को करने के लिये भारत में स्थापित अमेरिका के फर्म ने कार्य आरम्भ कर दिया है ?

(ख) यदि ऐसा है, तो भारत के किस भाग में इस फर्म का प्रधान कार्यालय स्थापित है ?

(ग) वे कौनसे निबन्धन तथा शर्त्तें हैं जिनके अन्तर्गत उस फर्म ने भारत में काम करना स्वीकार कर लिया है ?

(घ) क्या फर्म राष्ट्रभाषा लिपि के टाइपराइटरों का निर्माण कार्य भी करेगा ?

(ङ) क्या फर्म भारत की अन्य भाषाओं के भी टाइपराइटर बनायेगा और यदि ऐसा है तो वे कौन सी भाषायें हैं ?

(च) उस फर्म का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य कितना है ?

(छ) पूर्ण उत्पादन क्षमता पर पहुंचने में कितना समय लगेगा ?

(ज) यदि कोई है तो वह कौन सी आर्थिक तथा अन्य सहायता है, जिसे सरकार ने उस फर्म को देना स्वीकार कर लिया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) कलकत्ता।

(ग) उस फर्म ने टाइपराइटरों के निर्माण के लिये एक योजना की स्वीकृति के लिये प्रार्थना की जिसे सरकार ने पूरी तरह से जांच करने के बाद स्वीकार कर लिया। उनकी योजना में १९५६ तक टाइपराइटर के ९० प्रतिशत भाग को बनाना सम्मिलित है।

(घ) तथा (ङ)। सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

(च) २०,००० से २५,००० टाइपराइटरों तक बढ़ा दिया जाय, यदि आवश्यक हो।

(छ) १९५६ तक।

(ज) सरकार ने इस फ़र्म को किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता देना स्वीकार नहीं किया है। फिर भी, उसे यातायात, संयंत्र के तथा मशीनों के लगाने में और कच्चे माल आदि के मामले में सभी उचित सुविधायें दी जायेंगी, और यह बात विदेशी विनिमय की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

वैदेशिक कार्य मंत्रालय (कर्मचारी-वर्ग)

१०५. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) वैदेशिक कार्य मंत्रालय में गज़टेड, नांन-गज़टेड अधिकारियों, क्लर्कों तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की क्रमशः संख्या निम्नलिखित तिथियों में कितनी थी —

(१) १५ अगस्त, १९४७
(२) ३१ मार्च, १९५०;
(३) ३१ मार्च, १९५१; तथा
(४) ३१ मार्च, १९५२; तथा

(ख) जो व्यक्ति छंटनी में आ गये थे अथवा जिन्हें अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त कर दिया गया था, क्या उनको कोई क्षतिपूर्ति दी गई थी और यदि ऐसा है तो कितनी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरु): (क) अपेक्षित सूचना नीचे दी जाती है :—

तिथि	संख्या		
	गज़टेड अधिकारी	नांन गज़ेटेड अधिकारी	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी
(१) १५ अगस्त, १९४७	६८	२७५	२५६
(२) ३१ मार्च, १९५०	१०३	५६०	३०१
(३) ३१ मार्च, १९५१	१०४	६१२	३०२
(४) ३१ मार्च, १९५२	११०	६०७	३०२

(ख) छंटनी किये गये कर्मचारी अस्थायी कर्मचारी थे और नियमों के अनुसार उनको उनकी नौकरी समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में सामान्य सूचना दी गई थी अथवा इसके बदले में उन्हें एक महीने का वेतन दे दिया गया था। वे किसी भी प्रकार की क्षतिपुर्ति प्राप्त करने के अधिकारी नहीं थे। हाल ही के कुछ वर्षों में अनिवार्य रूप से निवृत्त किये जाने का कोई मामला नहीं हुआ है।

पाकिस्तान को निर्यात तथा पाकिस्तान से आयात

१५१. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की केपा करेंगे कि :

(क) १९४८-४९, १९४९-५०, १९५०-५१ तथा १९५१-५२ में पाकिस्तान को (१) कोयला; (२) पटसन का माल; (३) सूती कपड़ा; तथा (४) चिकित्सा सम्बन्धी सामान कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया गया था; तथा

(ख) उसी अवधि में पाकिस्तान से भारत में (१) कच्चा पटसन; (२) कपास; (३) सुपारी; तथा (४) मछली का कितना आयात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख)। एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी हुई है, सदन पटल पर रंखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५८।]**

दावों का सत्यापन

१५२. सरदार हुक्म सिंह : (क) **पुनर्वास** नंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के शहर तथा गांव के गृह-सम्पत्ति दावों का सत्यापन कार्य समाप्त हो गया है ?

(ख) क्या ऐसे भी दावे हैं जिन का अभी सत्यापन कार्य बाक़ी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) तथा (ख)। केवल कुछ हज़ार दावों को छोड़ कर, जिन पर कुछ विशेष कारणों के आधार पर अभी तक निर्णय नहीं किया गया है, अन्य इस प्रकार के सभी दावों का सत्यापन हो गया है।

शिमला स्थित समाचार जांच सेवा

१५३. सरदार हुक्म सिंह : (क) **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या शिमला स्थित समाचार जांच सेवा विदेशों से प्रति दिन प्रसारित किये जाने वाले समाचारों की जांच करती है ?

(ख) १९५२ में प्रतिदिन कितने समाचारों की औसतन जांच की गई थी ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) शिमला स्थित समाचार जांच कार्यालय में, प्रसारित किये जाने वाले लगभग ८० समाचारों की प्रति दिन औसतन जांच होती है।

कार्यक्रम मूल्य निर्धारण संगठन

१५४. श्री बी० एस० मूर्ति : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) कार्यक्रम मूल्य निर्धारित संगठन के निदेशालय में कौन कौन कर्मचारी हैं, उनकी क्या योग्यता है और उनकी वेतन श्रेणी क्या है; तथा

(ख) किस व्यवस्था द्वारा उनकी नियुक्ति की गई थी तथा उन की सेवा की शर्तें क्या हैं?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) प्रोफ़ेसर डी० जी० कर्वे को

कार्यक्रम मूल्य निर्धारण संगठन का संचालक नियक्त किया गया है; उनका वेतन २,२५० रुपये है। एक विवरण, जिसमें उनके कार्य तथा अनुभव के सम्बन्ध में बातें दी हुई हैं, सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ५९।]**

(ख) कार्यक्रम मूल्य निर्धारण संगठन के कर्मचारियों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भरती किया जायगा।

रिहांद बान्ध परियोजना

१५५. श्री रूप नारायण : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार पांच वर्षीय योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में रिहांद बांध के निर्माण कार्य को अपने अधिकार में लेने के प्रश्न पर विचार कर रही हैं; तथा

(ख) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख)। रिहांद बांध परियोजना को पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किया जा रहा है।

पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों के आयात पर प्रतिबध

१५५-ए श्री गिडवानी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान कराची से पी० टी० आई० द्वारा २९ अक्तुबर, १९५२ को भेजे गये समाचार, जो कि भारतीय समाचार पत्रों में ३० अक्तुबर, १९५२ को छपा था, की ओर दिलाया गया है जिसमें यह है कि पाकिस्तान सरकार ने पश्चिमी पाकिस्तान में भारतीय फ़िल्मों के आयात को तुरन्त बन्द करने का निश्चय किया है, तथा पूर्वी पाकिस्तान में भारतीय फ़िल्मों का आयात कुछ समय के लिये होता रहेगा, किन्तु बाद में देश के इस पूर्वी भाग में भी भारतीय फ़िल्मों पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया जायगा ;

(ख) क्या पान तथा केलों के आयात पर हाल ही में प्रतिबन्ध लगाने के बाद. पाकिस्तान सरकार ने भारत से पाकिस्तान में किसी अन्य वस्तु के आयात को बंद कर दिया है ;

(ग) क्या सरकार को भारतीय चल-चित्र निर्माता संघ का कोई तार मिला है जिस में उसने पाकिस्तानी फ़िल्मों के भारत में आयात पर शीघ्र ही प्रतिबन्ध लगाने की मांग की है, तथा जिस में यह भी कहा है कि पाकिस्तानी फ़िल्मों के प्रमाणो करण को पूर्ण रूप से बन्द कर दिया जाय; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) :

(क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस सम्बन्ध में म माननीय सदस्य का ध्यान ५ नवम्बर, १९५२ को श्री गिडवानी द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न ४७ के भाग (क) के मेरे द्वारा सदन में दिये गये उत्तर की ओर दिलाता हूं।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि पाकिस्तान सरकार ने भारतीय फ़िल्मों के आयात पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है।

सत्यमेव जयते

मंगलवार,
१८ नवंबर, १९५२

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

दूसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

मंगलवार, १८ नवम्बर, १९५२

सदन की बैठक पौने ग्यारह बज समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिए भाग १)

१२ मध्याह्न

याचिका समिति

अध्यक्ष महोदय : मुझे लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम १३३ के उपनियम (१) के अधीन यह घोषणा करनी है कि याचिका समिति में निम्न सदस्य होंगे :

(१) पंडित ठाकुर दास भार्गव (सभापति)
(२) श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती ।
(३) श्री असीम कृष्ण दत्त ।
(४) प्रो० सी० पी० मैथ्यू ।
(५) श्री पी० एन० राजभोज ।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ को पुनः संशोधित करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"औद्योगिक वित्त अधिनियम को पुनः संशोधित करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ को पुनः संशोधित करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ को पुनःसंशोधित करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को *पुरःस्थापित करता हूं ।

एक माननीय सदस्य : उसी विधेयक को वापस लेकर पुनः पुरःस्थापित किया जा रहा है !

अध्यक्ष महोदय : कार्य-सूची से ही स्पष्ट है कि एक विधेयक वापस लेकर दूसरा पुरः-स्थापित किया जा रहा है । सदस्यों को प्रक्रिया समझने का ज्ञान तो होना ही चाहिए ।

*राष्ट्रपति की पूर्वस्वीकृति से पुरःस्थापित किया गया ।

[प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन (संशोधन) विधेयक

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन अधिनियम, १८६७ को पुनःसंशोधित करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"प्रेस तथा पुस्तकों का पंजीयन, अधिनियम, १८६७ को पुनःसंशोधित करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० काटजू: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक

प्रवर समिति के प्रतिवेदन का पुरःस्थापन

श्री एम० अनन्तशयनम् अय्यंगार (तिरुपति): मैं भारत के संविधान को पुनःसंशोधित करने वाले विधेयक पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन को प्रस्तुत करना चाहता हूं ।

खाद्य स्थिति के सम्बन्ध में प्रस्ताव—क्रमागत

अध्यक्ष महोदय : अब सदन श्री किदवई के १७ नवम्बर वाले खाद्य-स्थिति विचार सम्बन्धी प्रस्ताव तथा मुद्रित तथा परिचालित संशोधनों पर आगे विचार जारी रखेगा ।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—संरक्षित—अनुसूचित जातियां) : नियंत्रणों के प्रशासन को ढीला करने वाली नई खाद्य नीति से मैं पूर्णतः सहमत हूं । राज्य में अनाजों के आने जाने पर रोक न रहने से पहले जैसे अन्तर न रहेंगे, जब एक समय पश्चिमी बंगाल के कोंटाई ज़िले में चावल का भाव १६ से २३ रुपये तक रहता था और उसी राज्य के कूच-बिहार जिले में ३० से ३५ रुपये तक । आशा है, अब आंतरिक रोक उठ जाने से एक ही राज्य के भाव में ऐसे दूने अंतर न रहेंगे ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

बंगाल के उत्तरी भाग दक्षिण से बिल्कुल अलग होने के कारण वहां से कलकत्ते में छिपे-छिपे चावल आने का प्रश्न नहीं उठता । उधर जब कलकत्ते में चावल का दाम प्रति मन १७ रुपये होता है, तब निकट के भागों में वहां से लगभग दूना—३० रुपये से ४१ रुपये प्रति मन तक । स्वयं खाद्य मंत्री ने माना था कि ५–६ हज़ार मन चावल कलकत्ते में छिपे-छिपे आता है । जब प्रशासन के केन्द्रस्थान कलकत्ते के संविहित राशन-क्षेत्र में इतनी पुलिस होने पर भी यह नहीं रोका जा सकता तब शेष राज्य में इस रोक के कारण फैलने वाले भ्रष्टाचार का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है । अतः १ जनवरी, १९५३ से उठने वाली इस रोक का सभी स्वागत करेंगे ।

जब वृहत्तर कलकत्ते को खिलाने का उत्तरदायित्व खाद्य मंत्री ले रहे हैं, तो शेष ज़िलों में नियंत्रण की बहुत कम आवश्यकता रह जायेगी । पर कलकत्ते में प्रभावी नियंत्रण चलाने के लिये ६ लाख टन के स्थान पर कुछ और बढ़ाना होगा ।

दूसरे मोटे अनाज दूसरे राज्यों में भी खरीद सकने की अनुमति होने से वह बात न रहेगी जैसा चौ० रनबीर सिंह ने बताया था कि रोहतक की ओर चना ६–७ रुपये प्रति मन भी नहीं बिक पाता है, जब कि शेष देश में इसकी बहुत मांग है । उन किसानों को पूरे दाम न मिलने से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता और देश के अन्य भागों में निचले आर्थिक स्तर वाले लोगों को अधिक दाम वाला महीन अनाज खाना पड़ता है । अतः इस परिवर्तन का भी स्वागत होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक बार बताया था कि चावल पसन्द न होने पर भी

पंजाबवासियों को राशन के कारण चावल खाने के लिये विवश होना पड़ता है, और बंगालवासियों को गेहूं खाने के लिये। नियंत्रण की यह गड़बड़ी तब तक नहीं रोकी जा सकती जब तक नियंत्रण आवश्यक बना रहेगा।

मोटे अनाजों का अवनियंत्रण होने से महीन अनाजों के भी भाव गिर जायेंगे। जापानियों के आक्रमण के समय १९४२ में लाहौर में गेहूं बाज़ार में न आने के कारण सरकार ने उसका अवनियंत्रण कर दिया। पहले तो दाम तिगुने हो गये, पर पीछे नियंत्रित भाव ७ रुपये के स्थान पर १४ रुपये प्रति मन का भाव जम गया, और बहुत सारा गेहूं बाज़ार में आ गया। अतः अवनियंत्रण से पहले तो दाम बढ़ते हैं, पर पीछे गिर जाते हैं। अतः हम मोटे अनाजों से अवनियंत्रण का आरंभ कर सकते हैं। इस कारण भारी कठिनाइयों को कम कर देने वाली इस अवनियंत्रण नीति का सभी स्वागत करेंगे।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्रीमान्, माननीय सदस्यों को इस अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अधिकाधिक समय मिल जाये, इस कारण मैं इस विवाद में बाधा देने में हिचकिचा रहा था। मेरे सहयोगी खाद्य मंत्री बाद में विवाद का पूरा-पूरा उत्तर देंगे। कल मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने स्थिति की विशद व्याख्या करते हुए सरकार की बुनियादी नीति स्पष्ट कर दी थी। वह न केवल सरकार की ही ओर से बोले थे बल्कि योजना आयोग की ओर से भी बोले थे——ऐसी बात नहीं कि वे दोनों एक दूसरे से पृथक् और परस्पर विरोधी हैं——फिर भी वे सरकार की ओर से और योजना आयोग की ओर से भी, जिसका काफ़ी बोझ उन पर है, साधिकार रूप में बोले थे। फिर भी मैंने कुछ शब्द कह देना इसलिये तय किया कि लोगों के दिमाग में इस समस्या पर काफी विभ्रम पैदा हो गया है और बहुत सी ऐसी बातें कही गई हैं, जिनका जहां तक सरकार का संबंध है, कोई औचित्य नहीं है। इस कारण भी मैंने सदन में इस विवाद का स्वागत किया था। जब इस सत्र में पहले मुझ से पूछा गया था कि क्या इस पर विवाद होगा, तो प्रश्नकर्त्ता माननीय सदस्य समझ रहे थे कि कुछ भारी परिवर्तन होने जा रहे हैं। वस्तुतः उन्होंने मुझ से पूछा था कि क्या पहले बड़े-बड़े परिवर्तन कर दिये जायेंगे और बाद में क्या पोस्ट मार्टम किया जायेगा। वास्तव में जैसा सदन को पता चलेगा, कोई बड़ा परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। कुछ परिवर्तन सुझाये अवश्य जा रहे हैं, पर उनका सरकार द्वारा अब तक अपनाई गई और भविष्य में अपनाई जाने वाली बुनियादी नीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। पर यह विभ्रम फैल गया और समाचार-पत्रों के हमारे कुछ मित्रों ने बड़ी-बड़ी शीर्षपंक्तियां निकाल दीं और ऐसी बात की कल्पना की, जो विद्यमान न थी।

यह खाद्य समस्या पिछले कुछ वर्षों से हमारी एक अत्यन्त कठिन समस्या रही है, और जैसा सदन को विदित है, खाद्य मंत्रालय को, वह चाहे किसी के अधीन रहा हो, बहुत भारी झंझटें झेलनी पड़ी हैं। हम सब अर्थात् सरकार और मंत्रि-परिषद् सभी ने खाद्य मंत्रालय के इस भार में कुछ हिस्सा बंटाया है, पर आखिर यह विद्यमान खाद्य मंत्री को ही करना होता है। मेरे अनुमान से हमने पिछले कुछ वर्षों में गलतियां की हैं। हम उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। यह एक अत्यन्त दारुण स्थिति हो गई है। सब मिलाकर हालत अपेक्षतया कुछ ठीक है——हम अपेक्षतया कुछ अच्छी स्थिति में हैं। वास्तव में इस स्थिति में सरकारी नीति के कारण ही इतना सुधार नहीं हुआ है; अन्य कारण भी हैं। पर कुछ सीमा तक हम यह कह सकते हैं कि यह सरकारी नीति के कारण सुधरी है। और इस सम्बन्ध में मैं अपने सहयोगी खाद्य मंत्री की प्रशंसा

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

करूंगा जिन्होंने इस मुश्किल तथा उलझे हुए प्रश्न को ऐसी शक्ति सामर्थ्य और सजगता के साथ निपटाया है, जिसने मेरे विचार से समूचे देश में सुपरिणाम पैदा कर दिये हैं।

मैं आंकड़ों का ब्यौरेवार विश्लेषण नहीं करना चाहता शायद सदन को उनकी अच्छी खासी खुराक पहले ही मिल चुकी है। पर हमें अप्रधान चीजों के कारण प्रधान चीजें न भुला देनी चाहियें। ऐसे विवाद में प्रत्येक माननीय सदस्य स्वभावतः उस स्थिति की विशेष चिंता करता है, जो उसके राज्य या उसके क्षेत्र विशेष में होती है। और यह ठीक ही है कि वह इस पर जोर दें। फिर भी सब से ज्यादा महत्व की बात यह है कि हम पूरे देश का चित्र, समूची-खाद्य-समस्या का ध्यान रखें और याद रखें कि हमारी बुनियादी नीति क्या है।

वास्तव में सदन बुनियादी नीति पर चर्चा कर सकता है। जहां तक हमारा सम्बन्ध है इस पर चर्चा करने या इसे बदलने का कोई प्रश्न नहीं उठा है। और जहां तक हम देख सकते हैं, इस बुनियादी नीति को बदलने का प्रश्न उठने की संभावना भी नहीं है। मैं यह भी बता दूं कि आप चाहे जितना अंतर कर दें, चाहे जितनी ढील दे दें, या इधर उधर कुछ परिवर्तन कर दें, पर भले ही खाद्य स्थिति बहुत काफ़ी सुधर जाये, यह बुनियादी नीति चलती ही रहेगी। कुछ भविष्य की ओर देखते हुए मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारे वर्तमान खाद्याभाव के स्थान पर—थोड़ा-बहुत खाद्याभाव तो है ही (यद्यपि उस सम्बन्ध में भी आंकड़ों में अन्तर है) पर हम मान लें कि खाद्याभाव है, किन्तु मैं एक कदम आगे बढ़ कर कहूंगा—कि भले ही खाद्य का अतिरेक हो जाये, यह बुनियादी नीति चलती रहेगी। आप इसका तरीका या बहुत सी बातें बदल सकते हैं, पर मेरे विचार से बुनियादी नीति तो चलती ही रहेगी।

मैं ऐसा क्यों कहता हूं? मेरे सहयोगी वित्त मन्त्री ने योजना के परस्पर सम्बन्ध का निर्देश किया था। वह तो है ही। यदि इसे घरेलू रूप में कहा जाये तो यह राष्ट्र की गृहस्थी चलाने जैसा ही है। अतः भले ही हालत कुछ सुधर जाये, हम राष्ट्र की गृहस्थी का चलाना बन्द नहीं कर सकते। वास्तव में यदि गृहस्थी चलाने का तरीका गलत है, तो हमें इस तरीके को सुधारना होगा। पर खाद्य के संभरण और जीवन की अन्य आवश्यकताओं के बारे में यदि हमें कुछ योजना बनानी है तो हमें पूरे समुदाय की गृहस्थी का ख्याल रखना होगा। हमें सब से पहले यही नहीं देखना होगा कि वितरण समुचित रूप में होता है और किसी को दूसरे के कारण दुखी नहीं होना पड़ता आदि, पर हमें यह भी देखना होगा कि हम उसमें अपने विकास तथा योजना कार्यक्रमों के लिये पूरा ध्यान रखें। मान लो, हमारा राष्ट्र खाद्य के अतिरेक वाला राष्ट्र हो जाता है, तो हम यह नहीं चाहेंगे कि हम उसका पूरा लाभ न उठायें। हम भोजन स्तर को ऊंचा करना ही चाहेंगे, पर मैं कहूंगा कि उसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। चूंकि हमारी विकास की मांग बहुत विशाल है, और हम अपने देश को विकसित करना चाहते हैं। तो यदि आवश्यक हुआ तो बचने वाले अतिरेक का हम निर्यात में उपयोग करना चाहेंगे, जिससे हम मशीनों आदि अत्यावश्यक सामान का अधिक आयात कर सकें,—यद्यपि अभी निर्यात का कोई प्रश्न नहीं है; मैं यह तर्क ही सदन के सामने रख रहा हूं। शायद सदन को याद होगा कि बीसेक वर्ष पहले जर्मनी में 'गोली बनाम मक्खन' वाली बात खूब चली थी अर्थात् तत्कालीन नाजी जर्मनी मक्खन के स्थान पर गोली को अधिक पसन्द करता था, वह

मक्खन का निर्यात कर उस से आये पैसे से गोलियां बनाने की बात कहता था। पर हमें गोली से कोई रुचि नहीं और हम उसके लिये मक्खन भी नहीं छोड़ना चाहते।

अपने आर्थिक विकास के लिये अपेक्षतया अधिक उपयोगी वस्तुओं को प्राप्त करने में संभव है हमें मक्खन छोड़ना पड़े। मेरे विचार से विकास के सम्बन्ध में देश यह मान लेगा कि अपनी भावी उन्नति के लिये अत्यावश्यक कुछ वस्तु प्राप्त करने के लिये हमें आवश्यक पदार्थ सुलभ होने पर भी अपनी निजी दैनिक आवश्यकतायें कम करनी पड़ेंगी। वास्तव में उसकी सीमाएं हैं। हम पूरे समुदाय के लिये भोजन चाहते हैं, अच्छा भोजन, काफी भोजन चाहते हैं और हमें उसका प्रबन्ध करना होगा, पर मैं कोई कारण नहीं देखता कि हम अन्न क्यों विनष्ट करें और ऐसी परिस्थितियों को पनपने दें, जिनसे अन्न नष्ट हो या ऐसा ही कुछ हो जाये। अतः इस सब के लिये गृहस्थी को कुशलतापूर्वक चलाना होगा। मेरे अनुमान से हम में से कुछ लोगों के लिये अपनी गृहस्थी चलाना भी मुश्किल काम है, और मेरे विचार से पूरे राष्ट्र की गृहस्थी का चलाना एक बहुत पेचीदा और मुश्किल बात हो जातो है; पर यह सिद्धान्त तो रहेगा ही कि हम राष्ट्र की गृहस्थी चलायें और इसलिये सदन के सामने बुनियादी बात यही है कि क्या हम इन अत्यन्त महत्वपूर्ण बातों को तथाकथित निजी उपक्रम और बिल्कुल खुले बाजार के हाथ में छोड़ सकते हैं। बिलकुल खुले बाजार और खुले उपक्रम की धारणा आज पुरानी पड़ गई है। वह नियंत्रण के बाहर हो जाता है। और भारत जैसे देश में, जहां हमारे संसाधन सीमित हैं, और जहां हमें उन को बढ़ाना है, हम बिलकुल खुले बाजार और खुले उपक्रम वाली इस बात की अनुमति नहीं दे सकते। पर इसका अर्थ यह नहीं कि किसी भी वस्तु के लिये खुले बाजार की गुंजाइश है ही नहीं। अनिवार्यतः हमें सारभूत पदार्थों को नियंत्रित करना ही होगा, जिससे हम देश की बुनियादी आर्थिक स्थिति को नियंत्रित रख सकें। यही बात खाद्य पर भी लागू होती है। मैं यह नहीं कहता कि खाद्यों के लिये खुला बाजार न हो। निश्चय ही वह हो सकता है। मैं यह कहने को तैयार नहीं कि यह विशेष नियंत्रण दूसरी जगह से न उठा लिया जाये। यह संभव है। यह परिस्थितियों पर निर्भर है। हम उसकी चर्चा कर लें। मैं यह कहने को तैयार हूं कि हमें खाद्य स्थिति पर सुदृढ़ नियंत्रण रखना चाहिए और अन्य बातों के बारे में हमें ऐसी स्थिति में होना चाहिए कि हम परिस्थिति पर तुरन्त नियंत्रण कर सकें। हम वह कैसे कर सकते हैं? यह परिस्थितियों और तथ्यों के विवरण पर निर्भर है। मैं सदन के सामने सेना का रूपक रख सकता हूं। एक सेना एक राज्य या क्षेत्र का नियंत्रण करती है। जो जनरल सेना को प्रत्येक स्वतंत्र नागरिक का नियंत्रण करने के लिये प्रत्येक गांव में बांट देता है, वह बेवकूफ ही होगा। वह स्थिति पर वैसा नियंत्रण नहीं रख सकता जैसा कुछ सामरिक स्थलों पर नियंत्रण करते हुए रख सकता है। वह उन पर पूरा नियंत्रण रखता है तो वह किसी अचानक घटना के होते ही कहीं भी नियंत्रण कर सकता है। यदि वह वस्तुतः सामरिक स्थलों का नियंत्रण रखता है, तो पूरी स्थिति उसके नियंत्रण में है। सामरिक स्थल क्या हैं, इस प्रश्न पर विचार किया जा सकता है। पर बात यह है कि सामरिक स्थलों पर नियंत्रण रखना होगा और हम ऐसी शक्तियों को अनियंत्रित नहीं छोड़ सकते, जो समुचित खाद्य-वितरण आदि की हमारी बुनियादी नीति में उथल-पुथल कर दें। अत. मेरी इच्छा है कि सदन इस बात को अच्छी तरह समझ ले कि अभी या बाद में—जैसी मुझे आशा है—खाद्य स्थिति में निरन्तर सुधार होता रहे, तब भी कोरी आशा पर ही मैं अपनी

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

नीति आधारित नहीं कर सकता । नीति को आकस्मिक संकट की संभाव्यता या शक्यता पर आधारित करना होगा और सदैव अच्छी फ़सल की आशा में हम सुदृढ़ नीति नहीं रख सकते । पाकिस्तान को ही लें । पाकिस्तान खाद्य के सम्बन्ध में तीन चार वर्ष खूब हरा-भरा रहा । फिर कोरिया युद्ध के कारण दाम बढ़ गये और उन्होंने खूब पैसा कमाया तथा खाद्य के विषय में पाकिस्तान और भारत की तुलना में भारत को नीचा बताया गया । उनकी नीति की आलोचना मेरा काम नहीं । मुझे ब्यौरे पता नहीं, पर यह स्पष्ट है कि एक बुरी फ़सल ने इस वर्ष वहां बिलकुल उथल-पुथल कर दी है । खाद्य के विषय में उनकी खूब छीछालेदार हुई, कल के खाद्य के अतिरेक वाले देश में आज सहसा खाद्याभाव हो गया और उसे दुनियां के सुदूर कोनों से खाद्य मंगाना पड़ा । अतः हम अपनी नीति आशाओं ही पर आधारित नहीं कर सकते । हमें उसे समझने के लिये तैयार रहना चाहिए । हमें यह संभावना रखते हुए नीति बनानी चाहिए कि अचिंतित घटनाएं घट जायेंगी । एक कदम और आगे बढ़कर मैं कहूंगा कि हमें पूरा संतोष भी हो कि हमारी आशाएं पूरी हो जायेंगी और परिस्थितियां दिन-दिन सुधर रही हों, तब भी हम प्रत्येक दृष्टिकोण से सारभूत पदार्थों का ध्यान नहीं छोड़ सकते । अतः मैं यह स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि खाद्य स्थिति पर अत्यावश्यक नियंत्रण रखने ही पड़ेंगे ।

अब एकमात्र विचारणीय प्रश्न यही है कि उन अत्यन्त महत्वपूर्ण नियंत्रणों को कैसे लगाया जाये, और महत्वहीन नियंत्रणों को समय-समय पर कैसे शिथिल किया जाये । यह वस्तुतः एक ब्यौरे की बात है, यद्यपि यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विवरण है और यह ध्यान रखना होगा कि उससे महत्वपूर्ण नियंत्रणों पर तो कहीं प्रभाव नहीं पड़ता । अब इसका अर्थ निश्चय ही यह नहीं कि पूरे देश के लिए बिलकुल एकरूप नीति अपनाना अत्यावश्यक है । विभिन्न राज्यों की दशाओं में अंतर है और उस बुनयादी बात को ध्यान में रखते हुए हमें उन परिस्थितियों के अनुकूल बनना पड़ेगा । बुनियादी नीति वही है, पर किसी राज्य या देश के किसी भाग में उसके लागू किये जाने में अनेक स्थितियों के कारण अन्तर हो सकता है । इसे याद रखना होगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि इस बुनियादी नीति के राज्य या क्षेत्र विशेष में विशिष्ट प्रवर्तन को लेकर कुछ विभ्रम चल रहा है । यह प्रवर्तन अनेकों कारणों पर निर्भर होगा, जो उस राज्य के लिए विशिष्ट हैं और विशेषतः खाद्य स्थिति के संबंध में । पर कुछ अन्य बातों पर भी विचार करना होगा । और इन महत्वपूर्ण नियंत्रणों को भी यदि आप बहुत अधिक फैला देंगे, तो सैनिक नियंत्रण की भांति इसका अर्थ होगा कम नियंत्रण रहना । मैं सेना की तुलना को ले रहा हूं । फैली हुई सेना कमज़ोर सेना होती है । वह स्थिति पर नियंत्रण नहीं रख पाती । अतः उस पर इस दृष्टि से विचार करें । मैंने सुना था कि उस दिन एक राज्य सरकार लगभग १५,००० जवान लड़कों पर मुट्ठी भर चावल या गेहूं इधर से उधर ले जाने के तुच्छ से अपराध पर मुकद्दमा चला रही है । यह एक अपराध है । पर यदि एक राज्य छोटे बच्चों को पकड़ने में सारी शक्ति व्यय करता है, तो यह तरीका ही कुछ गलत है । नियंत्रणों में कुछ त्रुटि नहीं है । यह अलग बात है कि शक्ति के इस अपव्यय में कुछ त्रुटि हो और विशेषतः तब जब कि बड़े-बड़े दोषी साफ बच जाते हैं । मैं फिर दुहरा दूं कि किसी ऐसी प्रक्रिया का अपनाना अधिक अच्छा रहेगा जिसमें नियंत्रण महत्वपूर्ण पदार्थों पर रहे और प्राविधिक-उल्लंघनों पर ही प्रत्येक लड़के लड़की को पकड़ लेना जरूरी न हो जाये ।

सदन के सामने रखे गये प्रस्ताव में एक छोटा सा उपबन्ध जोड़ा गया है कि सिर के बोझ जितना अनाज ले जाने में कोई रोक न रहेगी — इन सिर के बोझों से देश की सामान्य खाद्य स्थिति में अन्तर नहीं पड़ जायेगा .....

श्री टी० के० चौधरी (बरहामपुर) : क्या सभी अनाजों के सिर पर ले जाने लायक बोझों के ले जाने की अनुमति है या केवल ज्वार के ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह केवल ज्वार पर लागू होता है । लोग सिरों के बोझ के रूप में चाहे जितना ले जायें, उससे स्थिति पर विशष प्रभाव नहीं पड़ता । उसकी बात ही सोचना बेकार है । हम सब इस राज्य या उस राज्य की बात करते हैं और एक प्रवृत्ति यह देखी जाती है कि प्रत्येक राज्य अपने को शेष से अलग समझ ले लेकिन राज्यों की सीमाओं के निकट रहने वाले निर्धन लोग ऐसी बात नहीं सोचते । दूसरी ओर उनके नातेदार हो सकते हैं; सब से पास का बाज़ार सीमा के उस पार हो सकता है और स्वभावत: वे वहां जायेंगे । अत: सीमा पर के सामान्य कृत्यों में हम जितनी कम बाधा दें, उतना ही अच्छा है । यह बेकार का बोझ है और अपनाये जाने वाली बुनियादी अर्थ-व्यवस्था पर बिना कोई प्रभाव डाले इससे बेकार की परेशानी में डालने वाली स्थिति पैदा हो जाती है । आप इसकी तुलना अन्यत्र खोज सकते हैं । उस अर्थ में यदि आप इधर उधर नियंत्रण की लगाम कुछ ढीली भी कर देते हैं, और यदि इससे स्थिति के बुनियादी नियंत्रण पर प्रभाव न पड़े, तो यह अच्छा ही है । समय-समय पर आप इसकी जांच करते रहें और परिस्थिति की दृष्टि में इधर-उधर कुछ आवश्यक नियंत्रण वा ढील देते रहें, पर यह सदा याद रखना होगा कि बुनियादी नीति वही बनी रहे ।

इस समय हम गेहूं-चावल की चर्चा नहीं कर रहे हैं । यह बिलकुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि पहले जैसी स्थिति बनी रहने पर इस बात का गेहूं-चावल से कोई सम्बन्ध नहीं है । हम ज्वार की चर्चा कर रहे हैं । ज्वार हमारी खपत का काफी अच्छा अंश लगभग ४० प्रतिशत है । कुछ भी सही, सामान्यत: स्थानीय खपत के लिए ज्वार वहीं पैदा कर लिया जाता है । स्थानीय रूप से ज्वार की बहुत काफी खपत होती है । ज्वार का व्यापार चावल-गेहूं के व्यापार से कहीं कम होता है और इसने स्थिति पर उतना प्रभाव नहीं डाला जितना चावल-गेहूं के व्यापार ने । हमारी खाद्य सम्बन्धी खपत का ४० प्रतिशत होते हुए भी—यह बात पीछे सुधारी जा सकती है—राशन-प्रणाली में वस्तुत: ८ प्रति शत ज्वार ही लिया गया है ।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : केवल सात प्रतिशत का ही समाहार किया गया था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं बस यही कह रहा हूं कि हम जो भी पग उठायें, वह साधारण स्थिति और गेहूं तथा चावल की स्थिति को दृष्टि में रखते हुए ही उठायें । जहां तक कहा जा सकता है, ज्वार की स्थिति का प्रभाव पड़ता तो है, पर बहुत अधिक नहीं । यदि आप, जैसा कि प्रस्ताव है, ज्वार के सम्बन्ध में भी राज्यों की सीमाएं मानें; और केवल आंतरिक खुले व्यापार की ही अनुमति रहे तथा केवल एक राज्य सरकार को दूसरी राज्य सरकार से खरीद करने की ही अनुमति रहे, तो वस्तुत: आप ज्वार की स्थिति के ऊपर भी काफी नियंत्रण रखते हैं, यद्यपि ज्वार की स्थिति का समूची स्थिति पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता । इसका थोड़ा प्रभाव पड़ता है, पर गेहूं-चावल जितना नहीं, भले ही यह कुल खपत का ४० प्रतिशत ही क्यों न हो । और आप उस पर भी नियंत्रण रखते हैं । अत: हम जो पग उठा रहे हैं, वह बृहत्तर नीति की दृष्टि में काफी सुरक्षित पग है । साथ ही इस से

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

छोटी-मोटी परेशानियां और दिक्कतें बहुत कुछ कम हो जाती हैं । यह हमें स्थिति के निरीक्षण का काफी अवसर देता है और यदि स्थिति अनकूल नहीं रहती, तो पीछे लौटने या और कुछ करने का मार्ग हमारे लिए खुला रहता है । सदन के निकट मेरा सुझाव है कि यह बहुत अच्छी नीति है । मैं समझता हूं कि उस सम्बन्ध में एक संशोधन रखा गया है, जिसमें नियंत्रणों की साधारण नीति को स्वीकार करते हुए उन्हें उचित ठहराया गया है और उस बुनियादी नीति को ध्यान में रखते हुए कुछ संशोधन भी उचित ठहराये गये हैं । संशोधन यों हैं :

"और उसका विचार करने के बाद यह सदन खाद्यान्नों के साधारण नियंत्रण के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन करता है और बुनियादी लक्ष्य में बाधा डाले बिना स्थानीय या अस्थायी दशाओं के अनुकूल उस में समायोजन करने की सरकार की इच्छा का स्वागत करता है ।"

मेरी समझ से यह संशोधन सरकार की स्थिति पर ठीक प्रकाश डालता है ।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : नियंत्रण के उपलक्षित अर्थ से ही सब स्पष्ट रहते हुए क्या संशोधन का पिछला भाग आवश्यक है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह शब्द-चुनाव की बात है । मैंने उसका आलेख नहीं बनाया । मैं इसे इसी रूप में चाहूंगा, यह काफी ठीक है । शब्दों में कुछ अन्तर हो सकता था, पर वह विशेष महत्व की बात नहीं । मुख्य बात यह है कि सदन इस पर अधिक जोर दे कि अन्नों के नियंत्रण की बुनियादी बात अपरिवर्तित ही रहती है । साथ ही यह मानते हुए कि हमारी नीति कोरी सिद्धान्तवादी नीति ही नहीं है, जिसका परिवर्तित स्थिति और दशाओं से सम्बन्ध न हो और जो परिणाम की चिन्ता किये बिना केवल जनता को कष्ट ही देना चाहती हो, बुनियादी बात को ध्यान में रखते हुए समय समय पर हम इसमें कुछ समायोजन करते रहते हैं ।

पंडित एल० के० मैत्रा (नवद्वीप) : श्रीमान्, स्पष्टीकरण के लिये । नई योजना के चालू करने के प्रभाव प्रधान मंत्री ने बताये, पर क्या इससे साधारण उपभोक्ता पर कुछ प्रभाव पड़ेगा ? देश में राशन वाले क्षेत्र में कुल १२ प्रतिशत लोग ही रहते हैं । राज्यों के खाद्य मंत्री इन लोगों की आवश्यकता पर ही ध्यान रखना काफी समझते हैं । कलकत्ते में चावल १७।।) मन रहता है और उससे दस मील दूर देहात में ३०) से ३८) तक; जब कि क्रय-शक्ति कलकत्ते में ही अधिक है । इस प्रकार ८८ प्रतिशत जनता को राशन वाले क्षेत्र से दुगुने दाम तक देने पड़ते हैं । कभी-कभी इन क्षेत्रों में संशोधित राशन-प्रणाली के अधीन कुछ वर्गों को—एक सीमित प्रतिशतक को—कुछ सस्ता राशन मिल जाता है । खाद्य मंत्री तथा अन्य मंत्रियों के भाषण के बाद भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि राशन के क्षेत्र के बाहर के लोगों को क्या नई योजना से कुछ लाभ होने जा रहा है । आशा हो चली थी कि अन्तर्राज्यिक बंधन उठ जाने से शायद दाम कुछ गिर जायेंगे (अंतर्बाधाएं) . . . .तो क्या प्रधान मंत्री इस दिशा में कुछ प्रकाश डालेंगे ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे विचार से पंडित मैत्रा द्वारा उठाई गई बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है और ध्यान में रखी जानी चाहिए । केवल १०–१५ प्रतिशत जनसंख्या को ही ध्यान में रखते हुए और शेष सब को भुला कर हम काम नहीं चला सकते । पर दूसरे लोगों में अधिकांश अन्न पैदा करने वाले लोग हैं । वास्तविक कठिनाई उन लोगों को है, जो न

अन्न पैदा करने वाले हैं, न नगर निवासी और न राशन-क्षेत्र के निवासी। यह कठिनाई उनको है। हम जो भी नीति बनायें, उस में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि इन लोगों के लिये भी दाम कम रहें। प्रत्यक्ष ही माननीय सदस्य द्वारा सुझाई गई बात ध्यान में रखनी होगी। इस पर अमल कैसे हो, यह अलग बात है। वस्तुतः मान लो राज्यों में ज्वार के लाने ले जाने पर खुली छूट है, उससे ही जहां तक ज्वार का संबध है, शायद दाम सर्वत्र एक से रहेंगे। दूसरी बात भी ध्यान में रखनी होगी, पर मेरा मतलब यह था कि कंट्रोल रखने पड़ेंगे, क्योंकि आखिर हम यह सब किस लिये कर रहे हैं? इसीलिये न कि हम जल्दी से जल्दी अपने देश में काफी अन्न पैदा कर के और उसे उचित रूप में वितरित कर के खाद्यान्नों के आयात में कमी कर दें।

माननीय सदस्य डा० लंका सुन्दरम् ने मुझे मेरे एक पुराने वक्तव्य——बार-बार दुहराये गये वक्तव्य——की याद दिलाई थी, जो मैंने तीन वर्ष पहले दिया था, और जो मार्च या अप्रैल, १९५२ तक खाद्य-आयातों को समाप्त कर देने के सम्बन्ध में था। मुझे याद नहीं, १९४९ या १९५० में मैंने यह वक्तव्य दिया था, पर मैंने वह वक्तव्य पूरे सच्चे दिल से दिया था, और हम सब प्रकार से वैसा करने के लिये प्रयत्न करना चाहते थे, पर खेद है कि मेरी बात गलत हो गई, और इस प्रकार का एक प्रण सा देश के सामने करने के लिए मुझे शर्म आई, इसी कारण अब किसी प्रकार का निश्चित वक्तव्य देने या प्रण करने की मेरी कोई इच्छा नहीं है (अंतर्बाधाएं) पर मैं नहीं समझता कि हम यह क्यों न कहें कि हम आयातों को कम करने का पूरा यत्न करेंगे और योजना-काल में संभव हुआ तो भारी संकट काल की बात छोड़ उनको समाप्त कर देंगे। यह हमारा विचार है, और आंकड़े बता रहे हैं कि यह हो सकना संभव है। बस मैं इतना ही कह सकता हूं। और रहा "क्रमिक अवनियंत्रण", सो उसे में "क्रमिक समायोजन" कह कर पुकारेंगा पर महत्वपूर्ण स्थितियों को सदा नियंत्रण में रखना होगा, अन्यथा आप केवल बाहरी प्रगति ही कर सकेंगे।

श्री टी० के० चौधरी: एक दूसरा स्पष्टीकरण मुझे यह कराना है कि देहाती क्षेत्र तथा घाटे वाले राज्यों में नियंत्रण का अर्थ 'समाहार' होता है और वह नियंत्रणों के रहते आवश्यक भी है, पर क्या सरकार अपनी खाद्य-समाहार-प्रणाली का पूरा-पूरा पुनरीक्षण करने का कोई विचार कर रही है?

श्री जवाहरलाल नेहरू: मेरे विचार से वित्त मंत्री द्वारा भी यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सर्वत्र एकरूप-समाहार प्रणाली रखना बहुत मुश्किल है और मेरे विचार से अवांछनीय भी है। दशाएं विभिन्न हैं और दूसरे हमें इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों के द्वारा काम करना होता है और प्रायः राज्य-सरकारें ही इस सम्बन्ध में विचार और निश्चय करती हैं। निःसन्देह समाहार चालू रखना होगा। और मैं तो यह भी कहूंगा यह कहना परस्पर विरोधी नहीं है कि नियंत्रण न रहने पर भी हमें समाहार की आवश्यकता रहेगी। हमारे हाथ में काफी भंडार रहने चाहिएं। हमें घाटे वाले क्षेत्रों में भंडार भेजने होंगे। देश में प्रत्यक्ष ही घाटे वाले क्षेत्र हैं। साधारणतः दशाएं सुधरी हैं, पर उदाहरण के लिए मद्रास राज्य में स्थिति कई वर्षों से लगातार बुरी है और अब भी पानी न बरसने से कुछ महीनों तक यह बुरी ही बनी रहेगी और हमें उसके लिये प्रबंध करना होगा। कर्नाटक के कुछ जिले और देश के कुछ भाग घाटे वाले क्षेत्र हैं। वहां पानी नहीं बरसा या ऐसा ही और कुछ हो गया है। हमें उनको अन्न देना होगा यह कहां से दिया जायेगा। प्रकट है कि या तो विदेशी क्रय से या स्थानीय समाहार से। हम विदेश से खाद्य-आयात कम करना चाहते हैं। और सब कुछ हम विदेश से ही नहीं खरीद सकते। अतः समाहार चलाना ही

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

पड़ेगा और भंडार रखने ही पड़ेंगे, भले ही स्थानीय नियंत्रण का तरीका कुछ भी हो। यह तो समायोजन और उपयुक्तता की बात है।

श्री बंसल (झज्जर-रेवाड़ी): जैसा सदन के नेता ने कृपया स्पष्ट कर दिया है, यह नियंत्रण और अनियंत्रण का विवाद नहीं, बल्कि प्रश्न यह है कि हमारी अर्थ-व्यवस्था के लिए नियंत्रण का स्वरूप क्या हो। वित्त मंत्री ने विकास-कार्यक्रम के कारण कल नियंत्रणों को आवश्यक माना था, मुझे आशा है कि अपनी उस बात को निभाते हुए वह विनियोजन बढ़ाकर नियंत्रण को आवश्यक बना देंगे।

ये नियंत्रण युद्धकालीन संकट का सामना करने के लिए शुरू किये गये थे। अब हमें सावधानीपूर्वक उनका स्वरूप अपनी विकास-शील अर्थव्यवस्था के अनुकूल बनाना पड़ेगा। आंकड़े बताते हैं कि १९४६ से खाद्य का आयात निरन्तर बढ़ता ही रहा है और आज तक ९०० करोड़ रुपयों से अधिक के खाद्य का आयात किया गया है, जो हमारी विकास योजना का लगभग ७५ प्रतिशत है। यदि ऐसा ही चलता रहा, तो हमारी योजना का क्या बनेगा? दूसरे ये नियत्रण दिन-दिन बढ़ने वाली आर्थिक सहायता के आधार पर रखे गये हैं, आंकड़े यों हैं:

१९४६–४७	२२	करोड़ रुपये
१९४७–४८	१७	" "
१९४८–४९	२६.९३	" "
१९४९–५०	२१.१५	" "
१९५०–५१	१५.३२	" "
१९५१–५२	५७.६३	" "
१९५२–५३	(लगभग १५)	" "

अर्थात् १९४६ से अब तक कुल मिला कर लगभग १७५ करोड़ रुपये इसके ऊपर व्यय किये जा चुके हैं। और १९५१ में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार संविहित राशन-क्षेत्र की ४ ६ करोड़ जनता के लिए ही यह व्यय किया गया है। १० प्रति शत लोगों के लिए यह गणना-रेखा बनाये रखना कहां तक उचित है? कांग्रेस की योजना उपसमिति में भी मैंने यह सुझाव दिया था कि खाद्य जैसी महत्व-पूर्ण वस्तुओं पर नियंत्रण रहना चाहिए, पर उसका स्वरूप हमें उपर्युक्त सारी बातों को ध्यान में रखते हुए निश्चित करना होगा।

हमें यह नियंत्रण भारी लागत पर रखने पड़े हैं। ऐसी बात नहीं कि नियंत्रण के कारण आयात ज़रूरी हो गये। पर अब समय आ गया है कि हम इस भारी लागत को कम करने के तरीके सोचें। माननीय योजना मंत्री ने आयात कम करने की बात कही थी, पर वैसे ही वायदे पहले भी तो किये गये थे।

तथ्यों द्वारा यह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता है कि नियंत्रण के कारण इस देश में खाद्य का उत्पादन बढ़ गया है। नियंत्रण ढीले करने से उद्योगों में उत्पादन बढ़ गया है। वैसा करने से खाद्यान्नों का उत्पादन भले न बढ़े, पर नियंत्रण के कारण उसका उत्पादन गिरा हुआ अवश्य दिखाई देता है।

इसके पश्चात् सदन की बैठक मध्यान्ह भोजन के लिये ढाई बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

मध्यान्ह भोजन के बाद सदन की बैठक ढाई बजे पुनः समवेत हुई।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

श्री बंसल: नियंत्रणों ने राशन-क्षेत्रों में गणना-रेखा को एक विशेष स्तर पर बनाये रखने में भले ही सहायता दी हो, पर हमारी साधारण अर्थ-व्यवस्था में दामों पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अनियंत्रित वस्तुओं के दाम क्रमशः बढ़ते ही रहे हैं।

ऐसी राशन प्रणाली में परिवर्तन होना ही चाहिए था। वित्त मंत्री ने सब से पहले खाद्य पर से अर्थ सहायता उठा ली। फिर मद्रास में कंट्रोल ढीला किया गया और कुछ

घाटे वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों का आना-जाना अबाध रूप में होने लगा। देश क्रमशः अव-नियंत्रण के स्वप्न देखने लगा। मैं अवनियंत्रण के पक्ष में न हो कर महत्वपूर्ण वस्तुओं के नियंत्रण के ही पक्ष में हूं, पर हमारी नियंत्रण नीति का पुनरीक्षण होना चाहिए। श्री टी० एन० सिंह और प्रधान मंत्री द्वारा कंट्रोल से पैदा हुई, कुछ परेशानियों का उल्लेख किया गया था। पंजाब में एक किसान दूसरी तहसील के अपने खेतों की उपज अपने घर नहीं ला सकता। दूसरे यद्यपि गांवों में राशन नहीं है, पर वहां भी गेहूं नहीं मिलता। अब तीसरा पग खाद्य मंत्री द्वारा यह उठाया जा रहा है कि मोटे अन्न खुले-खुले लाये जा सकेंगे और घाटे वाले राज्यों द्वारा दूसरे राज्यों में भी उनकी खरीद की जा सकेगी। प्रधान मंत्री ने आज प्रातः यह स्पष्ट कर दिया है कि यह नियंत्रण बनाये रखने या उठा देने का प्रश्न नहीं है, बल्कि उन पर पुनर्विचार करने का प्रश्न है। मैं उठाये गये इन नये पगों के लिए खाद्य मंत्री को बधाई देता हूं।

श्री रामचन्द्र रेड्डी (नेल्लोर) : पिछले पांच महीनों से श्री किदवई द्वारा केन्द्र में और राजगोपालाचार्य द्वारा मद्रास राज्य में खाद्य-नीति के सम्बन्ध में उठाये गये पगों के कारण उनके नाम आज सर्वत्र और विशेषतः मद्रास में सब की जबान पर हैं। कल सदन-पटल पर रखे गये आंकड़ों से स्पष्ट हो गया है कि घाटे वाले क्षेत्रों में नियंत्रित तथा चोरबाज़ारी भावों का अंतर बहुत कम हो गया है। विजगापट्टम में ५० रुपये का भाव अब २३ रुपये रह गया है और बेलारी में ४५ से २८ रुपये। उधर अति-रेक वाले क्षेत्रों में भाव कुछ बढ़ गये हैं और अब भाव प्रायः सर्वत्र एक से हो गये हैं। सदन के तीन मंत्रियों के भाषणों से स्पष्ट हो गया है कि उनके मन में कुछ विभ्रम चल रहा है। पर मद्रास में यदि अवनियंत्रण दो महीने की देर न कर के ठीक दिसम्बर-अप्रैल की फसल के समय शुरू किया गया होता तो यह गड़बड़ी न पैदा हुई होती। अब सुना गया है कि ताडेपल्लीगुडम् के चावल केन्द्र में चावल के भाव गिरने लगे हैं। इस राज्य में १९४७ से १९५२ तक समाहार के भाव क्रमशः बढ़ते रहे हैं, और चावल के समाहार-भाव पर रु० १/५/- प्रति मन अधिभोर और रहा है जो उपभोक्ता को अन्य अनेक बोझों के साथ सहना पड़ा है। सन् १९४७ के पहले भी उपभोक्ता द्वारा दिये गये दामों का आधा ही उत्पादकों को मिलता था। नियंत्रण और समाहार के बाद भी दशाएं बदली नहीं और अब भी बीच में अनेकों लोग बने हुए हैं। अतः जब कि उपभोक्ता को अधिक देना पड़ता है, उत्पादक को समुचित अंश प्राप्त नहीं होता।

समाहार ने उत्पादकों को बहुत तंग कर रखा था और वे कंट्रोल के विरुद्ध विद्रोह सा करने लगे थे। आशा है अब अतिरेक वाले क्षेत्रों में समाहार नियमों को कुछ उदार बना कर प्रति एकड़ कुछ बोरे अन्न देने का विकल्प रख दिया जायगा। इस प्रकार इकट्ठे किये गये अन्न से और आयात किये गये अन्न से जो भंडार जमा होंगे, उन से नगरों में और मलाबार, त्रावणकोर आदि के घाटे के क्षेत्रों में खाद्यान्न दिये जा सकेंगे। लंका में गांवों की स्थानीय उपज को गांवों में और आयातित और समाहार द्वारा इकट्ठे किये गये खाद्यान्नों को शहरों में वितरित किया जाता है। ऐसा तरीका हैदराबाद में भी सफल हो चुका है, और दूसरे स्थानों में भी अपनाया जा सकता है।

रहा ज्वार का अवनियंत्रण, सो मद्रास में तो १९५१ में ही इस दिशा में पग उठाये गये थे, जब चावल की कमी के फलस्वरूप ज्वार की बढ़ती हुई मांग, उसके खुले-छिपे वितरण, सरकार द्वारा एकत्र किये गये ज्वार का न बिकना आदि कारणों से यह अव-नियंत्रण आवश्यक हो गया था और तब से कोई शिकायत सुनने में नहीं आई। सरकार

[श्री रामचन्द्र रेड्डी]

द्वारा अब तक अपनाई गई नीति ठीक है, पर नियंत्रण फिर से लागू न किये जायें, भले ही अवनियंत्रण पर कुछ आवश्यक शर्तें लगा दी जायें। इस प्रकार सभी को लाभ होगा। संश्लिष्ट चावल के बनने से मलाबारवासियों के लिए उनके मुख्य भोजन टेपिओका की कमी हो गई है, यद्यपि उस से बनने वाला साबूदाना तो बुरा ही था। टेपिओका दूसरी जगहों पर भी उगाया जा सकता है। पर संश्लिष्ट चावल बनाने में उसकी बरबादी ही होती है; दो घंटे के बाद ही उसका स्वाद बिगड़ जाता है।

श्री किदवई : क्या मैं एक मिनट के लिए अंतर्बाधा दे सकता हूं ? जब मैं मलाबार गया था, तो एक दूसरे प्रकार के निर्धन व्यक्ति की ओर से मुझे बतलाया गया था कि रोक लगने के कारण वहां पर दाम गिर गये हैं और फलतः टेपिओका उगाने वाले किसानों को जीवन-निर्वाह करना भी मुश्किल हो गया है। मेरी समझ में उनको कुछ सहायता की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र रेड्डी : मैं इसका कारण नहीं बता सकता, पर दामों के विषय में प्रोत्साहन मिलने पर टेपिओका कहीं भी उगाया जा सकता है। एक मुख्य बात यह और है कि समाहार चलाने के लिए न्यूनतम दाम और उपभोक्ता को सहायता देने के लिए अधिकतम दाम निश्चित कर देना भी अत्यन्त आवश्यक है।

कुमारी ऑनी मस्करीन (त्रिवेन्द्रम्) : इस ओर बैठने वाले हम लोग बड़ी व्यग्रता से देख रहे थे कि माननीय खाद्य मंत्री क्या नीति सामने रखने जा रहे हैं, पर वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री द्वारा नियंत्रण, अवनियंत्रण, नियंत्रणों का ढीला करना, गृह-व्यवस्था और सिद्धान्त सम्बन्धी बुनियादी नीति आदि के सम्बन्ध में जो विभिन्न मत व्यक्त किये गये हैं, उन्होंने हमें बुनियादी विभ्रम में डाल दिया है। कांग्रेसी अव्यवस्था और कुशासन में खाद्य समस्या काफी बुरी रही है। गत पांच वर्ष में व्यय किये गये ७५ करोड़ रुपयों ने खेत सींचे हैं या लोगों की जेबें सींचीं हैं जो आज भी कुल मिलाकर उत्पादन गिर रहा है। वित्त मंत्री ने कल कुछ आंकड़ों द्वारा बताया था कि किसानों को अब कुछ अच्छे दाम मिल रहे हैं। बम्बई में भले ही यह सच हो, पर शेष दक्षिण भारत में ऐसी बात नहीं। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में किसान चावल के स्थान पर केले उगा कर अधिक लाभ उठा रहे हैं। कहा गया है कि राज्य सरकार ने समाहार के दाम कुछ आने बढ़ा दिये हैं। पर ये आंकड़े सर्वत्र लागू नहीं, और हम धोखे में नहीं आ सकते। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चलते रहने पर भी उपज गिरते जाने से स्पष्ट हो गया है कि उसको ईमानदारी के साथ नहीं चलाया जाता।

३ म० प०

त्रावणकोर-कोचीन के सिंचाई के तालाब और नहरें अब बालू से भरी हैं। खाद और बीज बांटने में और सभी जगहों में भ्रष्टाचार और पक्षपात चल रहा है। त्रावणकोर-कोचीन में समाहार इतना कठोर है कि छोटे-छोटे किसानों को रु० २/१/६ प्रति पाड़ा देना पड़ता है। मेरे निर्वाचन-क्षेत्र में एक विस्तृत भाग को बाढ़ के बहाने समाहार से मुक्त कर दिया गया था, पर मुझे पता चला कि उन खेतों में बाढ़ से कोई हानि नहीं हुई, पर उनका मालिक कांग्रेस दल से सम्बन्धित था। इस प्रकार बहुत सारा अनाज समाहार से मुक्त होता रहा है, जिससे चोर-बाज़ार पनपता रहा है। यह खुला बाजार हमें अकाल की ही ओर खींच ले गया है।

घाटे वाले क्षेत्रों के लिए विशेष प्रबन्ध करने के बाद अवनियंत्रण की ओर बढ़ने की नीति का मैं समर्थन करूंगी, यद्यपि स्वयं मेरे

क्षेत्र में कुल आवश्यकता का ४० प्रति शत ही पैदा होता था और वह भी 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' के कारण ३० प्रति शत ही रह गया है। दक्षिण घाटे वाला प्रदेश है और उत्तर अतिरेक वाला और यदि सर्वत्र समान वितरण कर दिया जाये, तो समस्या सुलझ जाये। पर तब अन्न भेजने वाले विदेशों को कैसे संतुष्ट किया जा सकेगा ?

सरकारी नीति की असफलता का कारण ईमानदारी और नैतिकता की कमी है, अन्यथा यह समस्या कब की सुलझ गई होती। वह जनता के लिए कुछ भी खर्च करने को तैयार है, पर भूमि वितरण नीति में आमूल परिवर्तन करने को तैयार नहीं।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन]

त्रावणकोर-कोचीन राज्य में आप चावल को सस्ता भी बेचें, तब भी बेकारी के कारण गिरी हुई आय की दृष्टि में लोग उसे खरीद न सकेंगे। जमीन भी है, मज़दूर भी हैं, और पूंजी भी है, पर हम उनका ऐसा समायोजन नहीं करते, जिससे उपज बढ़े और देश को लाभ हो। हमारे पड़ोसी राष्ट्रों ने मार्ग दिखा दिया है। आशा है, अब इस समस्या को सुलझाने में देर न लगेगी।

श्री एम० ए० अय्यंगार (तिरुपति) : कंट्रोल साधन है, लक्ष्य नहीं और तभी तक आवश्यक है, जब तक किसी सारभूत पदार्थ की कमी हो। अतः हमें अपनी उपज बढ़ानी चाहिए।

इस वर्ष मेरा ज़िला भी रायलासीमा के वर्ग में आ गया। खाद्यान्न उपलब्ध हैं, पर लोगों के पास पांच वर्ष से लगातार पानी न बरसने के कारण खरीदने को पैसा ही नहीं रहा। अतः यह कहना गलत है कि अव-नियंत्रण से समस्या सुलझ जायेगी। सर्वप्रथम इलाज रोजगार बढ़ाना है।

मद्रास में मुहाने के क्षेत्र काफी अन्न उगा सकते हैं, पर कठोर समाहार नीति के कारण वैसा नहीं हो पाता। किसान कुल चार महीने तक खाने लायक अनाज रख सकता है, उसे अपना अच्छा अन्न देकर राशन का खराब अन्न लेना पड़ता है, समाहार के दाम कम हैं और फिर चार ज़िलों में वर्षा भी नहीं हुई। फिर उपज कैसे बढ़े ? दूसरी ओर अवनियंत्रण की नई नीति से लाभ पहुंचा है। लोग इतने संतुष्ट हैं कि यदि चुनाव के पहले यह नीति अपनाई गई होती, तो यहां एक भी अ-कांग्रेसी सदस्य न आ पाता।

श्री नम्बियार (मयूरम) : सन्देह है।

श्री एम० ए० अय्यंगार : आप खूब सन्देह करें। पांच वर्ष तक अभी कोई खतरा नहीं है। नियन्त्रण ने दो वर्ग पैदा कर दिए हैं; एक तो अवनियन्त्रण से सैकड़ों युवक बेकार हो जाएंगे और दूसरे बीच के व्यापारी हैं, जो अन्न की कुछ बात न समझते हुए भी लखपति बन बैठे हैं। मेरे शहर में एक व्यापारी अनाज में रेत मिलाता था, पर आज हमें स्वच्छ अनाज खाने को मिलने लगा है। घाटे वाले क्षेत्रों में कंट्रोल रखा जाए, यह किताबी बात है यथार्थ बात नहीं। आजकल अनाज काफी है और विदेशों से बहुत सारा आयात किया जा रहा है। एक अनाज-बैंक बनाने का सुझाव था, जिस में मन्दी के समय अन्न इकट्ठा किया जाता और तेज़ी के समय बांट दिया जाता। पर अमरीका से १९०० लाख डालरों का अन्न आने पर भी, पता नहीं, वैसा भंडार बनाया गया है या नहीं।

श्री किदवई : हमारे पास स्टाक हैं।

श्री एम० ए० अय्यंगार : मुझे बहुत बहुत खुशी है, और मैं माननीय मन्त्री की हार्दिक प्रशंसा करता हूं कि वह बात कम करते हैं और काम अधिक। यह सच बात है, कोरी प्रशंसा नहीं। उन्होंने विमानों की रात्रिचर्या चलाई थी, जो आज दिन वाली से

[श्री एम० ए० अय्यंगार]

भी अच्छी है। मद्रास में उन्होंने जो कुछ किया है, वह अन्य प्रान्तों में भी होना चाहिए।

उन्होंने आंकड़े देते हुए बताया कि अतिरेक वाले प्रान्तों में समाहार-प्रणाली को आसान बना कर अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन प्रवर्तित किया गया और फलस्वरूप उपज बढ़ गई। किसान केवल दान देने के ही लिए अन्न पैदा नहीं करता। अन्य आकर्षण भी होने चाहिए। यदि मेरे घाटे वाले प्रांत में भी समाहार-नीति आसान रखी गई होती, तो वहां भी उपज बढ़ी होती। आज हमारे पास पहले से दूना तिगुना अनाज है। इस पर भी यदि कंट्रोल आवश्यक हैं, तो यह बात मेरी समझ में नहीं आती। मैं ने श्री सिधवा की बात न मानी थी कि हमारे पास पर्याप्त अनाज है, पर आज यह सिद्ध हो चका है। आप इसे क्रमिक अवनियन्त्रण कहें या क्रमिक समायोजन, पर अन्त में नियन्त्रण को समाप्त करना ही होगा। माननीय खाद्य मन्त्री द्वारा अपनाए गए तरीके का मैं हार्दिक समर्थन करता हूं। उन पर लगे हुए बन्धनों के कारण वे आगे नहीं बढ़ सके। यद्यपि दूसरे मन्त्रियों ने भी विभिन्न बातें नहीं कही थीं और सभी कटिनाई में न डाल देने वाली नीति का ही समथंन कर रहे थे।

यदि आज पानी न बरसने से मेरे यहां भाव बढ़ गए, तो लोग इसका सारा दोष अवनियन्त्रण के मत्थे मढ़ेंगे। पर सच बात दोनों पक्षों के बीच में है। मेरा सुझाव है कि अतिरेक वाले प्रातों में कुछ दो-तीन न्यूनतम एकड़ों को छोड़ शेष खेती पर प्रति एकड़ कुछ लेवी लगा दी जाए या एक विशेष दर पर लोगों से आधी उपज ली जाए। बाकी वह किसी दर पर बेच लें। इस प्रकार भाव अपने-आप सुधर जाएंगे। दूसरा सुझाव यह है कि अनाज-बैंक बना कर दामों के बढ़ते समय उस में से अनाज दे कर भाव न बढ़ने दिए जाएं। यदि ये दोनों सुझाव मान लिए गए, और क्रमिक अवनियन्त्रण किया गया और नदी घाटी योजनाओं के साथ-साथ अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन चलता रहा, तो पांच वर्ष में नियन्त्रण न रहेगा और चारों ओर अनाज की भरमार हो जाएगी।

श्री दामोदर मेनन (केजीकोडि) : माननीय खाद्य मन्त्री सदन में बहुत कम समय बोले थे और यह प्रशंसनीय ही है कि वे चाहते हैं कि आंकड़े अपनी कहानी अपने आप कह दें। उन्होंने बताया कि कठोर समाहार वाले क्षेत्रों में उतना संचय नहीं हो सका, जितना सहज समाहार और 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन वाले क्षेत्रों में। पंजाब में जब १० लाख एकड़ जमीन में खेती बढ़ी, तो मद्रास में इतने ही एकड़ जमीन कम हो गई। उधर वित्त मन्त्री ने अपने आंकड़ों द्वारा यह सिद्ध किया कि समाहार के दाम और उपज में कोई सम्बन्ध नहीं है। और उपाध्यक्ष महोदय ने सुझाया है कि किसानों के लिए अधिक अन्न उपजाने के लिए अधिक आकर्षण रखे जायें। मुझे विदित है कि कठोर समाहार छोटे किसानों पर ही लागू किया जाता है, और बड़े-बड़े किसान किसी न किसी बहाने उस से साफ बच जाते हैं। लोगों को खाना नहीं मिलता। पर थोड़े से चावल ले जाने वाले गरीबों को तो सजा होती है, पर बड़े-बड़े लोग नैतिक-पतन और बेईमानी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। मैं खाद्य मन्त्री तथा प्रधान मन्त्री से सहमत हूं कि खाद्यान्नों का आयात कम किया जाए, जिस से उस के दाम कम हो सकें। कई वर्षों से यत्न करने पर भी हम अधिक अन्न नहीं पैदा कर सके हैं। अधिक अन्न उपजाओ जांच समिति की रिपोर्ट के आंकड़े मैं नहीं मान सकता, क्योंकि राजस्व विभाग के एक कर्मचारी ने मुझे

बताया था कि उस से चौबीस घंटे में अपने क्षेत्र के ताड़-वृक्षों की संख्या पूछी जाती है। वह अन्दाज़न एक विषम संख्या (सच संख्या नहीं) लिख भेजता है। ऐसे आंकड़ों पर कितना भरोसा किया जा सकता है। मैं वित्त मन्त्री की यह बात मानता हूं कि जितनी बताई जाती है, शायद देश में उतनी कमी नहीं है। फिर जब राशन में चार औंस चावल दिया जाता है, तो लोग चोरबाजार से खरीदने को विवश होते हैं। अब यह चोरबाजार खुला बाजार हो कर सस्ता हो गया है और अनेकों निर्धनों को उस से लाभ पहुंचा है।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन से स्वयं योजना-आयोग ५० लाख टन अधिक अन्न पैदा होने की आशा कर रहा है। यद्यपि राज्यों से पूरे-पूरे आंकड़े नहीं मिले हैं न ठीक ठीक लेखे ही रखे गये हैं, पर रिपोर्ट के अनुसार २८½ करोड़ रुपए ऋण में दिए गए हैं। इतने सारे व्यय करने पर भी गत ६ वर्षों में इस आन्दोलन द्वारा उपज में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई। उक्त रिपोर्ट में पृष्ठ ४३ पर कहा गया है कि कपास और जूट की उपज खूब बढ़ गई है, तो क्या ये हमारे खाद्यान्न हैं? स्पष्ट है कि लोग व्यापारिक फसलों में विशेष लाभ देखते हैं। हमें लोगों की इस अभिरुचि में परिवर्तन करना है। तो वह परिवर्तन आ रहा है। भले ही प्रधान मन्त्री और योजना मन्त्री न मानें, पर खाद्य नीति में एक वांछनीय परिवर्तन तो हो ही रहा है। प्रधान मन्त्री ने इसे महत्वपूर्ण वस्तुओं पर कंट्रोल सामरिक कंट्रोल कहा था—यदि हम वह कर सके, तो हम अपनी शक्ति (सेना) को यथावश्यक नियन्त्रित रख सकेंगे। आशा है, इस सामरिक नियन्त्रण से लोगों की परेशानी कम हो जाएगी, और एक सच्चे व्यक्ति को अपराध करते हुए अपना खाना खाने के लिए विवश न होना पड़ेगा।

श्री गाडगिल : मैं ने तीनों मन्त्रियों के भाषण ध्यान से सुने, पर खाद्य मन्त्री की बात मैं ठीक ठीक नहीं समझ सका। अपने अनुभव के बल पर हमें कंट्रोल वाली ही नीति अपनानी होगी, क्योंकि १९४७ में भी क्रमशः अवनियन्त्रण का प्रस्ताव करते समय तत्कालीन खाद्य मन्त्री ने ऐसी ही बातें कही थीं। आज की रफी साहब की नीति से भी वही प्रतिफल होंगे, वैसे ही दाम बढ़ेंगे, जैसे दिसंबर, ४७ से जुलाई, १९४८ तक बढ़े थे और सम्मेलन पर सम्मेलन बुलाने पड़े थे और अन्त में फिर कंट्रोल लगाना पड़ा था। १९४९ में समाहार के दाम कम कर देने का वादा किया गया था, १९५१ तक यह न हो सका और फिर हमारे नियन्त्रण के बाहर कोरिया युद्ध छिड़ जाने से दाम और बढ़ गए। यह अवनियन्त्रण राष्ट्रपिता के संकेत पर किया गया था, पर प्रधान मन्त्री ने भी एक बार मान लिया था कि यह नहीं होना चाहिए था। और अब मद्रास के बाद हैदराबाद (चावल को छोड़ कर) और यू० पी० (गेहूं को छोड़ कर) अवनियन्त्रण की ओर बढ़ रहे हैं।

श्री किदवई : गेहूं का भी अवनियन्त्रण?

श्री गाडगिल : फिर भी बताया जाता है कि इस नीति से योजना पर कोई प्रभाव न पड़ेगा। इस अवसर पर मैं श्री राजगोपालाचार्य जैसे कुशल राजनीतिज्ञ की इतनी आलोचना किए बिना नहीं रह सकता कि उन्होंने मेरे विचार से भारत सरकार के हाथों को जकड़ दिया है। पर क्या इससे देश का हित होगा? बताया जाता है कि रफी साहब कुछ ढील ही दे रहे हैं या संशोधन कर रहे हैं और कुछ बदल नहीं रहे हैं। प्रधान मन्त्री भी कहते हैं कि बुनियादी सिद्धान्तों में कुछ हेर-फेर नहीं हो रही है। कंट्रोल दो ही रूपों में होता है—पदार्थों या किसी क्षेत्र विशेष का। तो वापस लौटने के

[श्री गाडगिल]

स्थान पर सरकार इसे अपनी सेना का पुनर्व्यूहन कह रही है । नियन्त्रण हो या अवनियन्त्रण, मुझे तो १९५१ में प्रकाशित योजना-आयोग के प्रारूप में बताई गई कंट्रोल सम्बन्धी बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना है । उसमें बताया गया है कि 'कंट्रोल रहने पर राशन तथा अ-राशन वाले क्षेत्रों में दाम काफी एक से रहते हैं । अन्न के खुले यातायात के आगे समाहार को ढीला कर देने वाले राज्यों की अपेक्षा सुदृढ़ राशन और समाहार वाले राज्यों में दाम ठीक रहते हैं । अतः आज की स्थिति में खतरनाक अवनियन्त्रण संभव नहीं है ।' अवनियन्त्रण कर देने के बाद फिर आगे चल कर आशाओं के भंग हो जाने से बढ़े हुए दामों वाली गंभीर स्थिति के बारे में इसमें आगे बताया गया है कि 'आन्तरिक समाहार समाप्त या कम हो जाने से स्थिति बिलकुल बिगड़ जाएगी, और इसलिए जब तक बाज़ार में खूब अतिरेक न हो जाए, समाहार बन्द नहीं किया जा सकता' ।

फिर उत्पादन सम्बन्धी आंकड़े मुद्रित होने पर भी उतने विश्वासनीय नहीं हैं । १९४८-४९ में उत्पादन लगभग ४७० लाख टन, १९४९-५० में ४४,६८१,००० टन, १९५०-५१ में ४१,३२०,००० टन और १९५१-५२ में ४४,४२१,००० टन बताया गया है । पर उत्पादन बढ़ा हुआ नहीं कहा जा सकता; न खेती का क्षेत्र ही बढ़ गया है । यदि वित्त मन्त्री के शब्दों में आयात कम करना हो हमारा ध्येय है, तो यह स्मरण रहे कि आजकल हम आत्म-निर्भर नहीं हैं । यदि ये दोनों बातें ठीक रहें, और समुचित वितरण हो, तो कोई कठिनाई न रहेगी । राजाजी ने स्पष्ट कह दिया कि यदि कंट्रोल रहा, तो वह सरकार न चलाएंगे । तब समाहार का क्या होगा ? मद्रास में तो उसे छोड़ ही दिया गया है । भाव ६० प्रति शत बढ़ रहे हैं ।

श्री किदवई : गलत ।

श्री नम्बियार : १०० प्रतिशत से भी अधिक ।

श्री गाडगिल : सरकारी समाहार के दाम स्थानीय दामों पर अवश्य निर्भर होंगे । और समाहार न करने के कारण वे केन्द्र से सहायता मांगेंगे । समाहार के होने पर भी पंजाब में उत्पादन बढ़ा और बम्बई में खेती वाली जमीन बढ़ गई । देश की एकता की बात तभी कही जा सकती है, जब देश के नागरिकों को कहीं भी प्रकार या परिमाण में एक दूसरे से कम न मिले । अतः अतिरेक वाले प्रदेशों से पूरा-पूरा समाहार कर के घाटे वाले क्षेत्रों की मांग पूरी की जाए, और आयात कम किए जाएं । सरकार यू० पी०, सी० पी० आदि पर तो अपनी नीति लागू नहीं करती और खाद्य-सहायता हट जाने से हम घाटे वाले लोगों को आयातित अन्न अधिक दाम पर खरीदना पड़ता है । अतः यह नीति अवनियन्त्रण करने जा रही है, और गरीबों को व्यापारियों का मुहताज बना देगी । मुझे यह चेतावनी देने का हक्क है कि योजना और आयोजित अर्थ व्यवस्था को निरर्थक कर देने वाली इस नीति से बचा जाए ।

श्री नम्बियार (मयूरम) : प्रश्न नियन्त्रण या अनियन्त्रण का नहीं, बल्कि यह है कि सरकार जनता को भोजन देने का दायित्व ले या न ले । और यदि वह यह दायित्व नहीं लेती, तो उसे समाहार और वितरण की नीति स्पष्ट कर देनी होगी । राजाजी की नीति से स्पष्ट है कि सरकार यह दायित्व ग्रहण नहीं करना चाहती । तंजोर के जिले में धान के बोरे के भाव १२ रुपए के स्थान पर २८ रुपए हो गए हैं । आज के

भाव युद्ध-काल के त्रिचनापल्ली के चोर-बाज़ारी भाव से भी लगभग दूने हो रहे हैं। मदुरा जिले के पालनी तालुक में १।) में भी एक मद्रासी बांट जितना चावल नहीं मिलता। दक्षिण भारत में ये भाव तो चढ़े हुए हैं ही, हथकरघा उद्योग में मन्दी के कारण बेकारी और गरीबी भी फैल रही है। दाम तो अन्धा-धुंध बढ़े हैं। १९४७ में विजगापट्टम में चावल प्रति मन रु० १३-१४-० के स्थान पर अब रु० २३-०-० हैं, एलुरू में रु० ९-१-० के स्थान पर अब रु० १४-६-० और रु० १५-७-५ के स्थान पर ४२ रुपए हैं। आज सरकार चोरबाज़ारी दामों को पहली बार मान्यता सी देती हुई कहती है कि दाम आज चोरबाज़ारी भावों से कम हैं।

श्री किदवई : मैं एक बात पूछ लूं ? माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहिए कि राशन क्षेत्रों में अब भी चालू उचित मूल्य वाली दुकानों पर क्या दाम हैं ?

श्री नम्बियार : वही बाजार-भाव हैं, रु० १-२-० या १-४-० के खुले भावों के स्थान पर १-१-०, और उन्हें उचित मूल्य वाली दुकान कहना व्यर्थ है। उपाध्यक्ष महोदय के शब्दों में रुपए वालों के लिए चावल अब भी उपलब्ध हैं। मद्रास सरकार ने जनता को भोजन देने के दायित्व को छोड़ कर रायलासीमा, त्रिचनापल्ली, कोयम्बटूर और मदुरा के कुछ तालुकों और दक्षिण अर्काट और रामनद जिलों में दुर्भिक्ष-स्थिति पैदा कर दी है। राजाजी के इस 'प्रयोग' का फल यह है कि अधिकांश जनता को सस्ता अनाज नहीं मिलता, वह उसे खरीद नहीं सकती। यह दुर्भिक्ष मृत्युओं की संख्या बढ़ाने वाला प्रयोग कलकत्ते को छोड़ शेष बंगाल में भी होने जा रहा है। २४ परगना और सुन्दर-बन में तो दुर्भिक्ष स्थिति चल ही रही है। सरकार भले ही निजी स्रोतों से १,६०,००० लोगों को खिलाने की बात कहे, पर क्रय-शक्ति तो वहां भी गिर गई है। कलकत्ते में चावल का प्रति मन भाव राशन के १७ रुपए के स्थान पर उचित मूल्य वाली दुकानों में ३२ रुपए हो रहा है और मद्रास की अपेक्षा वहां की हालत विशेष अच्छी नहीं है। मेरा सुझाव है कि जमींदारों की खेतियों में भरे प्रत्येक औंस चावल का समाहार किया जाए, और दाम बढ़ाना-गिराना उस के हाथ में न रहे। समाहार गरीबों और मध्यवर्गों से ही हुआ है और तभी उन्हें कंट्रोल से घृणा हो गई है। सरकार राजाजी वाले प्रयोग को छोड़ कर जनता को सस्ता भोजन देने का दायित्व ले। अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त चावल बांटा जाए, क्योंकि उदाहरण स्वरूप त्रावणकोर-कोचीन के शेरतलाई-अंबालापुझा तालुक में जटा-उद्योग घट जाने से लोग उचित-मूल्य वाली दुकानों से खरीद नहीं सकते। यही मलाबार, तेलीचेरी और कन्नानूर आदि में भी किया जाए।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद-पर आसीन थे]

उदुमलपेत तालुक में भी बंटने वाली चावल कांजी नहीं बल्कि छोलम कांजी के लिए भी सैकड़ों अधनंगे नर-नारी कभी भी धूप में पंक्ति-बद्ध खड़े देखे जा सकते हैं। यही बात अल्लेप्पी और समूचे दक्षिण में है। ऐसी परिस्थिति में लोगों को यथोचित रूप में भोजन दिया जाए।

इस अनियन्त्रण से लोगों के दुःख दूर नहीं हुए; जमींदारों और धनिकों की खत्तियां भले ही भर गई हों। आप दस एकड़ और हजार एकड़ वाले व्यक्तियों के ऊपर समाहार विषयक कुछ बन्धन लगाना चाहते हैं, पर बीच-वाले लोग तो एक से ही रहेंगे। अनुपात भले ही कुछ कम अधिक रहे, प्रमाप वही है। बंगाल में ४० प्रतिशत जमीन ३०-४० हजार जमींदारों और जोतदारों की है और ३०

[श्री नम्बियार]

प्रतिशत भंडार (१० लाख टन) उन के हाथ में रहता है । यदि २ लाख टन उन के लिए छोड़ शेष ८ लाख टन ले लिए जाएं, तो बंगाल की खाद्य समस्या सुलझ जाए और कुछ मद्रास को भी भजा जा सके । इधर आप राशन और कंट्रोल से निराश हो मांग और संभरण वाली पुरानी परिपाटी अपनान जा रहे हैं । आप भूखे मरने या उस कारण आत्म-हत्या करने वालों के आंकड़े दबाते रहे हैं । और यहां सदन में दो दिन चर्चा कर के आप सोच रहे हैं कि नियन्त्रण रहे या अवनियन्त्रण, या नियन्त्रण शिथिल कर के उसे और कुछ नाम दिया जाए । मैं चाहता हूं कि मद्रास का उदाहरण—राजाजी योजना या किदवई योजना—- देश म अन्यत्र कहीं न अपनाया जाए । राजाजी की नीति को भी समाप्त कर के मद्रास की पीड़ित जनता को अविलम्ब सहायता पहुंचाई जाए ।

श्री टंडन (ज़िला इलाहाबाद-पश्चिम) : उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं इस प्रश्न पर उसी रास्ते से बहस नहीं करूंगा जिस रास्ते को हमारे अधिक सदस्यों ने अपनाया है । उस रास्ते पर भी म चलने का प्रयत्न करता, परन्तु उस में इतना समय लग जायेगा कि मैं जो मुख्य मौलिक बात निवेदन करना चाहता हूं उस के ऊपर बल नहीं आ सकेगा । इसलिये मैं एक दो प्रश्नों की ओर ही आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं ।

हमारे प्रधान मन्त्री ने आज एक कुछ मज़ेदार बात कही । उन्होंने अंग्रेज़ी में बोलते हुए कहा कि हम देश भर के लिये 'हाउस कीपिंग' (गृहस्थी संचालन) कर रहे हैं । बात सुनने में बड़ी अच्छी लगी । देश भर के लिये हाउस कीपिंग करना अच्छा आदर्श ह । बूढ़ी दादी कहती है कि हमारा तो बड़ा भारी कुटुम्ब है, हब सब कुटुम्ब को रोटी देंगी, सब कुटुम्ब की रसोई की चिन्ता करेंगी । देश भर की हाउस कीपिंग ऐसी ही बात है । कुटुम्ब भर की, इस देश भर के कुटुम्ब के चूल्हों की चिन्ता यदि यह गवर्नमट कर सकती तब तो बहुत ही सुन्दर व्यवस्था होती । परन्तु वास्तविकता यह है कि वह सब चूल्हों की चिन्ता नहीं कर सकती है । और वह इस बात का दायित्व, इस बात की ज़िम्मेदारी, भी नहीं लेती कि हम हर पुरुष को और हर स्त्री को रोटी पहुंचायगे । आज तक उस ने कभी दायित्व नहीं लिया । वह प्रयत्न करेगी, यह कहा, परन्तु यह दायित्व कि हमारे देश में कोई आदमी भूखा नहीं रहने पायेगा, इसका कोई दायित्व गवर्नमेंट ने नहीं लिया । यह आप भूलिये नहीं । यह मौलिक बात है । तो जब लोग इस तरह का चित्र खींचते हैं कि लोग इधर भूखों मर रहे हैं, उधर मर रहे हैं, उस के यह मानी नहीं हो सकते कि नियंत्रण या विनियन्त्रण की नीति के कारण ऐसा है । उस स्थिति के दूसरे कारण हैं । अगर यह गवर्नमेंट यह ज़िम्मेदारी लेने के लिये तैयार होती कि हम हर एक की चिन्ता करेंगे, किसी को बेकार नहीं रहने देंगे, तब तो उन दलीलों में वर्तमान विषय से कोई सम्बन्ध होता, नहीं तो वह असंगत हैं, उन का उस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है जो उस समय विचाराधीन हैं ।

मैं इस कंट्रोल या डीकंट्रोल के प्रश्न को या कहां तक नियन्त्रण किस अंश तक अनियन्त्रण इस को इस दृष्टि से देखता हूं कि हमारी योजना हमारे समाज के स्तर को ऊंचा करती है या उस को नीचा करती है । मेरे सामने यह मुख्य प्रश्न होता है । हमें एक रोटी की जगह सवा रोटी मिलती है, इस को मैं जीवन के लिये गौण मानता हूं । यह सही है कि हम रोटी खाते हैं और रोटी की बदौलत जीते हैं । लेकिन रोटी, रोटी, सुबह से शाम तक रोटी, यह क्या है ? हम मनुष्य हैं या पशु हैं, कि

कुत्ते की तरह जहां भी रोटी मिली दुम हिलाने लगे । हमारे और भी काम हैं । हमें देखना है कि गवर्नमेंट जो काम करती है उस से हमारा नैतिक तल, गिरने तो नहीं पाता है । मैं इस का विरोधी नहीं हूं कि गवर्नमट बूढ़ी दादी बन कर सब के चूल्हों की चिन्ता करे । आप इसे उठाइये, अगर आप में शक्ति है । लेकिन आप बूढ़ी दादी तो बनें और साथ ही साथ आप ऐसे गुमाश्तों को रखें जो आप की मंशा पूरी करने के बजाय समाज के स्तर को अधिक नीचा करें इस से देश गिरता है । मैं ने जो देखा है, वह मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं । आप की जो पुरानी नियन्त्रण की नीति थी उस में आप ने मूल्यों को बांधा था । अमुक वस्तु आप के निश्चित मूल्य से अधिक पर न बिके, यह आप की नीति थी । उस का क्या परिणाम हुआ ? चारों ओर बेईमानी, न केवल बेचने वालों की तरफ़ से--वह तो उस के आदी हैं लेकिन खरीदने वालों की तरफ़ से भी होने लगी ।

मैं अपने अनुभव की एक मिसाल देता हूं । मैं एक संस्था का अध्यक्ष हूं । उस संस्था के पास कुछ भूमि है, उस भूमि में कुछ चना बोया गया । वह भूमि पंजाब में पानीपत के पास है । हमारे प्रबन्धक ने आ कर मुझ से कहा कि हमारे पास चना हुआ है, उसे हमें बेचना है । चारों ओर हमारा चना १७ रुपये मन मांगा जा रहा है और १७ रुपये मन बिक रहा है । पंजाब के बड़े बड़े खेतिहर लोग हैं, उन में एक एम० एल० ए० भी हैं, वह सब १७ रुपये मन चना बेच रहे हैं । वह बता कर कि हम से भी खेत के ऊपर १७ रुपये मन मांगा जा रहा है, मेरे प्रबन्धक ने पूछा कि क्या मैं उस को इस भाव पर बेच दूं । उस समय गवर्नमेंट का निर्ख़ १२ रुपये मन का था । दिल्ली, पंजाब और उत्तर प्रदेश में शायद दो चार आने का फ़र्क़ रहा हो । मैं ने उस से कहा कि अगर तुम १७ रुपये मन बेचोगे तो वह तो गवर्नमेंट के नियम के विरुद्ध होगा । तुम हम को भी ब्लैक मार्केटयर बना दोगे; तब उस ने कहा कि फिर पांच रुपये प्रति मन का घाटा बर्दाश्त कर के आप खती तो नहीं कर सकते । मैं ने उस से कहा कि खेती हो या न हो, लेकिन हमारी संस्था एक अनैतिक काम करे, मैं इस की इजाज़त नहीं दे सकता । मैं ने उस को कहा कि तुम गरीबों को १२ रुपये मन के हिसाब से ही अपना चना बेचो । उसने १२ रुपये मन के हिसाब से बहुत से गरीबों को चना दिया । हां ! इस से हमारी संस्था को घाटा ज़रूर हुआ । वह दूसरी बात है । वह फिर मेरे पास आया और उस ने कहा कि इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, आप हम को भैंस खरीद दीजिये, तो हम उस को १२ रुपया मन चना खिला सकेंगे और हम अपना दूध बिक्री के वास्ते दिल्ली भेज देंगे । उस ने मुझे बतलाया कि इस तरह कुछ बचत हो जायेगी और मैं ने उस के सुझाव को स्वीकार कर लिया । यह मैं आप को एक उदाहरण दे रहा हूं, जो स्वयं अपने ऊपर बीती बात है । चारों तरफ़ तो १७ रुपये चने का भाव है, खेत के ऊपर १७ रुपये का भाव है और खेतिहर खेत पर १७ रुपये के हिसाब से चना बेच रहे हैं परन्तु दिल्ली में केन्द्रीय गवर्नमेंट यह आशा करती है कि चना १२ रुपये मन पर बिकेगा । यह क्या कोई अक्ल की बात है ? मेरी तो इस बारे में कुछ मिनिस्टरों से भी बात हुई ? एक ने कहा कि हम भी तो उसी भाव ख़रीदते हैं जिस भाव पर बाजार में चना बिक रहा है । बाज़ार भाव उस समय यहां पर २०-२१ रुपये मन का था । मैं एक दूसरी संस्था को जानता हूं । जहां छात्रों को चना खिलाना पड़ता था, वहां के प्रबंधक २०, २१ रुपये मन चना लेते थे, क्योंकि राशन में केवल ६ छटांक था और छः छटांक में वहां के तगड़े लड़कों का गुज़ारा नहीं होता था । लड़के लगभग ८, ९ छटांक खाते हैं, पूरा भोजन देने को संस्था के प्रबन्धक चना बाज़ार भाव पर खरीदते थे । कुछ दिनों

[श्री टंडन]

बाद में ने उन से कहा कि यह चना आप कैसे खरीदते हैं, यह तो अनुचित और नियम विरुद्ध है । वह इस प्रश्न में कुछ घुसे तब मालूम हुआ कि वह बाज़ार में चना खरीदते हैं परन्तु किताबों में मटर लिखी जाती है । व्यापारी अपनी इस तरह बचत करते थे, क्योंकि मटर के ऊपर आप का कोई दाम नियत नहीं था । यह बात मैं ने आप को मिसाल के तौर पर बतलाई । ऐसे ही गुड़ के बारे में हालत थी गुड़ का भाव गवर्नमेंट ने उस समय १९ रुपये मन निश्चित किया था। आज तो उसका भाव बहुत गिर गया है । मैं उस समय की बात बतलाना चाहता हूं जब गुड़ का भाव १९ रुपया मन निश्चित था । एक रोज़ मुझे लखनऊ में खांसी आ रही थी, मैं चीनी नहीं खाया करता और न ही चाय का सेवन करता हूं । मेरे आदमी ने कहा कि आप के लिये तुलसी और अदरक की चाय बनाई जाय, उस में गुड़ पड़ता है । नौकर बाज़ार से चार आने का पाव गुड़ ले आया, मुझे जब गुड़ का भाव मालूम हुआ तो मैंने अपने नौकर से कहा कि तुमने चार आने पाव के भाव से गुड़ ख़रीद कर मुझ को ब्लैक मार्केटयर बना दिया, क्योंकि इस तरह तो गुड़ का भाव चालीस रुपये मन का पड़ा ।

श्री किदवई : आप ने बेचा नहीं, खाया ।

श्री टंडन : मगर खाने वाला भी तो ब्लैक मार्केटयर हो जाता है । मैं ने उस समय के जो मिनिस्टर थे उन को यह बात बतलाई और कहा कि हालत यह है, यह मेरा पाप है और आप मेरे ऊपर मुकदमा चलायें । नौकर की भूल के कारण मैं इस पाप में लिप्त हो गया । मैं यह बात इस लिये कह रहा हूं कि इस प्रकार के कंट्रोल और नियन्त्रण से समाज गिरता है और उस का भला नहीं होता । गवर्नमेंट जब किसी वस्तु पर कोई सीलिंग प्राइस (अधिकतम दाम) लगाती है तो उस की इतनी बुद्धि तो होनी चाहिये कि वह प्राइस (दाम) ऐसी हो जो चल सके । मुझे खुशी है कि बाद को हमारे मिनिस्टर ने वह सीलिंग प्राइस उड़ा दी । मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी चीज़ का अधिकतम मूल्य निश्चित करते हैं तो आप में इतनी बुद्धि तो होनी चाहिये कि बैठ कर यह समझें कि किस भाव में यह चीज़ वाकई बिक सकती है । आप को इतना तो समझना चाहिये था कि बनिया जो छोटी दुकान ले कर बैठा है, वह हाथरस की मंडी के भाव से तो नहीं बेच सकता । आप ने तो १९ रुपये का गुड़ का भाव नियत कर दिया । सम्भव है कि हाथरस में आप को १९ रुपये के हिसाब से मिल जाता लेकिन वह बनिया जो सड़क के किनारे पर बैठ कर बेचता है, वह तो हाथरस की मंडी के भाव से नहीं बेच सकता । नतीजा यह होता है कि वह कुछ बढ़े हुए भाव पर बेचता है और उस की दुकान से जितने आदमी खरीदते हैं वह सब ब्लैक मार्केटर बन जाते हैं क्योंकि उस की दुकान से खरीदने में १९ रुपये के भाव से ज्यादा देना पड़ता है । मैं कहता हूं कि आप की यह नीति देश को बर्बाद करने वाली है, यह कोई नीति नहीं है और जो लोग इस नीति का समर्थन करते हैं, उन को सोचना चाहिये और देश को सम्हालना चाहिये । कोई भी कंट्रोल अथवा नियन्त्रण जिस का आप अच्छी तरह से पालन नहीं कर सकते, नहीं रखना चाहिये । मेरी समझ में १००, २००, १०००, २००० या लाख दो लाख आदमियों का भूखा मर जाना अच्छा है, इस की अपेक्षा कि आप चोरी कर के लायें और खायें खिलायें । यह देश का पतन है । जो मन्त्रिगण नियन्त्रण के पक्ष में हैं, उन से म कहना चाहता हूं कि अगर आप बूढ़ी दादी का इन्तजाम करते हैं, तो उसके लिये आप के हाथों में शक्ति होनी चाहिये ।

लेकिन आप के तो हाथ कांप रहे हैं और आप के आदमी बराबर बेईमानी करते रहते हैं। इस कंट्रोल की वदौलत आप के एक एक राशनिंग इंस्पेक्टर को बेईमानी और रिश्वत लेने का अवसर मिलता है। मैं इलाहाबाद की एक छोटी सी मंडी का हाल जानता हूं। हमारे एक बड़े विश्वसनीय कांग्रेस कार्यकर्ता ने मुझे कई वार बताया कि हमारे जिले की एक छोटी सी मंडी में एक इन्स्पेक्टर रोज लगभग १०० रुपया ऊपर से पैदा कर लेता है। उस की माहवारी तनख्वाह मुश्किल से सवा सौ या डेढ़ सौ रुपया रही होगी। वह आठ आने प्रति बोरे के हिसाव से जो मंडी में आता है, व्यापारियों से वसूल करता है, बोरे लाने वाले तो आखिर हमारे व्यापारी भाई होते हैं, जो कहीं भी पैसा देने को तैयार रहते हैं, जहां पर उन को पैसा मिलने का रास्ता दिखाई पड़े। लेकिन साथ ही आप के जो आदमी हैं, जिन को आप इस कंट्रोल व्यवस्था को चलाने के लिये नौकर रखते हैं, राशनिंग इन्स्पेक्टर्स, प्रोक्योरमेंट इंसपेक्टर्स और वह भी बेईमानी करते हैं और नतीजा यह होता है कि भ्रष्टाचार बहुत फैल जाता है। मैं आप से केवल इतना ही कहना चाहता हूं और यह सब बतलाने का मेरा उद्देश्य यही है कि आप जो कुछ भी करें, यह सदा ध्यान में रखें कि उस से समाज पर क्या असर पड़ता है और आप का वह कदम समाज के नैतिक स्तर को किधर ले जा रहा है। यह ठीक है कि बेईमानी संसार भर में है, बेईमानी हमारे देश में भी है।

पुलिस का विभाग सब से अधिक रिश्वत लेन म मशहूर था, हम यह भी जानते थे कि अदालतों में मुंसरिम और डिग्री नवीस खुला हुआ पैसा लिया करते हैं और हमारे वकीलों को इस का खूब अनुभव है, लेकिन जब से यह सप्लाई विभाग खुला है, मेरा तो अपना यह अनुमान है कि रिश्वतखोरी में इस ने सब को मात कर दिया है।

बहुत आप पक्ष करते हैं कंट्रोल का। कंट्रोल का मैं हर सूरत में विरोध नहीं करता। लेकिन आप समझें कि जो आप चाहते हैं उस को पूरा करा सकें। अगर आप अधिक सख्ती से दाम बांधेंगे तो आप का बांधा हुआ दाम चलेगा नहीं। मैं मिनिस्टरों से कहना चाहता हूं कि अपने हृदय पर हाथ रख। क्या वह कह सकते हैं कि उन के घरों में, जिस समय गवर्नमेंट का मूल्य चने के लिये १२ रुपये मन था वह १८ रुपये और १९ रुपये मन नहीं आया? वह पूछें अपने घर में जा कर, अपने हाउस कीपर से पूछें, अपने यहां की औरतों से पूछें।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं तो चना खाता नहीं।

श्री टंडन : आप जरा अपनी पत्नी से भी पूछिये आप नहीं खाते तो क्या हुआ।

श्री अलगू राय शास्त्री (जिला आजमगढ़—पूर्व तथा बलिया जिला-पश्चिम) : बेसन के पकोड़े खाते हैं या नहीं?

श्री टंडन : आप के नौकर हैं, रिश्तेदार हैं, वह खाते हैं या नहीं? हां! मैं असम्भव नहीं मानता, मैं मानता हूं कि बहुत ध्यान अगर आप रखें तो यह गलत चीज नहीं होने पायेगी और आप सफल होंगे। परन्तु इतना ध्यान कौन देता है? जो महत्व के धन्धों में लगा हुआ है, वह देखे कि नौकर क्या भाव सामान लाता है यह साधारण रीति से होता नहीं। वास्तविकता यह है कि कि घर घर में महंगा खरीदने वाले पड़े हुए हैं, हम केवल व्यापारियों को दोष देते हैं, लेकिन जिन लोगों को खाने का शौक़ है जिन लोगों को खाने के विषय में उदासीनता है उन की बात और है—लेकिन जो लोग खाने पीने के शौक़ीन हैं, जो चाहते हैं कि उन को दस चीजें खाने को मिलें, आप को मालूम है कि प्रायः उन सब के यहां गलत तरीक़े से सौदा आता है। मैं तो यह निवेदन करता हूं आप व्यापारियों को बहुत अवसर

[श्री टंडन]

न दें बेईमानी करने का और जो माल के खरीदने वाले हैं उन की भी संभाल कीजिये आप उन को लाचार न करें। सब मनुष्य इतनी सख्ती के साथ अपने जीवन बिताने के आदी नहीं हैं कि वह हर समय इस बात का ध्यान रखें कि निश्चित मूल्य से अधिक पर कोई वस्तु मोल न ली जाय। बस मैं इस एक दृष्टिकोण पर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप की नीति चाहे जो कुछ भी हो, आप कंट्रोल रखना चाहते हों या नहीं, लेकिन आज की नीति में मुझ को यह बात अच्छी लगी कि हमारे देश में जो बेईमानी करने का दस्तूर पड़ गया था उस में इस नीति से कुछ कमी हुई है। यह फ़ायदा तो मैं देख सकता हूं। हो सकता है कि कहीं कुछ चीजें महंगी हो गई हों, जैसा कि मेरे कुछ भाई कहते हैं लेकिन यह लाभ मैं प्रत्यक्ष देखता हूं कि आज अगर हमें किसी चीज की जरूरत हो तो हम कुछ ज्यादा पैसा दे कर खरीद सकते हैं। बिना किसी सरकारी नियम को तोड़े हुए। फ़ेयर प्राइस दुकानों की बजाय जबर्दस्त राशनिंग करने से काम चल जाना चाहिये। जो गरीब हैं उन के लिये आप बराबर इन्तजाम रखें शहरों में। लेकिन हम सब भूलते हैं कि जिन लोगों को हम राशन के द्वारा मदद देते हैं उन की तादाद कुल जनता को देखते हुए कितनी कम है। देहातों में तो आप पहुंच ही नहीं पाते। उन की तादाद बहुत बड़ी है जो लोग देहातों में रहते हैं। जैसा प्रधान मन्त्री ने कहा था कि एक तरफ़ आप शहर के राशन की चिन्ता करते हैं, दूसरी तरफ़ उन्होंने कहा कि ऐसे लोग हैं जो कि खुद अनाज बो लेते हैं, यानी किसान। ठीक है, लेकिन जो तीसरी श्रेणी हैं जिस के पास जमीन नहीं है, किसानी नहीं करते और जो शहरों में रह कर तन्ख्वाह नहीं पाते और मजदूरी नहीं करते उन की तादाद बहुत बड़ी है। किसानों की अपेक्षा भी कहीं ज्यादा है, उन की आप ने क्या चिन्ता की। उन के पास तो आप पहुंच भी नहीं सकते, उन का इन्तजाम भी नहीं कर सकते।

मेरे कहने का सार है कि आप इस एक सिद्धांत को न भूलें चाहे कुछ भी हो। मरना जीना तो लगा ही रहता है, जिन की आप रक्षा कर सकें अवश्य करें, लेकिन यह ध्यान रखें कि आप की कोई नीति इस तरह की न हो जिस से समाज का स्तर नीचा हो और जिस से बेचने वालों में बेईमानी बढ़े या जिस में कि यह प्रवृत्ति हो कि खरीदार बेईमानी करे। बस, यही मेरा सुझाव है।

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री किदवई) : श्रीमान्, मैं ने विभिन्न सदस्यों के भाषण बड़े ध्यान से सुने। मुझे खेद है कि वर्तमान खाद्य स्थिति और सरकारी खाद्य नीति सम्बन्धी इस चर्चा को नियन्त्रण और अवनियन्त्रण की चर्चा बना दिया गया है। अपने आरम्भिक भाषण में मैं ने कंट्रोल की नीति से संबंधित सरकारी विचारों को स्पष्ट कर दिया था। ये कंट्रोल युद्ध-काल में शहरी लोगों को उचित दाम पर भोजन देने के लिए शुरू किए गए थे। खुले बाजार में दाम बहुत बढ़े चढ़े थे, अतः प्रत्येक उत्पादक से कुछ मात्रा उगाह कर उन अन्नों को शहरों में अपेक्षतया कम दाम पर सरकार को बेचना पड़ा। अब स्थिति दूसरी है। हम देश को पंचवर्षीय योजना के अधीन विकसित करने जा रहे हैं। इस काल में हम को दाम कम रखने पड़ेंगे। अतः कुछ न कुछ कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसा मैं ने बताया, हमारा लक्ष्य देश में अधिकाधिक अनाज पैदा करना है, जिस से अगले कुछ वर्षों में हमें भारी मात्रा में खाद्यान्नों का आयात न करना पड़े और हम वितरण का ऐसा प्रबन्ध करें कि देहाती तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में लोग उचित दामों में अन्न प्राप्त कर सकें। हम वर्तमान तरीके के कंट्रोल

को १९४४-४५ या १९४६ से अपनाए हुए हैं। हमें यह देखना है कि क्या हमें अपने लक्ष्य की ओर कुछ सफलता हुई है, और यदि आप आज की राशन-दुकानों के भावों की तुलना १९४६ के भावों से करें, तो आप देखेंगे कि कुछ पदार्थों और कुछ स्थानों को छोड़ विभिन्न पदार्थों के दाम ३० से ९० प्रतिशत तक बढ़ गए हैं। वितरण तथा समाहार दोनों के भाव बढ़े हैं। जैसा मैंने बताया यद्यपि दक्षिण में खेती वाली जमीन बढ़ गई है, फिर भी हमारी उपज कम हो गई है। श्री गाडगिल ने आंकड़ों में अविश्वास प्रकट किया है। मैं उन्हें बता दूं कि अनाज की खेती के १९४७-४८ के १७२० लाख एकड़ के स्थान पर अब १८९० लाख एकड़ हो गए हैं अर्थात् १७० लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। १९५०-५१ में अनाज की खेती वाले ये आंकड़े १९३० लाख एकड़ थे, पर १९५१ और १९५२ के बीच ४० लाख एकड़ कम हो गए हैं। व्यापारिक फसलों वाली जमीन में भी तत्संवादी वृद्धि हुई है।

श्री एस० एस० मोरे : क्या माननीय मन्त्री कृषि सम्बन्धी आंकड़ों की विश्वसनीयता स्वीकार करते हैं ?

श्री किदवई : मैं उसे ले रहा हूं। मेरा कहना है कि वे सही नहीं हैं, उन में तो बहुत ही कम अन्दाज लगाया जाता है।

दूसरी बात यह है कि उत्तर भारत में उत्पादन में वृद्धि हुई है, और दक्षिण भारत में कमी। मैं ने और राज्यों के साथ पंजाब का भी नाम लिया था। हमें बताया गया है कि पंजाब का समाहार आदर्श है और वहां कोई गड़बड़ी नहीं है। मुझे भय है कि मेरे माननीय सहयोगी वित्त मन्त्री आंकड़ों से भूल में पड़ गए हैं। यद्यपि आंकड़े यहां मेरे पास नहीं हैं।

पंजाब और उत्तर प्रदेश में समाहार प्रणाली को एकस्व समाहार कहा जाता है। १९४७, १९४८ और १९४९ में पंजाब में समाहार ४६००० टन था, जो उत्पादन की तुलना में एक तुच्छ राशि है। यदि एकस्व समाहार ठीक से चलता रहता, तो यह राशि ५० गुनी अधिक होती। १९४९, १९५० और १९५१ में जब शहर के दाम समाहार के दामों से कम थे, तो समाहार स्वभावतः लाखों की संख्या में हुआ। उस क्षेत्र के भाव मेरे पास हैं। मैं अपनी इस बात पर अटल हूं कि जहां समाहार ढीला और सहज रहा है, उत्पादन बढ़ा है।

मेरे माननीय मित्र ने मुझ से पूछा कि मैं विभिन्न सरकारी विभागों के आंकड़ों पर क्यों विश्वास नहीं करता। मैं ने प्रत्येक राज्य के उत्पादन और वहां की आवश्यकता को जानने का यत्न किया, तो मुझे अनोखे आंकड़े देखने को मिले। मुझे पता चला कि राजस्थान, जिसे आत्म-निर्भर समझा जाता है, और जो फसल नष्ट न हो जाए तो आयातों पर निर्भर नहीं रहता, केवल ११० पौंड प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष ही पैदा करता है अर्थात् प्रति दिन ५ औंस से भी कम पर गुजर करता है। मैं इसे उपहासास्पद मानता हूं, क्योंकि राजस्थान में प्रति दिन ५ औंस से कम पर कोई अपनी गुजर नहीं कर सकता। मालूम होता है पुरानी रियासतों में कुछ भी लेख्य न रहते थे। पटवारी थे नहीं और पुराने जागीरदार सरकार के पास कोई लेख्य पहुंचने न देते थे। वर्तमान सरकार बन जाने पर भी कुछ भागों में जमींदारों ने पटवारियों की नियुक्ति का विरोध किया। अतः यदि राजस्थान को आत्म निर्भर माना जाता है, तो इस की उपज १२ से १६ औंस प्रति दिन या इससे भी अधिक माननी होगी। इसी कारण मैं आंकड़ों को त्रुटिपूर्ण मानता हूं।

[श्री किदवई]

यही बात अन्य राज्यों के बारे में भी है। यदि हम आत्म-निर्भर राज्यों को अलग करें, तो हम देखेंगे कि घाटे वाले राज्यों की आवश्यकता की अतिरेक वाले राज्यों द्वारा पूर्ति हो जाएगी। मेरे पास विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति उपज के आंकड़े हैं। ये आंकड़े राज्यों ने नहीं भेजे, बल्कि भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा एक नमूने की परिमाप द्वारा एकत्र किए गए हैं।

आसाम की कुल उपलब्धता ३७५ पौंड प्रति व्यक्ति है, यह आत्म निर्भर है। बिहार की उपलब्धता २२६ पौंड प्रति व्यक्ति है और फसल बिगड़ जाने से आयात आवश्यक न हो जाएं तो यह भी आत्म निर्भर है। बम्बई में, जिसे हम घाटे वाला राज्य कहते हैं, प्रति व्यक्ति उपज २६३ पौंड है। यदि बिहार आत्म निर्भर है, तो बम्बई भी होना चाहिए, पर इसे घाटा वाला कहा जाता है। मध्य प्रदेश में ४८८ पौंड प्रति व्यक्ति है। मद्रास में २८४ पौंड, अर्थात् बिहार से कहीं अधिक। उड़ीसा में उपलब्धता ५४३ पौंड है, पंजाब में ३१५ पौंड, उत्तर प्रदेश में २९१ पौंड, पश्चिमी बंगाल में ३७८ पौंड; मेरे विचार से इतना आत्म-भरित राज्य और कोई न होगा। यह वस्तुतः अतिरेक वाला राज्य है। राजस्थान की उपलब्धता में ११० पौंड बता चुका हूं, सौराष्ट्र की १५६ पौंड है। सौराष्ट्र अपने को चावल में घाटे वाला बतलाता है। चार वर्ष पहले वह प्रति वर्ष ५००० टन चावल पैदा करता था, जो अब बढ़ कर ३६००० टन हो गया है और इस ने पड़ोसी कच्छ राज्य को २००० टन दिए हैं। वैसे तो यह आत्म-निर्भर है, पर हां इस वर्ष मानसून बिगड़ जाने से इसे कुछ ज्वार चाहिए। पर इन आंकड़ों के अनुसार इस की उपलब्धता कुल १५६ पौंड ही है। त्रावणकोर कोचीन की उपलब्धता १८४ पौंड है, जो ठीक ही होगी, क्योंकि यह सहायक खाद्यों पर निर्भर रहता है। अजमेर की उपलब्धता १४२ पौंड है। भूपाल की २५८ पौंड है, और यह अतिरेक वाला है। इसलिए मैंने सोचा कि अन्न के आवागमन पर लगे बन्धनों ने कुछ क्षेत्रों में अन्न के भंडार रोक रखे हैं, अतः कुछ क्षेत्रों में बनावटी अभाव हो गया है।

जैसा मैं ने बताया, हमारा लक्ष्य दामों को कम करना और अन्नों की उपलब्धता को सुधारना है। अतः आजमाने के लिए उत्तर-प्रदेश, बिहार और मद्रास जैसे कुछ राज्यों में कुछ ढील दी गई और बम्बई और बंगाल को छोड़ प्रायः सभी राज्यों में थोड़ी-बहुत ढील चल रही है। अब माननीय सदस्यों को दिए गए आंकड़ों से पता चलेगा कि प्रायः प्रत्येक राज्य में दामों में कमी हुई है। मद्रास के एक माननीय सदस्य ने राशन की दुकान के दामों की तुलना खुले बाजार के दामों से की है। वह यह भूल गए कि ये राशन की दुकानें अब भी चल रही हैं और उतनी ही मात्रा दे रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मद्रास सरकार अपने दायित्व से पीछे हट रही है। पर मैं तो देखता हूं कि वे अब राशन वाले समय से भी अधिक लोगों को भोजन दे रहे हैं। मुझे खेद है कि मद्रास में वर्षा नहीं हुई, और इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। मैं नहीं समझता कि कोई यह कहने लगेगा कि वर्षा राजाजी के प्रधान मन्त्री बन जाने और अवनियन्त्रण कर देने के कारण नहीं हुई। यदि कंट्रोल बने रहते और पानी न बरसता तो हालत और भी बुरी हो जाती। जैसा हमारे उपाध्यक्ष समेत अनेकों सदस्यों ने कहा है, अब अन्न की कोई कमी नहीं है। यह उचित मूल्य पर भारी मात्रा में उपलब्ध है और सरकारी दुकानें भी चल रही हैं।

श्री नंबियार: एक ही सांस में माननीय मन्त्री कहते हैं कि पानी न बरसने से अन्न

कम हुआ और फिर कहते हैं कि उसकी भरमार है ।

श्री किदवई : अन्न की भरमार इसलिए है कि वह अतिरेक वाले क्षेत्रों से वहां भेजा गया है और सरकारी भंडारों को भी जरूरत-मन्द लोगों को देने के लिए काम में लाया जा रहा है । अतः जब तक अभाव-दशा चलेगी सब कुछ किया जाएगा, और मद्रासवासियों की पूरी-पूरी सहायता कर के उन को भोजन दिया जाएगा ।

जब खेती वाली जमीन का परिमाण ही ठीक ठीक विदित न हो, तो राजस्थान और मध्यभारत की भांति मुश्किलें पैदा हो जाती हैं । मध्य-भारत को भी अतिरेक वाला राज्य माना जाता है, पर मैं देखता हूं कि उपज १८५ पौण्ड प्रति व्यक्ति है । अतः यह गलती ठीक करनी होगी ।

पर मेरे पास एक संख्या है, जिस की जांच माननीय सदस्य उस के परिणाम से करें : हमें ज्ञात हैं कि हमारे स्टाक क्या हैं । १९५२ में पिछले वर्ष से १३·३ लाख टन बचे थे, फिर उस वर्ष में ३९ लाख टन का आयात हुआ और योग ५२ लाख टन हो गया । अब हमारे पास अगले वर्ष के लिए १८ लाख टन बच रहे हैं, अतः आयातित से कहीं कम अन्न की खपत हुई है ।

श्री एस० एस० मोरे : क्या यह लोगों की क्रय-शक्ति कम हो जाने के कारण नहीं है ? वे इतना खरीद ही नहीं सकते ।

श्री किदवई : पर अन्न चाहे जिस स्थान पर और चाहे जितनी मात्रा में अपेक्षतया सस्ती मात्रा में बिक रहा है । खुले बाजार के कारण इस वर्ष सरकारी दुकानों से पिछले वर्ष की तुलना में कहीं कम अन्न की खपत हुई । पिछले वर्ष सरकारी दुकानों से निकासी ७७·६ लाख टन थी और राशन, बिना राशन और अभाव वाले क्षेत्रों में १२६० लाख लोगों को अन्न दिया गया था । इस वर्ष यू० पी० और बंगाल में अन्न की कमी के कारण लोगों की यह संख्या १२६० लाख से बढ़ कर १३३० लाख हो गई । पर चूंकि बंगाल को छोड़ इन में से अधिकांश क्षेत्रों में अनाज खुले बाजार में मिल रहा था, अतः सरकारी दुकानों से निकासी ७७.६ लाख टन से कम हो कर ६८ लाख टन रह गई । यद्यपि लोगों की संख्या बढ़ गई, पर निकासी पिछले वर्ष की अपेक्षा कम हो गई । इससे यह भी पता चलता है कि कुछ क्षेत्रों में दी गई ढील के कारण पहले की अपेक्षा बाजार में अब अधिक अनाज मिलने लगा है । पर जैसा मैंने बताया, हमारा लक्ष्य अधिक अन्न उपजाना और उसे उचित दामों में वितरित करना है । जब कभी हमें पता चलेगा कि स्थिति कुछ अधिक नियन्त्रण या ढील की मांग करती है जिस से दाम अवनियन्त्रण से पहले वाले ही बने रहें, तो सभी उपाय अपनाए जाएंगे ।

जैसा शायद मुझे पहले स्पष्ट कर देने का अवसर मिल चुका है, नियन्त्रण में ढील देने के साथ ही सरकार एक खाद्यान्न समादेश भी निकाल चुकी है, जो सरकार को किसी क्षेत्र में दामों के अनुचित रूप में बढ़ने पर व्यापारियों के सारे के सारे स्टाक को समाहार-दाम और कुछ खर्चे के हिसाब से ले लेने का और यथासंभव सस्ते दामों पर बेचने का अधिकार देता है । मुझे यकीन है कि यदि राज्यों ने तदनुसार काम किया, तो दाम नीचे रखने में कोई कठिनाई न होगी ।

आशा है, माननीय सदस्यों को याद होगा कि राशनिंग को ढीला करने पर यू० पी० में गेहूं के दाम १६ रुपए से बढ़ कर २२ रुपए हो गए । तब यू० पी० सरकार ने व्यापारियों को चेतावनी दे दी कि यदि दाम गिराए न गए, तो सरकार इस आदेश के अनुसार कार्रवाई करेगी । तब दाम रु० १७-८-० रह

[श्री किदवई]

गए और आज बाजार में गेहूं की उपलब्धता और स्टाक की दृष्टि में यह भाव रु० १७-८-० और १९-४-० के बीच में रहता है।

मुझे आशा है कि माननीय सदस्य समझ लेंगे कि हमने कंट्रोल उठा नहीं लिया है। मैं ने देखा कि हमारे कंट्रोल हमारे लक्ष्य में सहायता नहीं देते; न उन से उपज बढ़ती और न दाम कम रहते हैं। जैसा मैंने बताया १९४८ और १९५२ के बीच कुछ स्थानों पर दाम ३० से ९० प्रतिशत तक बढ़ गए पर अनाज के आने-जाने पर लगे बन्धन ढीले कर देने से दाम फिर कम हो गए हैं।

मैं बिहार की बात एक बार पहले भी कर चुका हूं और फिर कहूंगा, क्योंकि पंडित लक्ष्मी कान्त मैत्रा ने उसे उठाया है। केवल ज़मशेदपुर शहर में राशन-व्यवस्था थी और कुछ-कुछ पटना शहर में भी थी। शेष राज्य में लोग खुले बाजार पर निर्वाह करते थे। अब रांची के अतिरेक वाले क्षेत्र में दाम कम हैं, पर और सभी जगह अधिक हैं। पर यदि आप पिछले वर्ष के दामों से इस वर्ष के दामों की तुलना करें तो आप देखेंगे कि वे अब बहुत ही कम हैं।

यही अनुभव यू० पी० में हुआ है। आज राज्य में गेहूं को छोड़ कर सभी खाद्य-पदार्थों के दाम कंट्रोल भाव से कम हैं। और गेहूं के दाम इसलिए अधिक हैं कि राज्य सरकार द्वारा अतिरेक स्टाक का काफी समाहार कर लेने के पश्चात् ही ढील दी गई थी। अतः दाम स्वभावतः बढ़ गए। फिर सरकार अर्थ-सहायता दे कर कम दामों पर बेच रही थी। वह १६ रुपए प्रति मन के भाव से खरीदती थी। और सरकार को केन्द्र से २,१८,००० टन गेहूं रु० २०-८-० प्रति मन (बन्दरगाह पर) के भाव से लेने पड़े; बाद में इसे कम कर के रु० १८-८-० प्रति मन कर दिया गया। पर यातायात व्यय के साथ यह २० रुपए प्रति मन से अधिक पड़ेगा, और गेहूं पर प्रासंगिक व्यय ३ रुपया प्रति मन है। अतएव यदि वह अर्थ-सहायता न देती, तो वह गेहूं को २१-२२ रुपए प्रति मन बेचती। अब उन्होंने हाल ही में भाव बढ़ाया है और यह १८ रुपए प्रति मन है। इस लिये खुले बाजार और नियन्त्रित बाजार में मुश्किल से ही कोई अन्तर है।

उठाए गए नए पग के बारे में कुछ चर्चा हुई है। कुछ लोगों ने इसे ज्वार का अवनियंत्रण बताया है और कुछ लोगों ने साधारण अव-नियन्त्रण। पर यह ऐसा कुछ नहीं है। मूल प्रस्ताव मैं ने यह किया था कि ज्वार का समाहार न होने के कारण उस के यातायात पर छूट होनी चाहिए। १९५१ में ज्वार का समाहार कुल उत्पादन के ६ प्रतिशत से भी कम था। कुछ क्षेत्रों में ज्वार के स्टाक स्थानीय मांग से अधिक होने के कारण दाम गिर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में उपलब्धता से मांग अधिक होने के कारण ज्वार के दाम बढ़ रहे हैं। अतिरेक वाले राज्य ज्वार का समाहार नहीं करना चाहते, क्योंकि वे सोचते हैं कि दामों की गिरावट के कारण उन को घाटा होगा। मैं माननीय सदस्यों को बता दूं कि मध्य प्रदेश तथा हैदराबाद सरकारों का यही अनुभव रहा है, प्रत्येक के पास पिछले वर्ष के स्टाक के ही ७०,००० टन पड़े हुए हैं। बाहर के दाम उन की खरीद के दामों से कम हैं, और फिर इन पर गोदाम के तथा दूसरे व्यय भी पड़े हैं। बाहर दाम गिर रहे हैं। एक दिन हमें समाचार मिला था कि वर्धा में दाम रु० ६-४-० प्रति मन हैं। इसका मतलब है कि किसानों ने रु० ५-८-० प्रति मन या इस से भी कम पर बेचा होगा। अतः यदि दाम गिर गए, तो हमें भारी हानि उठानी पड़ेगी। पिछले वर्ष हम ने ६ लाख टन से भी अधिक

का आयात किया था । इस वर्ष भी मांग है कि हम कुछ आयात करें । बम्बई तीन लाख टन ज्वार मांग रहा है, मद्रास दो लाख टन, मैसूर ८०,००० टन और सौराष्ट्र ५०,००० टन, जिस में से हम कुछ हैदराबाद और मध्य प्रदेश से भेज चुके हैं और वे अब भी लगभग २५,००० टन की मांग कर रहे हैं । हमें आशा है कि मध्य प्रदेश, मध्य भारत, हैदराबाद, पटियाला संघ और पंजाब के अतिरेक वाले राज्यों से समाहार कर के हम उस समय उन को भेज सकेंगे, जब हमें आयात की कोई जरूरत न रहेगी । यही परिवर्तन है—आप इसे अवनियन्त्रण कहें, ढील देना कहें या समाहार-क्षेत्र का बढ़ाया जाना कहें, क्योंकि अब तक राज्य सरकार अपने राज्य-क्षेत्र में ही समाहार करने के लिए अधिकृत थी और उसे दूसरे राज्यों में खरीद करने की अनुमति न थी । अब जैसा मेरे मित्र श्री गाडगिल ने कहा, "क्यों न राज्य-सरकारों से कहा जाए कि समाहार कर के दूसरी सरकारों को भेज दें ?"

श्री गाडगिल : मैं ने यह कहा था कि "निजी व्यापारियों को खरीदने और राज्यों को बेचने की अनुमति न दे कर यह काम राज्यों द्वारा ही किया जाए ।"

श्री किदवई : निजी व्यापारियों से तो कोई सम्बन्ध नहीं, पर चूंकि राज्य-सरकारों का लाल ज्वार पर कोई नियन्त्रण नहीं है । वे उस को अपने राज्यों में ले जाएंगे और फिर अन्त में राज्य सरकारें ही इस काम में हाथ लगाएंगी ।

राज्य से राज्य के व्यापार में हमें यह देखना होगा कि यातायात तथा एजेंटों के कमीशन के सिवा और अतिरिक्त व्यय क्या हैं, क्योंकि इन को ऊपर से देना होगा । इस के बाद राज्य सरकारों के अपने निजी व्यय हैं, जिन से लागत बहुत अधिक हो जाती है । मान लो, यू० पी० बम्बई को चावल भेजना चाहता है । मोटे चावल के दाम २२ रुपये प्रति मन हैं और यातायात-व्यय प्रति मन रु० ३-१२-७ । यातायात तथा प्रासंगिक व्ययों को जोड़ कर यह २७ रुपए प्रति मन पड़ता है । बम्बई सरकार प्रबन्ध-व्यय ९ प्रति शत और जोड़ देती है और उप-भोक्ता के पास पहुंचते-पहुंचते यह २२ रुपये से ३० रुपए हो जाता है । अतः यदि आप दाम कम रखना चाहते हैं, तो ये सारे व्यय समाप्त करने होंगे । नया परिवर्तन यही करना चाहता है ।

श्री एन० एन० मुखर्जी (कलकत्ता—उत्तर पूर्व) : माननीय मन्त्री की योजना के अनुसार १५ एकड़ से अधिक जमीन के मालिकों के अतिरेक भंडार पर लेवी लगने वाली थी, पर अब यह जमीन घटा कर १० एकड़ कर दी गई है । दूसरे बंगाल से केन्द्रीय समूहन के लिए १·५ लाख टन मांगे जा रहे हैं । इन दोनों बातों का क्या कारण है ?

श्री किदवई : उड़ीसा ने तीन लाख टन दिए हैं, और हम ने बंगाल से भी कहा था और वह स्वेच्छा से १.५ लाख टन देने में सहमत हो गया । उस समय यह दावा किया गया था कि १५ एकड़ या अधिक की खेती करने वाले किसानों पर लेवी लगाई जाए, पर पीछे पता चला कि बंगाल सरकार जिन आंकड़ों से हिसाब लगा रही थी, वे पुराने और विभाजन से पहले के थे । तब हम ने सोचा था कि १५ एकड़ या अधिक वाले लोगों से हम ४॥ लाख टन प्राप्त कर लेंगे । पर अब पता चला है कि हम गलती पर थे । अतः अब इसे सुधार दिया गया है और १० एकड़ या अधिक जमीन पर लेवी लगेगी ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : क्या इससे गरीबों को परेशानी न होगी !

श्री किदवई : पहले तो प्रति इकाई में ७ मन धान किसानों के लिए छोड़ कर लेवी लगाने का प्रस्ताव था । अब इसे कुछ ढीला कर दिया गया है और प्रत्येक किसान के लिए १० मन अर्थात् २२ औंस या अधिक प्रति व्यक्ति प्रति दिन, छोड़ दिया जाएगा । मेरे विचार से अब कोई भी परेशानी न होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पर दो दिन पूरा-पूरा विचार हो चुका है । अब मैं संशोधनों पर मत लूंगा ।

डा० लंका सुन्दरम् (विशाखापटनम्) : मैं अपना संशोधन वापस लेने की अनुमति चाहता हूं :

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : मैं भी अपने कल वाले संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन सदन की अनुमति से वापस लिया गया ।

श्री शिव मूर्ति स्वामी (कुष्टगी) : मैं अपना संशोधन वापस नहीं ले रहा हूं ।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की सफलता के लिए जिले-जिले में सरकार और किसानों की मिली जुली सहकारी संस्थाओं के बनाने और सर्वत्र एकरूप अवनियन्त्रण नीति तथा समाहार कर अभाव-क्षेत्रों में उचित-मूल्य की दुकानें खोलने के लिए जोर देने वाला श्री शिव मूर्ति स्वामी का संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या ५, ६, ७ और ८ तो सदन में प्रस्तुत नहीं किए गए थे.....

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा) : माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि इन्हें प्रस्तुत माना जाएगा और स्वीकृति देने वाले सभी सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत मान लिए गए थे ।

उपाध्यक्ष महोदय : यहां स्वयं अध्यक्ष महोदय द्वारा लिखा हुआ है कि कल डा० लंका सुन्दरम्, श्री शिव मूर्ति स्वामी, सरदार ए० एस० सहगल और श्री आल्तेकर के ही संशोधन प्रस्तुत किए गए थे । पहले तीन निपटाए जा चुके हैं, अब मैं चौथे संशोधन को लूंगा । (अन्तर्बाधाएं) अच्छा मैं सब को सदन के सामने रख दूंगा ।

"बुनियादी लक्ष्य में बाधा डाले बिना" शब्दों का विलोपन चाहने वाला श्री आल्तेकर का संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि : संशोधन के अन्त में निम्नांकित जोड़ दिया जाए :

> "और उस का विचार करने के बाद यह सदन खाद्यान्नों के साधारण नियन्त्रण के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन करता है और बुनियादी लक्ष्य में बाधा डाले बिना स्थानीय या अस्थायी दशाओं के अनुकूल उस में समायोजन करने की सरकार की इच्छा का स्वागत करता है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री झुनझुनवाला ।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : श्रीमान्, मैं ने इसे नहीं रखा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री नंबियार का संशोधन प्रस्तुत मानते हुए....

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे निकट यह स्पष्ट नहीं कि सदन द्वारा स्वीकृत संशोधन की दृष्टि में और संशोधन कैसे जोड़े जा सकते हैं ?

श्री सिंहासन सिंह (जिला गोरखपुर–दक्षिण) : एक औचित्य प्रश्न पर । वह संशोधन सदन द्वारा किसी के 'न' न कहने के कारण सर्व सम्मत रूप से स्वीकृत हो चुका है ।

कुछ माननीय सदस्य : सर्वसम्मत रूप से नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय : एक संशोधन के सर्वसम्मत रूप से पारित हो जाने पर भी दूसरे रखे जा सकते हैं, यदि उन का विषय वही न हो । वे असंगत होने पर भी प्रसंगानुकूल रखे जा सकते हैं । ये सरकारी नीति के सम्बन्ध में सुझाव हैं, और मैं प्राविधिक आधार पर उन के आड़े नहीं आना चाहता ।

सरकार पर लोगों को भोजन देने का दायित्व डालने, मद्रास के शहरों और घाटे-वाले देहातों में उचित मल्य वाली दुकानों के खोलने, उचित मूल्य वाली दुकानों पर सब के लिए वितरण करने और दाम कम करने, मद्रास के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों में मुफ्त अन्न वितरण कराने, जमींदारों से समाहार करने पर जोर देने वाला और उक्त बातों की दृष्टि में अवनियन्त्रण को अनुचित ठहराने वाला श्री नम्बियार का संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

उपज बढ़ाने के लिए पांच वर्ष तक सरकारी खरीद पर जोर देने वाला संशोधन भी अस्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री आल्तेकर के संशोधन समेत पूरे प्रस्ताव को सदन के सम्मुख रखूंगा ।

प्रश्न यह है कि :

> "खाद्य स्थिति को विचारार्थ ग्रहण किया जाए, और उस का विचार करने के बाद यह सदन खाद्यान्नों के साधारण नियन्त्रण के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन करता है और बुनियादी लक्ष्य में बाधा डाले बिना स्थानीय या अस्थायी दशाओं के अनुकूल उस में समायोजन करने की सरकार की इच्छा का स्वागत करता है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक बुधवार १९ नवम्बर, १९५२ के पौने ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हो गई